रजिस्ट्री सं० डी— (डीएन) —73

REGISTERED NO. D—(DN)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 1987 (फाल्गुन 2, 1908)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 1987 (PHALGUNA 2, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

प्रवर्तन निदेशालय

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 1987

सं० ए-11/10/76—प्रवर्तन निदेशक एतद्द्वारा इस निदेशालय के प्रवर्तन अधिकारी श्री ए० के० तावाण्डे को इस निदेशालय के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में 5-1-1987 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर 6 महीने के लिए स्थानापन्न मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

कालीचरण,
मुख्य प्रवर्तन अधिकारी (प्रशासन)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1987

सं० 2/3/87-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा द्वारा श्री कृष्ण लाल अरोड़ा, स्थायी वैयक्तिक सहायक को इस आयोग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतनमान रु० 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500 के पद पर तदर्थ रूप से 3 माह की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, 14-1-87 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

मनोहर लाल
अवर सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयु

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय के० रि० पु० बल

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1987

सं० ओ० दो-2/85-प्रशा०-3—श्री मोहन सिंह, अनुभाग अधिकारी का सं० स० नि० (लेखा)/लेखा-परीक्षा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में पदोन्नति के फलस्वरूप उन्होंने आंतरिक लेखा-परीक्षा दल (उत्तरी क्षेत्र), के० रि० पु० बल, नई दिल्ली में तारीख 13-1-87 (पूर्वाह्न) को लेखा-परीक्षा अधिकारी का कार्य ग्रहण कर लिया।

सं० ओ० दो-5/87-प्रशासन-3—श्री जे० एस० बजाज, सूबेदार मेजर (कार्यालय अधीक्षक) ने अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर दिनांक 16-1-8'

(पूर्वाह्न) को महानिदेशालय, के० रि० पु० बल, नई दिल्ली में अपना कार्यभार सम्भाल लिया है ।

हस्ताक्षर/अपठनीय
उपनिदेशक (प्रशासन)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई-दिल्ली 110003, दिनांक 20 जनवरी 1987

सं० ई–16013(2)/23/82–कार्मिक–1/115—इस मुख्यालय के दिनांक 30 अक्तूबर, 1986 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, श्री दिलीप मित्र, भा० पु० से० (पं० बंगाल : 76) को दिनांक 7 जनवरी, 1987 के अपराह्न में के० औ० सु० ब० यूनिट, डी० एस० पी०, दुर्गापुर के कमांडेंट के पद के कार्यभार से मुक्त किया गया है ।

दिनांक 23 जनवरी 1987

सं० ई–28017/10/84–कार्मिक–II/139—निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त होने के फलस्वरूप श्री एस० सी० जाना, ने 31 दिसम्बर, 1986 के अपराह्न से कमांडेंट, के०औ०सु ब यूनिट, दुर्गापुर, स्टील प्लांट, दुर्गापुर के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

II

निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त होने के फलस्वरूप श्री के० एन० सक्सेना ने 31 दिसम्बर, 1986 के अपराह्न से कमांडेंट, के औ सु ब यूनिट, बालको, कोरबा, बालको नगर, जिला बिलासपुर के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त होने के फलस्वरूप श्री पी० के० आर० नायर ने 31 दिसम्बर, 1986 के अपराह्न से कमांडेंट, के० औ० सु ब यूनिट, फैक्ट, कोचीन डिवीजन, कोचीन के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

डी० एम० मिश्र
महानिदेशक/के०औ० सु ब

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय

कोचीन–682031 दिनांक 26 दिसम्बर 1986

सं० 1/86—समाहर्ता ने श्री ए० राधाकृष्ण मारार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक को 650–30–740–35–810; द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200/–रूपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप "ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार, 23–7–1986 पूर्वाह्न में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मुख्यालय, कोचिन में अधीक्षक (ग्रुप ख) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 2/86—समाहर्ता ने श्री पी० राधाकृष्णन (नं० II), केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क निरीक्षक को 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200/– रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप "ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार 31–7–1986 पूर्वाह्न में विशेष सीमा शुल्क निवारक यूनिट, कांञ्ञंगाड में अधीक्षक (ग्रुप "ख") का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 3/86—समाहर्ता ने श्री के० शंकरनारायणन, कार्यालय अधीक्षक को 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200/– रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में प्रशासन अधिकारी (ग्रुप "ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया ।

2. अधिकारी ने तदनुसार 30–3–85 पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर और 21–7–86 पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क डिवीजन कार्यालय, कण्णूर के प्रशासन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 4/86—समाहर्ता ने श्रीमती वी० पी. सरोजिनी, कार्यालय अधीक्षक को 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200/–रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में सहायक मुख्य लेखा अधिकारी (ग्रुप–"ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया ।

2. अधिकारी ने तदनुसार 5–12–85 पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर और 21–7–86 पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मुख्यालय, कोचिन के सहायक मुख्य लेखा अधिकारी (सं० II) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

सं० 5/86—समाहर्ता ने श्री एस० जयरामन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क निरीक्षक को 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40-1000 द०–रो०–40–1200/– रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप –"ख") के के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार 22–9–86 पूर्वाह्न में सीमा-शुल्क गृह, कोषिक्कोड (वि० सी० शु० नि० डिवीजन, कोषिक्कोड) में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधीक्षक (ग्रुप–"ख") का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 6/86—समाहर्ता ने श्री एन० शंकरन नायर (नं० II) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क निरीक्षक को 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप -"ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार, 16-10-86 पूर्वाह्न में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क डिवीजन कोल्लम -I रेंज में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप -ख") के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 7/86—समाहर्ता ने श्री सी० अय्यप्पन पिल्ले, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क को जो 50-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/-रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप-"ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार, 14-10-86 अपराह्न में वंडिपेरियार रेंज, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क डिवीजन कोट्टम में केन्दीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधीक्षक (ग्रुप --"ख") के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 8/86—समाहर्ता ने श्री एन० माधवन एपुत्तच्चन, केन्दीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क निरीक्षक को 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000- द० रो०-40-1200/- रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप — 'ख') के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार 3-11-1986 पूर्वाह्न में कलमश्शेरी -II रेंज, केन्दीय उत्पादन शुल्क डिवीजन-I, एरणाकुलम, में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप —"ख") के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 9/86—समाहर्ता ने री० वी० ई० डिसिल्वा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क निरीक्षक को 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०- 40-1200/- रुपए के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में केन्दीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधीक्षक (ग्रुप—"ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार, 3-11-1986 पूर्वाह्न में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क डिवीजन पुनलूर रेंज में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप-"ख") के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

सं० 10/86—समाहर्ता ने श्री क० एम० एडिसन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क निरीक्षक को 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500/- रुपए के पुनरीक्षित वेतनमान में केन्दीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधीक्षक (ग्रुप—"ख") के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त किया है ।

2. अधिकारी ने तदनुसार, 1-12-1986 पूर्वाह्न में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, केन्दीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, कोचिन में केन्दीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक (ग्रुप-"ख") के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

एम० ए० अल्लाम,
उप समाहर्ता (का० व स्था०)

जयपुर, दिनांक 6 जनवरी 1987

फा० सं० 11-3(5)स्था०-1/86/8—समाहर्ता महोदय ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर के निरीक्षक ग्रेड के निम्न लिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने निर्दिष्ट तारीख से 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100 3500 रु० के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक ग्रुप "ख" की श्रेणी में नियुक्त किया है :—

क्र० सं०	नाम	अधीक्षक ग्रुप "ख" के पद पर नियुक्ति की तारीख	पदोन्नति होने पर की गयी तैनाती
(1)	(2)	(3)	(4)
	सर्वश्री—		
1.	वाडी लाल	5-3-86 (पूर्वाह्न०)	के० उ० शु० संभाग, अजमेर
2.	के० एल० शर्मा	7-8-86 (पूर्वाह्न)	के० उ० शु०, मुख्यालय, जयपुर
3.	जे० एन० शर्मा	26-8-86 (पूर्वाह्न)	के० उ० शु०, संभाग, जयपुर
4.	मदन सिंह	8-7-86 (पूर्वाह्न)	के० उ० शु०, संभाग, उदयपुर
5.	एस० सी० वर्मा	30-6-86 (पूर्वाह्न)	के० उ० शु०, संभाग, कोटा
6.	एस० बी० गुप्ता	18-9-86 (पूर्वाह्न)	के० उ० शु० मुख्यालय जयपुर
7.	के० सी० पटेल	23-9-86 (पूर्वाह्न)	के० उ० शु० संभाग, जोधपुर

8. श्री वी० वी० सुब्रमण्यम् ने अपीलेट ट्रिब्यूनल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं गोल्ड कण्ट्रोल मद्रास से सहायक पंजीयक के पद पर पदस्थापना की अवधि समाप्त होने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, जयपुर में प्रशासनिक अधिकारी (मु०) के रूप में दिनांक 10-7-86 (पूर्वाह्न) को कार्यग्रहण किया ।

किशन सिंह
उप समाहर्ता (कार्मिक एवं स्था०)

आर्थिक कार्य विभाग

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 20 जनवरी 1987

सं० 604/क—सर्वश्री जी० ए० पगारे और टि० व्ही० उलहनन को चलार्थ पत्र मुद्रणालय और भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में सुरक्षा अधिकारी के पद पर (वर्ग-ख) (राजपत्रित) तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है और नियमित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उनका कार्यकाल का समय निम्नानुसार होगा ।

(क) 3/4/1982 से 24/9/1982 तक

(ख) 4/7/1984 से 3/4/1985 तक

अधिसूचना संख्या 390/क दिनांक 19/9/1986 में बतायी गयी तिथि 14-4-1986 के जगह सुधारित तिथि 15-4-1986 होगी ।

पा० सु० शिवराम
महाप्रबन्धक
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय,

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 24 जनवरी 1987

नस्सी क्र० बी० एन० पी०/सी०/5/87—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक बी० एन० पी०/सी०/59/85 दिनांक 10-9-85 के अनुक्रम में श्री हवलदार सिंह की प्रतिनियुक्ति की अवधि उन्हीं शर्तों व अनुबन्धों पर दिनांक 30-4-87 (अपराह्न) तक या पदोन्नति हेतु योग्य अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है ।

मु० वै० चार
महाप्रबन्धक

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा

वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध-I

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 जनवरी 1987

सं० प्रशासन-3/2(1)/9/129—निदेशक लेखा परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण कार्य एवं विविध—1 नई दिल्ली, निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शायी गयी तिथियों से रु० 2375-3200-ई० बी०-100-3500 के वेतनमान में अन्तिम आधार पर अस्थाई लेखा परीक्षा अधिकारियों के रूप में पदोन्नत करने का आदेश देते हैं :—

सं०	नाम	पदोन्नति की तिथि
(1)	(2)	(3)
	सर्वश्री—	
1.	वी० वासुदेवन मूर्ति	31-3-86
2.	ई० एम० वारियर	17-3-86
3.	वी० डी० वासुदेव	29-5-86
4.	बाल कृष्ण दास	1-5-86
5.	जे० पी० मित्तल-I	15-7-86
6.	० पी० मित्तल-II	13-6-86
7.	बोध राज	8-12-86
8.	दीन दयाल गुप्ता	19-12-86
9.	आर० डी० माथुर	17-12-86
10	भीम सेन शर्मा	17-12-86 (अपराह्न)

दिनांक 29 जनवरी 1987

सं० प्रशासन-3/2(8)/स० ले० प० अ०/84-87/130—निदेशक लेखापरीक्षा, वाणिज्य, निर्माण कार्य एवं विविध-1 नई दिल्ली, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तिथियों से रुपए 2000-60-2300-ई० बी०-75-3200 के वेतनमान में अनन्तिम आधार पर अस्थायी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों के रूप में पदोन्नत करने का आदेश देते हैं :—

सं०	नाम	पदोन्नति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	वी० कुपावरम	1-1-1987
2.	बी० पी० एस० तोमर	—वही—
3.	रघुवीर चन्द	—वही—
4.	गुलशन लाल	—वही—
5.	अखिल कुमार	—वही—
6.	चन्द्र कुमार	—वही—

ए० सी० गर्ग
स० निदेशक लेखा परीक्षा (प्रशासन)

कलकत्ता, दिनांक 29 जनवरी 1987

सं० प्रशासन I/सी/490—निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय कलकत्ता ने इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नामों के साथ दर्शाए गए तारीख से मूल रूप से लेखापरीक्षा अधिकारी की श्रेणी में नियुक्त किए हैं :—

क्र० सं०	नाम	पुष्टि की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री—	
1.	नलिनाक्ष राय	28-12-85
2.	सुधीर रन्जन राय	1-1-86

1	2	3
3.	पंचानन दास	1-6-86
4.	रमेन्द्र कुमार सेन शर्मा	1-6-86
5.	रविदास नस्कर (अधिसूचित जाति)	8-7-86
6.	कान्त चरन वर्मण	1-9-86
7.	अरुण वरण चौधरी	1-10-86
8.	अमिल कुमार विश्वास	1-10-86

सुनील,
उप निदेशक लेखा परीक्षा (प्रशा०)

महालेखाकार का कार्यालय, आंध्रप्रदेश

हैदराबाद, दिनांक 21 जनवरी 1987

सं० प्र शा० -I/18-132/86-87 / 156—श्री एस० सुब्रह्मण्यम-4, लेखापरीक्षा अधिकारी, महालेखाकार का कार्यालय (लेखा परीक्षा) आंध्र प्रदेश हैदराबाद से दि० 30-11-86 (अप) को सेवा निवृत्त हुए हैं ।

हस्ता० अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), गुजरात

अहमदाबाद-380001, दिनांक 23 जनवरी 1987

सं० स्था० ए०/जी०पी०/3(3) / 30 / (9) / 13—महालेखाकार (लेखापरीक्षा), गुजरात, अहमदाबाद के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी लेखापरीक्षा को कार्यालय, महालेखाकार, गुजरात, अहमदाबाद /राजकोट में स्थानापन्न सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सामने बतायी गयी तारीख से अगले आदेश मिलने तक नियुक्त किया जाता है :—

1.	श्री डी० ईश्वरन	8-1-87 अपराह्न से अहमदाबाद
2.	श्री आर० आई० भावसार	" " " "
3.	श्री वी० आर० शाह -II	" " " "
4.	श्री आर० जे० आहूजा	" " " " (राजकोट)

उपरोक्त नियुक्ति अस्थायी है और 1984 की विशेष सिविल आवेदन पत्र सं० 388 से माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की शर्त पर की जाती है ।

संजीव सलूजा,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय, महालेखाकार (ले० प०) 1, कर्नाटक
बेंगलूर, दिनांक 23 दिसम्बर 1986

कार्यालय आदेश

सं० म० ले० (ले० प) 1/ग० 1/ए-1/86-87/510—महालेखाकार (ले० प) 1, श्री के० आर० पार्थसारथी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को रु० 2375-75-3200-द० रो०-100-3500 वेतनमान पर, आगे के आदेश तक, उनके वरिष्ठों की दावों को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उनसे पदग्रहण करने की तारीख से लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में सहर्ष पदोन्नति कर रहे हैं ।

लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने के परिणाम स्वरूप मूल नियम 22(सी) के अन्तर्गत भा० स० नि० (15), स्वामी संकलन (1/11 संस्करण) जी० आई० एम० एच० ए० कर्मचारी तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का० ज्ञा० सं० 7/1/80-स्था० पी० 1 दिनांक 26 सितम्बर 1981) के अनुसार उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के विकल्प को वे अपने पददोन्नति होने के दिनांक से एक महीने के अन्दर देना चाहिए ।

अथन्दराव,
लेखा परीक्षा अधिकारी

महालेखाकार (ले० प०) 1 कार्यालय महाराष्ट्र

बम्बई-400020, दिनांक 13 जनवरी 1987

सं० प्रशासन 1/ले० प०/सामान्य/ले० प० अ०/1(1)/6-महालेखाकार महोदय ने निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष लिखी गयी तिथियों से प्रभावी पुनः आदेश जारी होने तक लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर, सहर्ष नियुक्त किया है ।

क्रम० सं०	नाम	ले० प० अ० पद पर नियुक्ति की तिथि
(1)	श्री व्ही० जी० सुर्वे	1-12-1986 पूर्वाह्न
(2)	श्री एम० एन० खंडारे	19-12-1986 पूर्वाह्न
(3)	श्री आर० एन० रामटेके	16-12-1986 पूर्वाह्न

दिनांक 20 जनवरी 1987

क्र० सं० प्रशा 1/ले० प०/सामान्य/सि० ले० प० अ०/2 (1)/28—महालेखाकार महोदय ने निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष लिखी गयी तिथियों से प्रभावी पुनः

आदेश जारी होने तक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वर्ग समूह–ब–राजपत्रित) पद पर नियुक्त किया है ।

क्र० सं०	नाम	स० ले० प० अ० पद पर नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमती एम० वर्गीस	1–1–1987 पूर्वाह्न
2.	श्री पी० आर० खानजोडे	2–1–1987 "
3.	श्री टी० पी० मिश्र	1–1–1987 "
4.	श्रीमती ह्वी० गोपाल कृष्णन	5–1–1987 "
5.	श्री पी० पी० हिवरेकर	1–1–1987 "
6.	श्रीमती सगाया जॉर्ज	1–1–1987 "
7.	श्री एस० ह्वी० काथवटे	1–1–1987 "
8.	श्रीमती इन्दिरा रामकृष्णन	1–1–1987 "

शुभ लक्ष्मी
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

कार्यालय निदेशक लेखापरीक्षा
रक्षा सेवाएं,
नई दिल्ली–110 001, दिनांक 22 जनवरी 1987

सं० 4501—प्रशासन/130/86—निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं नई दिल्ली निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके सामने अंकित तिथि के स्थानापन्न लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में अगले आदेश परन्ति, सहर्ष नियुक्ति करते है :—

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	कार्यालय जहां नियुक्ति की गयी है	नियुक्ति की तिथि
	सर्वश्री—		
1.	बी०के० खन्ना, स०ले०प०अधिकारी	संयुक्त निदेशक लेखा-परीक्षा (आ० के०') कानपुर ।	13–10–86
2.	ओम प्रकाश–I, स०ले०प०अधिकारी	उपनिदेशक लेखाग परीक्षा रक्षा सेवाएं, (उत्तरी कमान) जम्मू ।	12–11–86
3.	ए०के० अधिकारी, स०ले०प० अधिकारी	संयुक्त निदेशक लेखा-परीक्षा रक्षा सेवाएं (पूर्वी कमान) पटना ।	1–12–86
4.	तुलसी दास,स०ले० प० अधिकारी	उपनिदेशक लेखापरीक्षा रक्षा सेवाएं (उत्तरी कमान), जम्मू ।	5–1–87
5.	एस० एन० सिंह, स० ले० प०अधिकारी	निदेशक लेखापरीक्षा (वायु/नौसेना) नई दिल्ली ।	31–12–86 (अपराह्न)

बलजीत सिंह गिल
संयुक्त निदेशक लेखापरीक्षा,
रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली ।

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनेंस फैक्टरियां सेवा,
आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड
कलकत्ता, दिनांक 28 जनवरी 1987

सं० 1/जी/87—राष्ट्रपति महोदय ने निम्नलिखित अधिकारियों को स्टाफ आफिसर के पद पर उनके सामने दर्शायी गयी तिथियों से पुष्ट करते है :—

क्र० सं०	नाम एवं पद	पुष्टिकरण की तारीख
1.	सवितांशु प्रकाश गोस्वामी, एस० ओ० (आभी निवृति)	1–8–83
2.	धिरेन्द्र नाथ साहा (एस० सी०) "	1–8–83
3.	दिलीप कुमार मित्र (II), "	1–8–83
4.	बारिन्द्र नाथ घोष, एस० ओ०	1–8–83
5.	अमिय कुमार बासु, एस० ओ० (आभी निवृति)	28–2–85

एम० ए० अलहन
संयुक्त निदेशक/जि०

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1986

सं० ए–31012(50)/85–प्रशा० (राज०)—विकास आयुक्त (लघु उद्योग) निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तारीख से, लघु उद्योग विकास संगठन में सहायक निदेशक, ग्रेड–2 (चर्म/पादुका) के पद पर स्थायी रूप में नियक्त करते है ।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप में नियुक्त करने की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	के० के० मक्कड़	31–12–85
2.	एम० जी० सेषाद्रि	31–12–85
3.	के० एस० नायडू	31–12–85

सं० ए० 31013(52)/85 प्रशा० (राज०)—विकास आयुक्त (लघु उद्योग) श्री पी० सी० भावसार की नियुक्ति, लघु उद्योग विकास संगठन में 25–11–85 से सहायक निदेशक ग्रेड–2 (खाद्य संरक्षण) के पद पर स्थायी रूप में करते है ।

दिनांक 17 नवम्बर, 1987

सं० ए०–31012(47)/85–प्रशा० (राज०)–विकास आयक्त (लघु उद्योग) लघु उद्योग विकास संगठन में,

निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तारीख से सहायक निदेशक (ग्रेड–2) (वैद्युत) के पद पर स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप में नियुक्त करने की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	बी सुकुमारन	8–11–85
2.	एम० आर० पद्मनाभन	8–11–85

सं० ए–31012(49)/85–प्रशा० (राज०)–विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग विकास संगठन में, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तारीख से सहायक निदेशक (ग्रेड–2) (रसायन) के पद पर स्थायी-रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप में नियुक्त करने की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	के० एस० राजन	31–12–85
2.	आर० मखोपाध्याय	31–12–85
3.	वी० जी० थानी	31–12–85
4.	पी० ए० एस० सुब्रह्मणियम	31–12–85
5.	ए० मुखर्जी	31–12–85
6.	पी० एन० पटोदिया	31–12–85

सं० ए० 31013(42)/85–प्रशा० (राज०)–विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक निदेशक, ग्रेड–II, (यांत्रिकी) के पद पर, प्रत्येक के नाम के आगे दी गयी तारीख से स्थायी रूप में नियुक्त करते है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप में नियुक्त किए जाने की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	के० सी० अर्जुनराजा	31–12–1985
2.	आर० एस० गांगुली	31–12–1985
3.	आर० एन० नन्दी	31–12–1985
4.	जे० एल० कौल	31–12–1985
5.	के० के० सिक्का	31–12–1985
6.	एच० एन० दे	31–12–1985
7.	एस० अरधुमन सिंह	31–12–1985
8.	पी० आर० एस० रमन	31–12–1985
9.	के० एस० धर्मराजु	31–12–1985
10.	टी० डी० श्रीनिवासन	31–12–1985
11.	एन० वी० वेंकटरमण	31–12–1985

दिनांक 27 नवम्बर 1986

सं० ए–31013(42)/85–प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति लघु उद्योग विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक निदेशक ग्रेड–1 (औद्योगिक प्रबन्ध प्रशिक्षण) के पद पर प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तारीख से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप में नियुक्त करने की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	जे० बी० राममूर्ति	31–12–1985
2.	ए० पी० बोस	31–12–1985
3.	के० टी० सम्बन्धम्	31–12–1985
4.	ए० के० सरकार	31–12–1985
5.	एस० एस० पी० राव	31–12–1985
6.	बी० एम० शर्मा	31–12–1985
7.	दिनकर राव	31–12–1985
8.	के० एस० गोविन्दराजन	31–12–1985
9.	वी० सरदाना	31–12–1985
10.	एल० पी० सिंह	31–12–1985
11.	के० सी० वर्गीज	31–12–1985
12.	एम० एस० एन० मूर्ति	31–12–1985
13.	जी० एम० अम्भीर	31–12–1985

सं० ए–31013(35)/85–प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति लघु उद्योग विकास संस्थान में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तारीख से सहायक निदेशक, ग्रेड–1 (वैद्युत) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप में नियुक्त करने की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	टी० आर० राजगोपालन	31–12–85
2.	एच० भट्टाचार्य	31–12–85
3.	के० के० मनचन्दा	31–12–85
4.	ए० बन्धोपाध्याय	31–12–85
5.	आर० सुब्रह्मणियम अय्यर	31–12–85
6.	जी० डी० गिडवानी	31–12–85

दिनांक 10 दिसम्बर 1986

सं० ए–31013(15)/85–प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति लघु उद्योग विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों को

निदेशक ग्रेड–2 (रसायन) के पद पर प्रत्येक के नाम के आगे दी गयी तारीख से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्थायी रूप में नियुक्त किए जाने की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	पी० आर० मल्हन	31–12–85
2.	एस० के० चक्रवर्ती	31–12–85

दिनांक 18 दिसम्बर 1986

सं० ए–31013(12)/85–प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति श्री एस० पी० सिह्ना की नियुक्ति लघु उद्योग विकास संगठन में 31–12–85 से निदेशक (ग्रेड–II) (धातु) के पद पर स्थायी रूप से करते हैं ।

दिनांक 21 जनवरी 1987

सं० 12(104)/61–प्रशा० (राज०)—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय नई दिल्ली में औद्योगिक सलाहकार (रसायन) श्री पी० आर० मल्हन ने तारीख 31 दिसम्बर 1985 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

दिनांक 22 जनवरी 1987

सं० ए० 19018 (61)/73–प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपति खेद सहित सूचित करते हैं कि श्री सी० एल० शर्मा सहायक निदेशक ग्रेड–1 (आ० अ०) लघु उद्योग सेवा संस्थान आगरा का 9 नवम्बर 1986 को निधन हो गया है ।

सं० ए०–19018(220)/75–प्रशा० (राज०)—जिला उद्योग केन्द्र दादरा एवं नगर हवेली सिल्वासा में महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्ति हो जाने पर श्री सी० एन० सुब्रह्मणियम ने शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान सिल्वासा में उप निदेशक (कांच/मृत्तिका) के पद का कार्यभार 31–1–86 (अपराह्न) से छोड़ दिया है ।

सी० सी० राय
उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महानियंत्रक
एकस्व रूपांकन एवं व्यापार चिह्न
बम्बई–400020 दिनांक 8 जनवरी 1987

सं० सी० जी०/एफ०/14/7(13)/एकस्व/86–8,—राष्ट्रपति श्री श्रीकान्त जयाचार्य वैद्य को दिनांक 27–11–1986 (पूर्वाह्न) से परीक्षक एकस्व एवं रूपांकन (ग्रुप 'अ' राजपत्रित) के पद पर नियमित रूप से वेतनमान रु० 700–1300 पर एकस्व शाखा कार्यालय बम्बई में नियुक्त करते हैं। वे उपरोक्त दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे ।

दिनांक 14 जनवरी 1987

सं० सी० बी०/एफ/1/2(7)86—श्री एम० राजामानिकम् को दिनांक 12–11–86 (पूर्वाह्न) से प्रशामकीय अधिकारी (ग्रुप 'अ' राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतनमान रु० 2000–3500/– पर एकस्व शाखा कार्यालय नई दिल्ली में नियुक्त किया जाता है ।

आर० ए० आचार्य
महानियंत्रक
एकस्व रूपांकन एवं व्यापार चिह्न ।

इस्पात और खान मंत्रालय
(खान विभाग)
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता–700016, दिनांक 29 जनवरी 1987

सं० 558बी/ए–32013/1–व० उ० म० नि० (प्रशा०)/86–19ए—राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित उप महानिदेशक को वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रचालन) के पद पर उसी विभाग में नियमानुसार 2500/–125/2–2750 रु० के वेतनमान के वेतन पर स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं । :—

1.	श्री एस० के० श्रीवास्तव	12–12–86 (अपराह्न)
2.	डा० एच० एस० पारीक	15–12–86 (पूर्वाह्न)

सं० 574बी/ए–32013/1–व० उ० म० नि० (परि०)/86–19ए—राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक (भूविज्ञान) श्री सी० पी० बोहरा को वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रचालन) के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 2500–125/2–2700 रु० के वेतनमान के वेतन पर स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक 12 दिसम्बर 1986 के अपराह्न से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं ।

सं० 585बी/ए–32013/1/व० उ० म० नि०(प्रचा०)/86–19ए—राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उप महानिदेशक (भूविज्ञान) डा० डी० के० राय को वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रचालन) के रूप में उसी विभाग में नियमानुसार 2500–125/2–2750 रु० के वेतनमान के वेतन पर स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक 12 दिसम्बर 1986 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं ।

एन० के० मुखर्जी
वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रचालन)

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1987

सं० ए०–20012/84/70–प्र० (प्र०)—निवर्तन की आयु होने पर विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में वरिष्ठ

कलाकार के पद पर कार्यरत श्री प्यारेलाल 31 दिसम्बर, 1986 अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

श्याम सिंगला
उप निदेशक (प्रशासन)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1987

सं० ए० 32014/2/86-प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री ललित किशोर, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एस० एस० ए०), को 6 जनवरी, 1987, अपराह्न से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में तकनीकी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए० 32014/4/86-प्रशासन— —स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री सुन्दर लाल, अनुसंधान सहायक (पी० एफ० ए०) को 8 जनवरी 1987, पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तकनीकी अधिकारी (पी० एफ० ए०) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर दिया है ।

पी० के० घई
उप निदेशक प्रशासन (सी० एण्ड वी०)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1987

सं० ए० 12025/6/80-एन० आई० सी० डी०/ पी० एच०/(सी० डी० एल०)—राष्ट्रपति ने डा० सी० राजेन्द्रन को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में 20 अप्रैल, 1985 से सहायक निदेशक (कवक विज्ञान) के स्थायी पद पर स्थायी आधार पर नियुक्त कर दिया है ।

सं० ए० 12025/2/83-एन० आई० सी० डी०/पी० एच० (सी० डी० एल०)—राष्ट्रपति ने डा० (कुमारी) रमिन्दर कौर को 18 दिसम्बर, 1986 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में उप सहायक निदेशक (एंटोमोलाजी) के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

श्रीमती जैस्सी फ्रांसिस
उप निदेशक प्रशासन (पी० एच०)

परमाणु ऊर्जा विभाग
क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400 085, दिनांक 15 जनवरी 1987

सं० क्र० भं०नि०/डी-40/स्था०/87-प्रशा०/2201—निवर्तन की आयु प्राप्ति के फलस्वरूप इस निदेशालय के केन्द्रीय भंडार एकक के सहायक भंडार अधिकारी, श्री के० पी० दोईफोडे तारीख 31-12-1986 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए ।

बी० जी० कुलकर्णी
प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद, दिनांक 22 जनवरी 1987

स० पखप्र-16/9/85-भर्ती/957—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक श्री सुरजीत सिंह को उसी प्रभाग में श्री ओ० भारतन, सहायक कार्मिक अधिकारी को छुट्टी मंजूर किए जाने पर 22-12-1986 के पूर्वाह्न से लेकर 9-2-1987 तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

अ० व० खान
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक नागर विमान का कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 12 दिसम्बर 1986

सं० ए-32013/4/86-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की नागर विमानन विभाग में तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में की गयी तदर्थ नियुक्ति की अवधि प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी अवधि के लिए बढ़ा दी है :—

क्रम सं०	नाम	अवधि	
		से	तक
	सर्वश्री—		
1.	एन० वी० सुब्रमण्यन	01-04-86	30-04-86
2.	एच० एम० प्रभाकर	—वही—	31-05-86
3.	डी० पिचयुमनी	—वही—	—वही—
4.	एच० एल० चावला	—वही—	—वही—
5.	जी० जे० मेहता	—वही—	—वही—
6.	एस० पी० श्रीवास्तव	—वही—	—वही—
7.	ओ० पी० बतरा	—वही—	—वही—
8.	एस० पी० चौधरी	—वही—	—वही—
9.	ईश्वर दयाल	—वही—	—वही—
10.	ए० महालिंगेश्वर	—वही—	—वही—
11.	एफ० एस० भाटिया	—वही—	—वही—
12.	आर० एच० मुकुंथ	—वही—	—वही—
13.	बी० के० मुखर्जी	—वही—	—वही—
14.	जोगिन्दर सिंह मान	—वही—	—वही—
15.	पी० एस० दलवी	—वही—	—वही—
16.	टी० के० दास गुप्ता	—वही—	—वही—
17.	एस० पी० शर्मा	—वही—	—वही—
18.	आई० एस० वेदी	—वही—	—वही—
19.	पी० एस० बजाज	—वही—	—वही—
20.	जी० एल० अकोलकर	—वही—	—वही—
21.	के० के० ईचुपुनानी	—वही—	—वही—
22.	वी० एम० खट्टरमल	—वही—	—वही—
23.	एस० के० विश्वास	—वही—	—वही—

क्र० सं०	नाम	अवधि	
		से	तक
	सर्वश्री—		
24.	के० एम० नेगी	01-4-86	31-05-86
25.	जोगिन्दर सिंह	—वही—	—वही—
26.	एम० के० साठये	—वही—	—वही—
27.	वाई० सी० पुनीथा	—वही—	—वही—
28.	ए० एस० गिल	—वही—	—वही—
29.	पी० एन० मणी	—वही—	—वही—
30.	टी० एस० जोली	—वही—	—वही—
31.	बी० एस० भोसले	—वही—	—वही—
32.	डी० सेल्वाराज	—वही—	—वही—
33.	वी० एच० रंगा राव	—वही—	—वही—
34.	बी० सी० राय	—वही—	—वही—
35.	हरनेक सिंह	—वही—	—वही—
36.	टी० एन० जे० नम्बियार	—वही—	—वही—
37.	एन० एस० खैरा	—वही—	—वही—
38.	सी० एस० अहलूवालिया	—वही—	—वही—
39.	बलबीर सिंह	—वही—	—वही—
40.	के० एल० कपूर	—वही—	—वही—
41.	जे० डी० रस्तोगी	—वही—	—वही—
42.	के० के० सन्धिलया	—वही—	—वही—
43.	आर० एस० एस० लाटा	—वही—	—वही—
44.	के० के० गंदोत्रा	—वही—	—वही—
45.	पी० के० सरकार	—वही—	—वही—
46.	जी० एन० साहा	—वही—	—वही—
47.	डी० डी० पाटिल	—वही—	—वही—
48.	बी० के० भसीन	1-4-86	30-4-86
49.	आर० एस० रणधावा	1-4-86	31-5-86
50.	वी० सी० कुलश्रेष्ठ	—वही—	—वही—
51.	विश्वनाथ दत्ता	—वही—	—वही—
52.	एच० पी० घोष	—वही—	—वही—
53.	पी० टी० गुजराती	—वही—	—वही—
54.	एम० वी० नम्बियर	—वही—	—वही—
55.	वाई० पी० कौशिक	—वही—	—वही—
56.	गोपाल मिश्र	—वही—	—वही—
57.	के० एम० सूर्यनारायणन्	—वही—	—वही—
58.	बी० डी० बंगाली	—वही—	—वही—
59.	एन० जयराम	—वही—	—वही—
60.	आर० के० हजारे	—वही—	—वही—
61.	एम० एल० सैनी	—वही—	—वही—
62.	के० के० भनोट	—वही—	—वही—
63.	एस० वी० पिल्लै	—वही—	—वही—
64.	बी० एस० नन्दा	—वही—	—वही—
65.	टी० के० घोषाल	—वही—	—वही—
66.	के० एल० बजाज	1-4-85	31-5-86
67.	एम० एस० वारियर	—वही—	—वही—
68.	टी० एम० नायर	—वही—	—वही—
69.	एम० एस० मोतवानी	—वही—	—वही—
70.	जे० ए० एन० मूर्ति	—वही—	—वही—
71.	आर० के० वर्मा	—वही—	—वही—
72.	एस० के० नायर	—वही—	—वह'—
73.	के० एल० भाटिया	—वही—	—वही—
74.	के० वेंकटरमन	—वही—	—वही—
75.	एन० एन० सिंह	—वही—	—वही—
76.	एम० एस० चौहान	—वही—	—वही—
77.	डी० एम० जहांगीरदार	—वही—	—वही—
78.	जगजीत सिंह	—वही—	—वही—
79.	बी० एस० खुमन	—वही—	—वही—
80.	के० सी० गोस्वामी	—वही—	—वही—
81.	अमलेन्दु दत्ता	—वही—	—वही—
82.	हरभजन डी० के० तनेजा	—वही—	—वही—
83.	हरभजन	—वही—	—वही—
84.	लक्ष्मण राम (अनु० जाति)	—वही—	—वही—
85.	ए० एन० परांजपे	—वही—	—वही—
86.	एस० एस० कंग	—वही—	—वही—
87.	एच० सी० मचदेव	—वही—	—वही—

2. उपरोक्त अधिकारी तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाए जाने पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा करने के हकदार नहीं होंगे और तदर्थ आधार पर की गयी सेवा न तो इस ग्रेड में वरीयता के प्रयोजन के लिए और न ही अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए गिनी जाएगी ।

मुकुल भट्टाचार्जी
उपनिदेशक प्रशासन

समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

इन्दौर, दिनांक 21 जनवरी 1987

सं० 1/87—मध्यप्रदेश समाहर्तालय इन्दौर के निम्न-लिखित अधीक्षक, केन्दीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" निवर्तन की

आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथियों को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए ।

क्र० सं०	नाम	तिथि
	सर्वश्री—	
1.	डी० एस० अग्रवाल	31-12-86 (अपराह्न)
2.	ह्वी० एस० श्रीवास्तव	31-12-86 (अपराह्न)

एस० ह्वी० रामाकृष्णन,
समाहर्ता

बम्बई-1, 29 दिनांक जनवरी 1987

फा० सं० 11/3ई (ए)/3/87— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय में तैनात निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी/अधीक्षक समूह "ख" अधिवार्षिकी पर अपने नामों के आगे दर्शायी गयी तारीख से सेवा निवृत्ति हो गए हैं :—

क्र० सं०	नाम व पदनाम	सेवा निवृत्ति की तारीख
	सर्वश्री—	
1.	ए० एन० सईद, अधीक्षक, के० उ० शु० (समूह (ख")	31-10-1986 (अप०)
2.	आर० डी० गुण्डाले, अधीक्षक, के० उ० शु० (समूह "ख")	31-12-1986 (अप०)

सं० 11/3ई(ए) 3/87—श्री एस० आर० कुलकर्णी, वरित श्रेणी निरीक्षक ने प्रोन्नति पर दिनांक 28-11-1986 पूर्वा० से बम्बई-1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय में अधीक्षक, समूह "ख" के रूप में कार्यभार सम्भाल लिया है ।

अरविन्द सिल्हा
समाहर्ता

पुणे-411002, दिनांक 23 जनवरी 1987

सं० 1/87/स्थापना—निम्नलिखित सिलेक्शन ग्रेड निरीक्षक कर्मचारियों को, निम्नलिखित तारीखों से इस समाहर्तालय में स्थानापन्न (आफिसिएटिंग) केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक श्रेणी "ख" के पद पर पदोन्नत तथा नियुक्त किया जा रहा है :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री पी० जी० बांदीवडेकर	15-9-86
2.	श्री बी० बी० हूगार	18-9-86

दिनांक 27 जनवरी 1987

सं० 2/87/स्थापना—निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक को एतद्द्वारा प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी "ख" के पद पर निम्नलिखित तारीख से पदोन्नत तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क पुणे समाहर्तालय में नियुक्त किया जा रहा है ।

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	कुमारी सी० एन० आर्य	6-10-86

एस० डी० मोहिले
समाहर्ता

बड़ोदरा, दिनांक 21 जनवरी 1987

सं० 1/87—श्री डी० डी० देसाई, सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मण्डल-II, बड़ोदरा दिनांक 20-12-86 को 58 वर्ष के हो गए हैं । तदनुसार, वे दिनांक 31-12-86 के अपराह्न में निवर्तन की आयु पर सेवा से निवृत्त होंगे ।

सं० 2/87—श्री बी० एम० मिस्त्री, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क मण्डल-1, बड़ोदरा, दिनांक 14-12-86 58 वर्ष के हो गए हैं । तदनुसार, वे दिनांक 31-12-1986 के अपराह्न में निवर्तन की आयु पर सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

श्रीमती वरलक्ष्मी राजमानिकम,
समाहर्ता,

उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी रजिस्ट्री का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं वेस्टर्न इंडिया मिनरल एसोसिएशन के विषय में

बम्बई, दिनांक 20 जनवरी 1987

सं० 622/9733/550(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वेस्टर्न इंडिया मिनरल एसोसिएशन लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

बी० राधाकृष्णन,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार,
महाराष्ट्र, बम्बई

प्ररूप आई. टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

का.....सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 12 जनवरी 1987

निदेश सं० ए० पी० नं० 6022—अतः मुझे, बृज भूषण भैदका,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक कोठी दो मंजिला, डिफेन्स कालोनी, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 जून, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर) अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पारनाथ कुमार रानाडे पुत्र श्री बी० के० रानाडे, 425, एल० माडल टाउन, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री बहादुर सिंह बतरा पुत्र श्री हरवंश सिंह बतरा, 44 डिफेंस कालोनी, जालन्धर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कोठी दो मंजिला, डिफेंस कालोनी, जालन्धर में जैसा कि विलेख सं० 1755 दिनांक 16 जून, 1986, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

बृज भूषण भैदका
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 12-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लुधियाना

लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी, 1987

निदेश सं० चण्डी०/6ए/86-87—अतः मुझे, एम०एम०ए० चौधरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति-जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं०कोठी नं० 1017, है तथा जो सैक्टर 27बी (प्लाट नं० 3, स्ट्रीट एफ०) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति शक्तिरानी पत्नि श्री विनोद कुमार शर्मा, श्रीमति जयश्री पत्नि श्री श्याम सुन्दर शर्मा, निवासी—229 सैक्टर 9सी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरु इकबाल सिंह, परिवार के कर्ता, 3010, सैक्टर 19 डी, चण्डीगढ़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नं० 1017 सैक्टर 27बी, (प्लाट नं० 3, स्ट्रीट एफ०) चण्डीगढ़। (अर्थात वह जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के विलेख संख्या 247 माह मई, 1986 के तहत दर्ज है)।

एम० एन० ए० चौधरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लुधियाना

तारीख : 13-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलौर

बंगलौर, दिनांक 13 जनवरी, 1987

निदेश सं० डी० आर० 1709/85-86— अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 99/1 है तथा जो डियाग्रो क्युपेम गोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंगलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-5-86 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच** ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तामस जाकब 2. श्री तामस स्टीफन, वर्ना, सालसिट गोवा।

(अन्तरक)

(2) जो मतियास आलटिन्हो, पंजिम, गोवा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, **जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1709/85-86 तारीख 5-5-1986)

जिस एग्रीकल्चर सब सम्पत्ति का नाम बेमोल्ला, डियाग्रो तालूक और सब डिस्ट्रिक्ट कवेपेम, गोवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका एरिया अडमेशरिंग एबाउट 65,325 स्क्वे० मीटर्स है जिसका विवरण एग्रीमेंट तारीख 19-2-1986 का शेड्यूल्ड में पूरा विवरण किया है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलौर

तारीख : 13-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलौर

बंगलौर, दिनांक 13 जनवरी, 1987

निदेश सं० डी० आर० 1702/85-86—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 41/1, 41/3, तथा 42/2 है तथा जो उटोरडा-सालसिट गोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंगलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5-5-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमारकल कारवालहो, अरोसिम, गोवा 2. श्रीमति इलडा मारि रेबल्लो, अरोसिम, गोवा, 3. यक्सेक्युएल हेलेना यक्सैटकाओ कारवालहो, पणजी, गोवा, 4. श्री म्यान्यएल सिपलिसियो कारवालहो, पणजी, गोवा।

(अन्तरक)

(2) मेमर्स महराणि गैस्ट हाउस, यूनिट आफ लगूना रेस्टोरेंट, जे-16, हौज खास, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं 1299/85/86 ता० 5-5-86 सब सम्पत्ति का नाम नोओ, अफोरोमेंटो डि प्रयासेस अडमेसरिंग 32·725 स्क्वे० मीटर्स सिचुएटड एट विलेज उटोरडा, विलेज पंचायत उटोरडा-मजोरडा-अरोसिस तालुक और सबडिस्ट्रिक्ट सालसिट और डिस्ट्रिक्ट गोवा जिस सम्पत्ति का पूरा विवरण एग्रीमेंट तारीख 24-2-1986 का शेड्यूल्ड में है।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलौर

तारीख : 13-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/4/37 ईई/5-86/21—अतः मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ङ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ए-2, चौथा खण्ड, एस-8, 28 फिरोजशाह रोड़, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख मई, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) लाला गिरधर लाल मैमोरियल फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) जे० के० इण्डस्ट्रीज लि० नई, दिल्ली लिंक हाउस, 3, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय फ्लेट नं० ए-2, चौथा खण्ड और गैरेज नं० एस-8, बेसमेंट फ्लोर लाला गिरधर मैमोरियल अपार्टमेंट, 28, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

तारीख : 23-8-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 1986

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 4/37ईई/5-86/22.—अत: मुझे, डी० के० श्रीवास्तव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 808, अम्बादीप, 14, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख मई, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) सैल्सवर्थ इण्डिया प्रा० लि०, 914, चिरंजीव टावर, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) नरेन्द्रसिंह माल्कन मिसेस सरोज माल्कन, मेसर्स एन० एम० माल्कन एण्ड ब्रदर्स सोनातोलिया टी गार्डन पी० ओ० नार्थ लखीमपुर, असम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 808, अम्बादीप, 14, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

तारीख : 23-9-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/4/37ईई/ 5-86/23—अतः मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 504, अम्बादीप 14, के०जी० मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अंसल प्रापर्टीज एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, 115, अंसल भवन, 16, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मास्टर अतुल कुमार अग्रवाल यू०/जी०श्री० अग्रवाल 22, मोती लाल नेहरू मार्ग, भिलाई जिला—दुर्ग, (एम० पी०)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 504, अम्बादीप, 14, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

तारीख : 23-9-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/4/37ई/ 5-86/24—

अतः मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 1502, अम्बादीप 14, के० जी० मार्ग, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-4 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 115, अंसल भवन, 16, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) महेश चन्द्र अग्रवाल मिसेस मीरा अग्रवाल, श्याम सदन (नजदीक चांदमरी उसेक्टराय पोस्ट मथुरा (यू०पी०)। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 1502, अम्बादीप, 14, के०जी० मार्ग, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

तारीख : 23-9-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० 4/37ई8/ 5-86/14—

अतः मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 1006, 10 वां खण्ड अम्बादीप, 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, नई दिल्ली में (निरीक्षण), अर्जन रेंज-4 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, के अधीन, तारीख 8 मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एम० सिरील मिर्सस जुडालाईन एम० बोरगोह, मिर्सस करीना ओ० बोरगोम (छोटा) मास्टर मार्क एबोन्गोह यू०/ जी० मिसम जुडालाईन एच० एच० बोरगोह माता और एन/जी द्वारा मिस डवेली निवास बबनपुर छावनी पो० ओ०- बहादुरपुर बाया जमानिया जिला-गाजियाबाद (यू० पी०)। (अन्तरक)

(2) अमृत लाल सरना मिर्सस प्रेमलता सरना मिस्टर धर्मेन्द्र सरना, धीरज सरना मास्टर अशोक सरना छोटा यू०/जी० ए०एल०सरना (पिता एन०जी०) बी-4/39, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 1006, 10 वां खण्ड, अम्बादीप, 15, कस्तूरबा-गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

तारीख : 23-9-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /4/37ईई/ 5-86/ 26—अतः मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 809, 8वां खण्ड अम्बादीप, 14, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली, अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्रकाश एसोसिएटस, 110, मेघदूत 94, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) डा० अनिल मेहता द्वारा मिस्टर के० के० मेहता निवासी—डी-193, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 809, 8वां खण्ड अम्बादीप, 14, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

तारीख : 23-9-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /4/37ई६/ 5-86/ 8—अतः— मुझे, श्री डी० के० श्रीवास्तव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि गांव भट्टी, तहसील महरोली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई, 1896

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित प्रयोजन से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री संजय लीखा सुपुत्र डा० हरबंश लीखा अजय लीखा सुपुत्र डा हरबंश लाल लीखा और डा० हरबंश, लाल लीखा सुपुत्र स्व० सलामत राय लीखा डी-62, हौजखास, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) ए० के० सूद सुपुत्र स्व० ए० एन० सूद, श्रीमति अंजना सूद, पत्नि स्व० ए० एन० सूद और लवनीन सूद पत्नि ए० के० सूद, निवासी—2ए, शंकरराय मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 19 बीघा और 11 बिस्वा खसरा नं० 115/1 (1-16), 117/1 (2-6), 118(4-6), 119 (3-16), 120/1 (1-17), 2044/123(1-6), 2045/ 123(3-8) 125(0-16) मौजा में ट्यूबवैल गांव भट्टी, तहसील महरोली, नई दिल्ली।

डी० के० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, नई दिल्ली

तारीख : 23-9-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 2/मई/86—अत: मुझे, ए० आर० रेड्डी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 14, सेकेण्ड स्ट्रीट, डाक्टर तिमूर्ति नगर है तथा जो नुगंमबाक्कम, मद्रास-34 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, थाउजन्ड लईस दस सं० 211/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 18908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मिरिजा मोहमद जावाद

(अन्तरक)

(2) श्री एन० डी० एम० रहमद अलिया सहिबा ट्रस्ट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—सं० 14, सेकेण्ड स्ट्रीट, डाक्टर तिमूर्ति नगर, नुगंमबाक्कम, मद्रास-34।

(थाउलंड लईस—दस सं० 211/86)।

ए० आर० रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-17

तारीख : 30-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 3/मई/86—अतः मुझे, ए० आर० रेड्डी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 17, नागेश्वर अयर रोड, नगम्बाक्कम, मद्रास-34 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, थाउजन्ड लईस दस सं० 245/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सहायता के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सहायता के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) एम० नीलवेणी और अन्य। (अन्तरक)

(2) एस० चन्द्रकला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—सं० 17, नागेश्वरा अयर रोड, नुंगम्बाक्कम, मद्रास-34।

थाउजन्ड लईस—दस सं० 245/86

ए० आर० रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-17

तारीख : 30-12-1986

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस. .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 5/मई/86—अतः मुझे, ए० आर० रेड्डी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 15, जगन्नादन रोड, नुगम्बाक्कम, मद्रास-34 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, थाउजन्ड लईस, दस सं० 274 से 277/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और

मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

4—466GI/86

(1) श्रीमति प्रतिमा रामगोपाल और अन्य ।

(अन्तरक)

(2) रोमर फेशन्स ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि—सं० 15, जगन्नादन रोड, नुगम्बाक्कम, मद्रास-34 (थाउजन्ड लईस—दस सं० 274 से 277/86) ।

ए० आर० रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-17

तारीख : 30-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 जनवरी 1987

निदेश सं॰ 9/मई/86—अतः मुझे, ए॰आर॰ रेड्डी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ टी॰ एस॰ 11/41/1ए 1बी 1ए, है तथा जो संगनूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीपुरम—दस—सं॰ 2396/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए॰ वेंगटाचलम चेट्टीयार और अन्य।

(अन्तरक)

(2) श्री ए॰ अमुबक्कर और 4 अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—सं॰ टी॰ एस॰ 11/41/1ए 1बी 1ए (गांधीपुरम—दस सं॰ 2396/86)।

ए॰आर॰रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-11

तारीख : 1-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 जनवरी 1987

निदेश सं० 10/मई/86—अतः मुझे, ए० आर० रेड्डी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० एस० एफ० 1/ए, आनैमलै है तथा जो तिरपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आनैमलै—दस सं० 19, 402 से 406, 408 और 409/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति आर० एम० मीनाक्षीयो।

(अन्तरक)

(2) लिल्ली इस्टेट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—एस० एफ० सं० 1 आनैमलै (आनैमलै—दस सं० 19/86, 402 से 406/86 408 और 409/86)।

ए० आर० रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-17

तारीख : 1-1-1987
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 13/मई/86—अतः मुझे, ए० आर० रेड्डी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 22, चिन्नया पिल्लै रोड, टी० नगर, मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास, साउथ दस सं० 1413/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० आर० श्रीनिवासन और अन्य।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कल्पना साई कृष्णा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—सं० 22, चिन्नाया पिल्लै रोड, टी० नगर, मद्रास-17

(थाउजन्ड लईस—दस सं० 1413/86)।

ए०आर०रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-17

तारीख : 30-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 15/मई/86—अतः मुझे, ए० आर० रेड्डी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 16, सारताम्बाल स्ट्रीट, गोकुलम कालनि, टी० नगर है तथा जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टी० नगर दस सं० 581/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जी० वसन्ता और अन्यों।

(अन्तरक)

(2) श्री अष्लुरी प्रभावति।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—सं० 16, सारताम्बाल स्ट्रीट, गोकुलम कालनि टी० नगर, मद्रास-17

(टी० नगर; दस० सं० 581/86)।

ए० आर० रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-6

तारीख : 30-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर 1986

निदेश सं॰ 20/मई/86—अतः मुझे, ए॰ आर॰ रेड्डी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं॰ 234, टी॰ टी॰ के॰ रोड, आलवारपेट, मद्रास- 18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास-सेन्ट्रल दस सं॰ 551/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी॰ देवराजन।

(अन्तरक)

(2) श्री एच॰ ए॰ कादर और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—सं॰ 234, टी॰ टी॰ के॰ रोड, आलवारपेट, मद्रास-18

(मद्रास सेन्ट्रल—दस सं॰ 551/86)।

ए॰ आर॰ रेड्डी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास-17

तारीख : 30-12-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर 1986

निदेश सं० 22मई, 1986—अतः मुझे ए० आर० रेड्डी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3, थांगल पतई, कलाक्षेत्र रोड, तिरुवान्मियूर, मद्रास-41 है तथा जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास सौउत दस० सं० 1500/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० एल० रामदास

(अन्तरक)

(2) चेन्सुरि कन्सट्रक्शन्स

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सं० 3, थांगल पन्तई कलाक्षेत्र रोड, तिरुवान्मियूर मद्रास-41 (मद्रास- सौउत-दस० सं० 1500/86

ए० आर० रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 30-12-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–II, मद्रास–17

मद्रास, दिनांक 30 दिसम्बर, 1986

निदेश सं० 23 मई/86—अतः मुझे श्री ए० आर० रेड्डी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 17/80, डा० राधाकृष्णन रोड, मद्रास–4 है जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास साउथ दस० सं० 1599/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जान्सी रानि

(अन्तरक)

(2) श्री एम० जिवराम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान सं० 17/80, डा० राधाकृष्णन रोड, मद्रास–4, (मद्रास साउथ दस० सं० 1599/86)

आर० रेड्डी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, मद्रास

तारीख : 30–12–1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/37ईई/5–86/63—अत: मुझे श्री टी० के० शाह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो अपार्टमैंट बियरिंग नं० ट्रेस 6, ब्लाक सी–6, ओबराय अपार्टमैंट 2, जामनाथ मार्ग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित) है, कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज–2 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 के अधीन तारीख मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती इंदुबाला ढिल्लो, 2, श्याम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दीपा गोरेवाला, और श्रीमती कांता देवी गुप्ता, 171 शिवाजी पार्क, रोड नं० 5, प्रथम खंड, महिम, बम्बई–16

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अपार्टमेंट बियरिंग नं० ट्रेस 6, ब्लाक सी–11, ओबराय अपार्टमैंट में, 2 श्याम नाथ मार्ग, दिल्ली–54।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

तारीख : 15–1–1987

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य्/6/37ई/5–86/64—अतः मुझे श्री टी० के० शाह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो प्लाट सं० एक्स एल–1/1यू ए चन्द्रावल रोड, दिल्ली 4975, वर्गफीट में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज 6, भारतीय आयकर अधिनियम 1961(1961 का 16) के अधीन तारीख मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से मुक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय का धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मे यनाईटेड प्रापर्टीज, 5 शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता सुपुत्र लालाराम कंवर 2944, कूचा माई दास, बजार सीताराम, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० ए० स एल-1/1यू ए, चन्द्रावल रोड, दिल्ली–1 4975 वर्ग फीट।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

तारीख : 15–1–1987
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/37ईई/5-86/65—अतः मुझे, श्री टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो प्लाट नं० एक्स एल-1/1-यू ए, चन्द्रावल रोड, दिल्ली प्लाट क्षेत्र 552 वर्गगज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) रेंज-6 में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख मार्च 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० एल० पाहवा, ए-47, मल्का गंज, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) यूनाईटेड प्रोपर्टीज 5, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० एक्स एल-1/1-यू ए, चन्द्रावल रोड, दिल्ली-1; तादादी 552 वर्ग गज।

टी० के० शाह

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

तारीख: 15-1-1987

मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/37ई/5-86/66--

अतः मुझे, श्री टी० के० शाह,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो 1/8 वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख मई 1986
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जुगल किशोर 28, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली, श्री भारत मदान, जे-1854, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) 1 श्री सहजनलाल वाही, 2 मिसेस उर्मिला वाडी 3 कुंदनलाल वाही, 1/9, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/8 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-9।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

तारीख : 15-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/5–86/37ई/67—

अतः मुझे, श्री टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार- मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो डी–37, नारायना विहार, नई दिल्ली में स्थित है(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है)सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–2, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 16) के अधीन तारीख मई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए रूप पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर) अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) विजय मेहता, डी–37, नारायना विहार, दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री एम० के० मल्होत्रा एंड संस(एच० यू० एफ०) सी–160, नारायना औद्योगिक क्षेत्र, केस–1, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना-जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डी–37, नारायना विहार, नई दिल्ली।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

तारीख : 15–1–1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/5–86/37ई/68—अतः मुझे, श्री टी० के० शाह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो 28 सी, अलीपुर रोड, सिविल लाईन्स, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–2, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दाखिल मई 1986 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 सत्य प्रकाश अग्रवाल 2 वीना अग्रवाल, 3 संदीप अग्रवाल, 28 अलीपुर रोड, सिविल लाईन, दिल्ली–54।

(अन्तरक)

(2) 1श्री अनिल मूल चन्दानी, जगदीश मूलचन्दानी, 3 नी मूलचन्दानी, 4 पुष्पा मूलचन्दानी, 10 0 बनारसी दास एस्टेट, सिविल लाईन्स, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

28–सी, अलीपुर रोड, सिविल लाईन, दिल्ली।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

तारीख : 15–1–1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु/37ईई/5-86/69—अतः मुझे श्री टी० के० साह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा वे प्रथम खंड, 9, राजनारायन रोड, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्व रूप से वर्णित है) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 2 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स ग्रेशम एंड कम्पनी 1/1, रुपनगर, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती भूपिन्दर कौर और गरजवन सिंह बल्‍वोक ए-39, ओबराय अपार्टमेंट, सिविल लाईन्स, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खंड, 9, राजनारायन रोड, नई दिल्ली।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक 15-1-1987

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्य्/37ईई/5–86/69-ए–अत: मुझे श्री टी० के० साह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० जी–1 है तथा जो 15 प्रीतविहार कम्युनिटी सेन्टर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख मई 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सावित्री पर्टीज (प्रा०) लिमटेड, जी–5/92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019।

(अन्तरक)

(2) सुस्मा सिंगला व मनोज सिंगला, नवयुग स्टोर एम–2, ग्रेटर कैलाश, मार्किट नं० 1, नई दिल्ली–110048।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० जी–1, 331 वर्ग फीट, प्लाट नं०–15, प्रीत विहार कम्युनिटी सेन्टर, दिल्ली।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

तारीख : 15–1–1987

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु/37ईई/5-86/69औ—अतः मुझे, श्री टी० के० साह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० दुकान नं० जी-2 है तथा जो 15 कम्युनिटी सेन्टर प्रीत विहार दिल्ली में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख मई 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सावित्री प्रापर्टीज प्रा० लिमिटेड, जी-5/92, नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019।

(अन्तरक)

(2) सुष्मा सिंगला व मनोज सिंगला, नवयुग स्टोर एम० 2, ग्रेटर कैलाश, मार्किट-1, नई दिल्ली-110048।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० जी-2, 310 वर्गफुट प्लाट नं०-15, प्रीत विहार कम्युनिटी सेन्टर, दिल्ली।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

तारीख : 15-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/6एसआर 1/5-86/606 अत: मुझे श्री टी० के० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० है तथा जो प्रापर्टी नं० 7ए, कमिश्नर लेनआयकर उषा नारायन मार्ग सिविल लाईन्स दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य**, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती **(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया** प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग **के अनुसरण में**, मैं, उक्त **अधिनियम की** धारा 269-घ **की उपधारा** (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नारायन और बृजेश नारायन, सुपुत्र स्व० कृपा नारायन एस० एटोरनी अपना भाई और तीन बहनें श्री राजेश नारायन मिसेज मिना, मिसेज उर्मिला और मिसेज इन्दिरा निवासी 32, फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी देविन्दर कुमार निवासी 13-डी कमला नगर, दिल्ली 2 विवेक दत्त सुपुत्र धर्मदत्त 2/1, कोर्ट लेन दिल्ली (राजपुर लेन) 3. कृष्णा गुप्ता पत्नी लीलाधर निवासी 2613 जे फासिल, नया बाजार, दिल्ली 4 श्रीमती सुशिला गुप्ता पत्नी डा० एल० पी० गुप्ता, 125-ई, कमला नगर, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० 7-ए कमिश्नर लेन, आजकल कृपा नारायन मार्ग, सिविल लाईन्स के नाम से जानी जाती है।

टी० के० शाह
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

तारीख: 15-1-1987
मोहर:

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रें ज-6 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/6/एस० आर०-1/5-86/619—अतः मुझे टी० के० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग प्लाट नं० 220 ब्लाक एफ० 800 वर्ग गज मानसरोवर गार्डन क्षेत्र बसई दारापुर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)

रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से मुक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अनरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एस० बहादुर सिंह बत्रा सुपुत्र एस० हरबंश सिंह बत्रा एफ-220 मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(1) श्री जसवन्त सिंह भसीन सुपुत्र गुरदयाल सिंह भसीन और परविन्द्र सिंह भसीन निवासी—8/113 रमेश नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग प्लाट नं० 220 ब्लाक एफ 800 वर्ग गज स्थित मानसरोवर गार्डन क्षेत्र बसई दारापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली ।

टी०के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रें ज-6; नई दिल्ली

तारीख : 15-1-1987
मोहर ।

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /6/एस० आर०-1/5-86/621—अतः मुझे टी० के० शाह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्राईवेट प्रापर्टी नं० 2-ए और 1 आउट आफ प्रापर्टी बीयरिंग एम० सी० नं० 2 अन्डरहिल रोड दिल्ली 425 वर्ग गज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति शकुन्तला गुप्ता पत्नि वी० एस० गर्ग निवासी—2 अन्डर हिल रोड, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति गंगादेवी साबू पत्नि रामनिवास जी साबू निवासी 45/4 रेस कोर्स रोड बंगलौर 2. दयमन्ती साबू पत्नि नारायण प्रसाद साबू 3. दिनेश कुमार सुपुत्र डी० पी० साबू 3/2, जीवन विहार, बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्राईवेट प्रापर्टी नं० 2-ए और 1 आउट आफ प्रापर्टी बीयरिंग नं० एम० सी० नं० 2 अन्डरहिल रोड, दिल्ली, क्षेत्र तादादी 425 वर्ग गज।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

तारीख : 15-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू० /6/एस० आर०-1/5-86/622—अतः मुझे, टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्राईवेट प्रापर्टी नं० 1-ए, आउट आफ प्रापर्टी नं० 2, अन्डर हिल रोड दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1986 **को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति** का **उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का** पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती **(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित** में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 **(1922 का 11) या उक्त अधिनियम**, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शकुन्तला गुप्ता पत्नि वी० एस० गर्ग 2 अन्डर हिल रोड दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती किरन देवी साबू पत्नि के० के० साबू 2. विनोद कुमार साबू सुपुत्र आर० एन० साबू, पता—नं० 1, 642 कटरा हरदयाल चान्दनी चौक दिल्ली-2, पता—3/2 जीवन विहार 5 मानव मन्दिर रोड, मालाबार हिल, बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित** हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

प्राईवेट प्रापर्टी नं० 1-ए, आउट आफ प्रापर्टी नं० 2, अन्डरहिल रोड, सिविल लाईन, दिल्ली, क्षेत्र 425 वर्ग गज।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

तारीख : 15-1-1987
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /6/ एस०आर०-1/5-86/623—अतः मुझे, टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्रापर्टी फ्री होल्ड प्लाट नं० 36, रोड नं० 6, पंजाबी बाग क्षेत्र बसई दारापुर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, **मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों **को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम,** 1957 (1957 का 27) **के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० गुरवचन सिंह और जसबीर सिंह सुपुत्र एस० मेहर सिंह 36/66 पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरेश गुप्ता सुपुत्र मोहन लाल गुप्ता (डिसेंड) 2. श्रीमति सुधा गुप्ता पत्नि श्री सुरेश गुप्ता, नागोरी गेट हिसार (हरियाणा)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त **व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

प्रापर्टी फ्री होल्ड प्लाट पर बनी प्लाट नं० 36, रोड नं० 66 एम० जी० नं० 361 : 77 वर्ग गज पंजाबी बाग क्षेत्र गांव बसई दारापुर दिल्ली राज्य।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6 नई दिल्ली

तारीख : 15-1-1997
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर०-1/5-86/630--अत: मुझे, श्री टी० के० साह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 32, रोड सं० 73, पंजाबी बाग, नई दिल्ली क्षेत्र बसई दारापुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 16) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री अनिल मोहन सहगल सुपुत्र स्वर्गीय श्री मनमोहन नाथ सहगल
निवासी--32/73, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती बचन कौर पत्नी श्री मदन लाल चावला श्री अशोक चावला और अमित चावला सुपुत्र मदन लाल चावला ।
निवासी--1338, 1339, फैजगंज, गली सं० 3, बहादुर गढ़ रोड, दिल्ली ।
(अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हाउस आन प्लाट सं० 32, रोड सं० 73, पंजाबी बाग क्षेत्र गांव बसई दारापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली ।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/6/5–86/एस० आर०–1/631---अत: मुझे, श्री टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आवासीय काटेज सं० 4, पिछली तरफ का भाग प्रापर्टी नं० 5/4–बी, पूर्व क्षेत्र 1075 वर्ग फीट रूप नगर, है (और दिल्ली इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स पुरी बंगा एसोसिएट्स 5/4, रूप नगर, दिल्ली पार्टनर द्वारा श्रीमती राजपुरी पत्नी के० के० पुरी निवासी 7/26, रूप नगर,

(2) विजय बंगा सुपुत्र बनारसी दास बंगा स्वयं तथा एटोरनी माता कैलाश रानी 17/35, शक्ति नगर, दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्रीमती महादेवी पत्नी स्वर्गीय किशन लाल 13/26, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय काटेज सं० 4, प्रापर्टी का पिछला भाग सं० 5/4–बी पूर्व क्षेत्र 1075 वर्ग फीट, स्थित रूप नगर, दिल्ली।

श्री टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–6, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक : 15–1–87

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज—6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर०—1/5—86/632—अतः मुझे, श्री टी० के० शाह, 'आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 5/4 ब, रूप नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पुरी बंगा एसोसिएट्स 5/4—ब रूप नगर, द्वारा श्रीमती राजपुरी पत्नी के० के० पुरी 7/26, रूप नगर दिल्ली 2. विजय बंगा सुपुत्र बनारसी दास बंगा, श्रीमती कैलाश रानी 17/35, शक्ति नगर, दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुशील कुमार जैन सुपुत्र प्यारे लाल जैन 2. मंजि जैन पत्नी सुशील कुमार जैन 3/367 रूप नगर, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय काटेज बियरिंग प्रो० नं० 2, सामने की तरफ प्रापर्टी भाग सं० 5/4—बी, पूर्ण घेरा क्षेत्र 1075 वर्ग फीट ग्राउण्ड फ्लोर 1075 वर्ग फीट प्रथम खण्ड और 383 वर्ग फीट दूसरा खण्ड, स्थित रूप नगर, दिल्ली ।

श्री टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज—6, नई दिल्ली

दिनांक : 15—1—87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज--6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर०—1/5—86/633—अतः मुझे, श्री टी० के० शाह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आवासीय काटेज सं० 3, बैक साइड का भाग प्रापर्टी सं० 5/4—बी, रूप नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स पुरी बंगा एसोसिएट्स 5/4बी, रूप नगर, दिल्ली पार्टनर श्रीमती राजपुरी पत्नी के० के० पुरी निवासी—7/26, रूप नगर, दिल्ली ।
विजय बंगा सुपुत्र बनारसी दास बंगा, कैलाश गली, 17/35, शक्ति नगर, दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री रमनिक लाल मोरदिया सुपुत्र तारा चन्द
2. श्रीमती किरन देवी 43, बंगलो रोड, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय काटेज सं० 3, बैक साइड का भाग प्रापर्टी सं० 5/4बी, रूप नगर, दिल्ली ।

श्री टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज—6, दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक : 15—1—87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/ए यू०/6/एस० आर–1/5–86/635—अतः मुझे, श्री टी० के० साह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० सी–4/17, माडल टाउन, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में) पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और वह अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय टेक चन्द निवासी—1841 गली नं० 9, गांधी नगर, राजगढ़ कालोनी, दिल्ली–2 नरेश कुमार 3 सुरेश कुमार 4. दीपक अग्रवाल 5. मोहन लाल 6. सुनील कुमार 7. अनिल कुमार सुपुत्र स्वर्गीय टेक चन्द निवासी—1841, गली नं० 9, गांधी नगर, राजगढ़ कालोनी दिल्ली
8. श्रीमती राजश्री एलयास श्रीमती राधा देवी पत्नी एम० एल० गुप्ता डा०–45, राना प्रताप रोड, आदर्श नगर, दिल्ली–9 अनीता गुप्ता एलयास श्री देवी पत्नी अशोक गुप्ता निवासी–एल–1/48, अलीगंज, लखनऊ, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रामा रानी पत्नी रामकिशोर गोयल और 2. हरि ओम गोयल सुपुत्र रामकिशोर गोयल सी–1/20, माडल टाउन, दिल्ली –1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० सी–4/17, माडल टाउन, दिल्ली।

टी०के० साह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

दिनांक : 15–1–87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/ए यू०/6/एस०–आर०–1/5–86/636—अत: मुझे, श्री टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्रापर्टी सं० 14/32, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री एस० पी० सच्चर एस० जी० पी० ए० के० जी० सच्चर, ब्रिगेडियर एन० पी० सच्चर के० आर० सच्चर वाई० पी० सच्चर
निवासी—14/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) 1. इन्दरजीत पापली 2 अशोक पापली
14/32, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी सं० 14/32, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली

टी० के० शाह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयकर (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

दिनांक : 15–1–87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर०–1/5–86/637—अत: मुझे, श्री टी० के० साह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० तादादी 1057.78 वर्ग गज है तथा जो प्लाट सं० 7, रोड सं० 78, पंजाबी बाग, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1986, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विदयाधर, एम० सी० वर्मा और जे० सी० वर्मा सुपुत्र श्री तारा चन्द
निवासी—12/33, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) मैसर्स सत्यानन्द आर्या द्वारा और मैनेजर सत्या नन्द आर्या
2. मैसर्स नरेन्द्र कुमार आर्या द्वारा और कार्ता मैनेजर नरेन्द्र कुमार आर्या
प्लाट सं०–7, रोड 78 पंजाबी बाग नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 7, रोड सं० 78, स्थित पंजाबी बाग, तावादी 1057, 78 वर्ग गज गांव बसई दारापुर, दिल्ली।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

दिनांक : 15–1–87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर-1/5-86/638--अत: मुझे, श्री टी० के० साह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2-1/2 स्टोरी मकान सं० 7/21, ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) सोधी नियगी
निवासी 7/21, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री मनदीप कुमार स्याल
निवासी 7/21, (जी० एफ) ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2-1/2 स्टोरी मकान सं० 7/21, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर०–1/5–86/639––अतः मुझे, टी० के० शाह
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० प्रापर्टी सं० सी०–5/5 माडल टाउन दिल्ली, तादादी 254.66 वर्ग गज क्षेत्र में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1986
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती राजरानी पत्नी राम मोहन और श्रीमती वीना रानी पत्नी बृज मोहन
निवासी––सी०–6/3, माडल टाउन, दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्री गोबिंद लाल और महिन्दर नाथ सुपुत्र स्वर्गीय गुरदीता काल्
डी–14ए/13 माडल टाउन, दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी सं० सी–5/5, माडल टाउन, दिल्ली तादादी 254.66 वर्ग गज क्षेत्र।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

दिनांक : 15–1–87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 15 जनवरी 1987

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-6/5-86/एस० आर०-1/645--अतः मुझे, श्री टी० के० साह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1/4 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी सं० एफ 13/9 माडल टाउन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 श्रीमती उषा टंडन पत्नी श्री पन्ना लाल टंडन
2. श्रीमती अनीता टंडन पत्नी किशन किशोर टंडन
3. श्रीमती रंजना टंडन पत्नी श्री कमल किशोर टंडन निवासी-40, कंधारी रोड, आगरा-282002 यू० पी०

(अन्तरक)

(2) श्री मोहन सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह
निवासी--एफ-3/3 माडल टाउन दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1/4 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी सं० एफ०-13/9,
माडल टाउन
दिल्ली ।
क्षेत्र : 112.5 वर्ग गज ।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/5-86/646---एस० आर०-1---अतः मुझे, श्री टी० के. शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1/4 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी सं० एफ-13/9 माडल टाउन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री उषा टंडन पत्नी पन्ना लाल टंडन
2. श्रीमती अनीता टंडन पत्नी किशन किशोर टंडन 3. श्रीमती रंजना टंडन पत्नी श्री कमल किशोर टंडन
निवासी---40 कंधारी रोड आगरा-282002
(अन्तरक)

(2) श्री धनवन्त सिंह सुपुत्र सरदार सरदार सिंह एफ-3/3 माडल टाउन दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/4 अविभाज्य शेयर
प्रापर्टी सं० एफ-13/9,
माडल टाउन,
दिल्ली
क्षेत्र 112.5 वर्ग गज ।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6 दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-6/एस० आर०-1/5-86/647--अतः मुझे श्री टी० के० साह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1/4 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी सं० एफ-13/9 माडल टाउन दिल्ली क्षेत्र 119:5 वर्ग गज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती उषा टंडन पत्नी पन्ना लाल टंडन 2. श्रीमती अनिता टंडन पत्नी किशन किशोर टण्डन 3. रंजना टण्डन पत्नी कमल किशोर टण्डन 40 कांधारी रोड आगरा-282002 यू० पी०।

(अन्तरक)

(2) श्री बलवन्त सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह निवासी--13/9 माडल टाउन दिल्ली क्षेत्र 112.5 वर्ग गज।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/4 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी नं० एफ-13/9 माडल टाउन दिल्ली क्षेत्र तादादी 112:5 वर्ग गज।

टी० के० साह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6 दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/6/एस॰ आर॰-I/5-86/648—अतः मुझे, श्री टी॰ के॰ शाह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ 1/4 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी नं॰ एफ-13/9, तादादी 112.5 वर्ग गज माडल टाउन, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती उषा टण्डन पत्नी पन्ना लाल टण्डन
2. श्रीमती अनिता टण्डन पत्नी किशन किशोर टंडन
3. रंजना टंडन पत्नी कमल किशोर टंडन
40, कंधारी रोड, आगरा-282002 (यू॰पी॰)
(अन्तरक)

(2) श्री तेग सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह
एफ-3/3, माडल टाउन, दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/4 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी नं॰ एफ-13/9, क्षेत्र 112.5 वर्ग गज माडल टाउन, दिल्ली ।

टी॰ के॰ शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/1/6/एस० आर०–2/5–86/291—अतः मुझे, श्री टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्रापर्टी सं० 26/13, क्षेत्र 555 : वर्ग गज पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती महादेवी लता पत्नी के० एल० लता निवासी—26/13, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्री राम भरोसे लाल सुपुत्र गोरधन दास 2. श्रीमती शांति देवी बंसल पत्नी राम भरोसे लाल निवासी—3/385, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी सं० 26/13, क्षेत्र 555:55 वर्ग गज, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–6, नई दिल्ली

दिनांक : 15–1–87

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर-3/5-86/292—अत: मुझे, श्री सी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 42/20, पंजाबी बाग, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जसपाल सिंह सुपुत्र मोहन सिंह,
डी-62, कमला नगर, दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुषमा भल्ला पत्नी सुभाष भल्ला
2. श्रीमती उषा भल्ला पत्नी अशोक भल्ला
3. सुभाष भल्ला 4. अशोक भल्ला सुपुत्र दीवान चन्द
निवासी—32/42, पंजाबी बाग, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हाफ शेयर प्लाट सं० 42/20, पंजाबी बाग, दिल्ली क्षेत्र तादादी 1140.49 वर्ग गज।

टी० के० शाह
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/6/एस० आर०-2 5-86/293—अत: मुझे, श्री टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० है यथा जो मकान एम० पी० एल० सं० बी-2, तादादी 300 वर्ग गज, खसरा सं० 1607, 1651, गांव नारायना, अब्दी इन्दरपुरी, एप्रूव्ड कालोनी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगदीश चन्दर वैद सुपुत्र बी० एन० वैद निवासी—बी-2, इन्दरपुरी, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रवीन कुमार वधवा सुपुत्र स्वर्गीय मनोहर लाल वधवा,
निवासी—सी-71, नरायना विहार, नई दिल्ली
श्रीमती अचला वधवा (पत्नी) पत्नी प्रवीन कुमार वधवा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान बियरिंग एम० पी० एल० सं० बी-2, तादादी 300 वर्ग गज आउट आफ खसरा सं० 1607 और 1651 स्थित क्षेत्र नारायना व अब्दी इन्दरपुरी, एप्रूव्ड कालोनी, नई दिल्ली ।

टी० के० शाह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एस० आर०-3/5-86/294—अतः मुझे, श्री टी० के० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 4/41, डब्ल्यू ई ए, है तथा जो करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ओम प्रकाश सुपुत्र एल० अचरुराज राम साहनी एच-77, कीर्ति नगर, एन० डी० और मिसेस स्वराज कुमारी विडो आफ सूरज प्रकाश साहनी श्री राकेश साहनी और राजेश साहनी सुपुत्र सूरज प्रकाश सहनी ,
के-88, कीर्ति नगर, नई दिल्ली सूरज प्रकाश सहानी एण्ड सन्स के० मेम्बर्स (एच० यू० एफ०)
(अन्तरक)

(2) एस० मन मोहन सिंह मैसर्स श्रीपति गगन कन्स्ट्रक्शन प्रा० लिमि०, 704, प्रगति टावर,
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

4/41, डब्ल्यू० ई० ए०, करोल बाग, नई दिल्ली ।
तादादी 270 वर्ग गज ।

टी० के० शाह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एम.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1987

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/6/एम० आर०-3/5-86/295—अतः मुझे, श्री टी० के० शाह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 15-ए/1, डब्ल्यू ई० ए, करोल बाग, नई दिल्ली तादादी 319 वर्ग गज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० सुधांशु चक्रवर्ती,
15-ए/1, डब्ल्यू ई० ए, करोल बाग, नई दिल्ली
(अन्तरक)

(2) मैसर्स डेनोन इंडिया लिमिटेड,
डी-41, मायापुरी फेस-1, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

15ए/1, डब्ल्यू ई० ए, करोल बाग, नई दिल्ली, तादादी 319 वर्ग गज।

टी० के० शाह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली

दिनांक : 15-1-87
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 14 जनवरी 1987

निदेश सं० III-1424/अर्जन/86-87—अतः मुझे, दुर्गा-प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 865, 868, 1290 वार्ड नं० 2, सर्किल नं० 6, होल्डिंग नं० 609/358 थाना कोतवाली है, तथा जो फ्रेजर रोड, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-5-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के** दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 **का 11) या** उक्त **अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957** (1957 **का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा** के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित **व्यक्तियों अर्थात् :—**

(1) जस्टिस वृषकेतू शरण सिन्हा, 3, मक्डोनेलड रोड, पटना।

(अन्तरक)

(2) निशान्त सहकारी गृह निर्माण समिति, मोना सिनेमा, कामर्शियल कम्पलेक्स पूर्वी गांधी मैदान, पटना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रकबा 16400 वर्ग फीट है और जो कि फ्रेजर रोड पटना में स्थित है और जिसका पूर्ण विवरण वसीका नं० नं० 3788 तिथि 26-5-1986 में वर्णित है एवं जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक, पटना द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 14-1-1987
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1987

धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 फरवरी 1987

सं० एफ० 2/6/86 प० 1(ख)—भारत के राजपत्र दिनांक 21 फरवरी, 1987 में रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, कटक, दिल्ली, दिसपुर (गोहाटी), हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोहिमा, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेअर, रायपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुपति, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर और विशाखापत्तनम में 23 अगस्त, 1987 से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसंद के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवेक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को उस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी (अनुबंध 1, पैरा 11 देखिए)

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उक्त सेवाओं/पदों के निम्नलिखित वर्गों में भर्ती की जाएगी :—

वर्ग I	—सिविल इंजीनियरी
वर्ग II	—यांत्रिक इंजीनियरी
वर्ग III	—वैद्युत इंजीनियरी
वर्ग IV	—इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी

प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं/पदों में लगभग कितनी रिक्तियां हैं, यह नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ग I—सिविल इंजीनियरी

ग्रुप 'क' की सेवाएं/पद

(i)	इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा	*
(ii)	भारतीय रेल भंडार सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)	*
(iii)	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा	28(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 3 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 2 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं)
(iv)	सेना इंजीनियरी सेवा (भवन तथा सड़क संवर्ग)	125(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 18 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 10 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं)
(v)	सैन्य इंजीनियरी सेवा (निर्माण सर्वेक्षक संवर्ग)	21 (3 रिक्तियां अ० जा० हेतु तथा अ० ज० जा० के लिय, 2 रिक्तियां आरक्षित हैं।
(vi)	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)	38 (11 रिक्तियां अ० जा० तथा 6 रिक्तियां अ० ज० जा० के लिये आरक्षित हैं)
(vii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (डाक व तार सिविल इंजीनियरी स्कन्ध)	*
(viii)	भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) सिविल इंजीनियरी पद	*
(ix)	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क'	5**

ग्रुप 'ख' की सेवाएं/पद

(x)	सहायक इंजीनियर (सिविल), आकाशवाणी का सिविल निर्माण स्कंध	*

वर्ग-II—यांत्रिक इंजीनियरी

ग्रुप 'क' की सेवाएं/पद

(i)	यांत्रिक इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा	*
(ii)	भारतीय रेल भंडार सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	*
(iii)	केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा	7 (जिनमें 1 रिक्ति अ० जा० तथा 1 रिक्ति अ०ज०जा० के लिये आरक्षित है)
(iv)	केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	2

(v)	भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (यांत्रिक)	*
(vi)	भारतीय नौसेना आयुद्ध सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	5(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 आरक्षित है)
(vii)	सहायक प्रबन्धक (कारखाना) (डाक व तार दूर-संचार कारखाना संगठन)	*
(viii)	सैन्य इंजीनियरी सेवा (वैद्युत और यांत्रिक संवर्ग) (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	31(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 4 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 3 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित है)
(ix)	कर्मशाला अधिकारी (यांत्रिक) ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय	5(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 रिक्ति आरक्षित है)
(x)	केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	2
(xi)	सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) का पद तकनीकी विकास महानिदेशालय (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	*
(xii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत तथा यांत्रिक) यांत्रिक इंजीनियरी पद, सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'	23**
(xiii)	भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप "क" (यांत्रिक इंजीनियरी पद)	6**
(xiv)	कर्मशाला अधिकारी (यांत्रिक इंजीनियरी पद) ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय	4(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं)

वर्ग-III—वैद्युत इंजीनियरी

ग्रुप 'क' की सेवायें/पद

(i)	वैद्युत इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा	*
(ii)	भारतीय रेल भंडार सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)	*
(iii)	केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)	4(जिनमें 1 रिक्ति अ० जा० के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित है)
(iv)	भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (वैद्युत इंजीनियरी पद)	*
(v)	भारतीय नौसेना आयुद्ध सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद)	5(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित हैं)
(vi)	केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा (विद्युत इंजीनियरी पद)	45(7 रिक्तियां अ० जा० के लिए आरक्षित तथा 5 रिक्तियां अ० ज० जा० के लिए आरक्षित सहित)
(vii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत) डाक व तार सिविल इंजीनियरी स्कंध)	*
(viii)	कर्मशाला अधिकारी (वैद्युत) ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय	2
(ix)	सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी का पद) तकनीकी विकास महानिदेशालय (वैद्युत इंजीनियरी पद)	*

(x)	भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (वैद्युत इंजीनियरी पद)	6**
(xi)	सैन्य इंजीनियर सेवा (वैद्युत और यांत्रिक संवर्ग) (वैद्युत इंजीनियरी पद)	31(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 5 आरक्षित रिक्ति और अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 3 आरक्षित रिक्तियों सहित)
	ग्रुप 'ख' सेवाएं/पद	
(xii)	सहायक इंजीनियरी (वैद्युत) आकाशवाणी सिविल निर्माण विभाग स्कंध	*
(xiii)	कर्मशाला अधिकारी (वैद्युत) ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय	1

वर्ग-IV—इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

(i)	सिगनल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा	*
(ii)	भारतीय रेल भंडार सेवा (दूर संचार/ इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी पद)	*
(iii)	भारतीय दूर संचार सेवा	*
(iv)	इंजीनियर, बेतार योजना और समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन, संचार मंत्रालय	2 (जिनमें 1 रिक्ति अ० जा० के लिये आरक्षित है)
(v)	भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा	*
(vi)	भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद)	*
(vii)	भारतीय नौसेना, आयुद्ध सेवा (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद)	15(अ० जा० के उम्मीदवारों के लिए 1 आरक्षित रिक्ति तथा अ०ज०जा० के लिये 1 रिक्ति सम्मिलित है)
(viii)	केन्द्रीय शक्ति इंजीनियरी सेवा (दूर संचार इंजीनियरी पद)	3 (1 रिक्ति अ० जा० के लिए आरक्षित सहित)।
(ix)	सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) का पद तकनीकी विकास महानिदेशालय, (इलैक्ट्रानिकी दूर संचार इंजीनियरी पद)	*
(x)	भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप "क" (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद)	3**
(xi)	कर्मशाला अधिकारी (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद), ई० एम० ई० कोर, रक्षा मन्त्रालय	1
	ग्रुप 'ख' सेवाएं/पद	
(xii)	कर्मशाला अधिकारी, (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद), ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय	1

विभिन्न सेवाओं और पदों के सामने दिखाई गई रिक्तियां अस्थायी हैं।

उपर्युक्त संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है।

*रिक्तियां सरकार ने सूचित नहीं की हैं।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, यदि कोई होगी, सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

टिप्पणी :—उपर्युक्त सेवाओं/पदों पर भर्ती नियमावली के परिशिष्ट–1 में निर्धारित परीक्षा योजना (योजनाओं) के आधार पर की जाएगी।

3. उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं/पदों में से सब के लिए या किसी एक के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सेवा/पद के वर्ग के लिए परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता हो तो भी उसे एक ही आवेदन–पत्र भेजने की आवश्यकता है। उसे नोटिस के पैरा 6 में उल्लिखित शुल्क केवल एक बार देना होगा और प्रत्येक वर्ग के सेवा/पद, जिसके लिए यह आवेदन कर रहा है, के लिए अलग-अलग शुल्क नहीं देना होगा।

विशेष ध्यान 1—उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों, अपने आवेदन-पत्रों में उनका वरीयता क्रम के अनुसार स्पष्ट उल्लेख करें। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी चाहें उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक का ध्यान रखते हुए, नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर उचित ध्यान दिया जा सके।

विशेष ध्यान 2—उम्मीदवार जिन सेवा/पद से सम्बद्ध वर्ग/वर्गों अर्थात् सिविल इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी और इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी के प्रतियोगी हैं (नियमावली की प्रस्तावना देखिए) उनके अंतर्गत आने वाली सेवाओं/पदों के बारे में उसके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं में परिवर्तन के अनुरोध पर कोई ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसे परिवर्तन का अनुरोध आयोग के कार्यालय में लिखित परीक्षा के परिणाम के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हो जाता है। आयोग या परिवहन मंत्रालय (रेलवे विभाग) उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगा जिसमें उनसे आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए परिशोधित वरीयता निर्दिष्ट करने को कहा जाए।

विशेष ध्यान 3—उम्मीदवार केवल उन्हीं सेवाओं और पदों के लिए अपनी वरीयता बताएं जिनके लिए वे नियमों की शर्तों के अनुसार पात्र हों और जिनके लिए वे प्रतियोगी हों। जिन सेवाओं और पदों के वे पात्र नहीं हैं और जिन सेवाओं और पदों से संबंधित परीक्षाओं में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है उनके बारे में बताई गई वरीयता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान 4—वे विभागीय उम्मीदवार, जिन्हें आयु सीमा में छूट के अधीन (देखिए नियम 5(ख) परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है, अन्य मंत्रालय/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं। तथापि पहले उन्हें उनके अपने ही विभाग में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा और केवल उन विभागों में रिक्तियों के न होने अथवा ऐसे उम्मीदवारों के उनके अपने ही विभागों में सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति में ही उनके द्वारा दी गई वरीयताओं के आधार पर अन्य मंत्रालय/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के संबंध में विचार किया जाएगा।

विशेष ध्यान 5—नियम 6 के उपबंध के अन्तर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त उपबंध में निर्दिष्ट पदों के लिए है, और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को आवेदन करना चाहिए। निर्धारित आवेदन-प्रपत्र तथा परीक्षा से सम्बद्ध पूर्ण विवरण (रु० 2/-) दो रुपये देकर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को मनीआर्डर द्वारा या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिएं। मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर के स्थान पर चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ये आवेदन-प्रपत्र आयोग के काउंटर पर नकद भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। (रु० 2/-) दो रुपये की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी।

टिप्पणी :— उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदनपत्र इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1987 के लिए निर्धारित मुद्रित पत्र में ही प्रस्तुत करें। इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1987 के लिए निर्धारित आवेदन-प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. भरा हुआ आवेदन-पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को 20 अप्रैल, 1987 (20 अप्रैल, 1987) से पहले की किसी तारीख से असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपमंडल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले और जिनका आवेदन-प्रपत्र उपर्युक्त में से किसी एक क्षेत्र से डाक द्वारा प्राप्त होता है उन उम्मीदवारों के मामले में 4 मई, 1987 तक या उससे पहले डाक द्वारा अवश्य भिजवा दिया जाए या स्वयं आयोग के काउंटर पर आकर जमा करा दिया जाए। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले चंबा जिले, के पांगी उपमंडल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आयोग यदि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि वह 20 अप्रैल 1987 से पहले की किसी तारीख से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश

के लाहौल और स्पीति जिले, चम्बा जिले के पांगी उपमंडल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रह रहा था।

टिप्पणी (1) :—जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रों के हैं जहां के रहने वाले आवेदन की प्रस्तुती हेतु अतिरिक्त समय के हकदार हैं उन्हें आवेदन-पत्र के संगत कालम में अपने पतों में अतिरिक्त समय के हकदार इलाके या क्षेत्र का नाम (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू तथा कश्मीर, राज्य का लद्दाख प्रभाग) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ न मिले।

टिप्पणी (2) :—उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों को स्वयं सं० लो० से० आ० के काउण्टर पर जमा कराएं अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। आयोग के किसी अन्य कर्मचारी को दिए गए आवेदन-पत्रों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

6. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन-पत्र के साथ आयोग को 80 00 (अस्सी रुपये) का शुल्क इस प्रकार भेजना होगा जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा नई दिल्ली में देय स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त/राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि जैसी, भी स्थिति हो, के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह "051 लोक सेवा आयोग—परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और उन्हें आवेदन-पत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए।

जिन आवेदन-पत्रों में उक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी उन्हें एक दम अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता जो नीचे के पैरा 7 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क से छूट चाहते हैं।

7. आयोग यदि चाहे तो उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदन या तो 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है या वर्मा से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया था या वह एक मूलतः भारतीय व्यक्ति है जो अक्तूबर 7, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया था या आने वाला है या भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है जो 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था और वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

8. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो किन्तु उसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया हो तो उसे रु० 54.00 (चव्वन रुपये) की राशि वापस कर दी जाएगी। किन्तु यदि नियम 6 के नीचे नोट 1 की शर्तों के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार का आवेदन-पत्र यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि वह अर्हक परीक्षा में असफल रहा है अथवा वह उपर्युक्त नोट के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अन्यथा पालन नहीं कर सकेगा तो वह शुल्क वापसी का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त तथा नीचे के पैरा 9 के उपबन्धों को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

9. यदि कोई उम्मीदवार, 1986 में ली गई इंजीनियरी सेवा परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता हो तो उसे परीक्षाफल या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किये बिना ही अपना आवेदन पत्र अवश्य भेज देना चाहिए ताकि वह आयोग के कार्यालय में निर्धारित तारीख तक पहुंच जाए। यदि वह 1986 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर दिया जाता है तो उसके अनुरोध पर 1987 की परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और शुल्क लौटा दिया जाएगा बशर्ते कि उम्मीदवारी रद्द करने और शुल्क वापस करने का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 1986 की परीक्षा के फाइनल परिणाम के "रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्राप्त हो जाता है।

10. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

11. परीक्षा की नियमावली के परिशिष्ट 1 में परीक्षा योजना में यथासम्मिलित सामान्य योग्यता परीक्षण के प्रश्न-पत्र और सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, वैद्युत् इंजीनियरी और इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार इंजीनियरी में से प्रत्येक के दो प्रश्न-पत्रों में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे। वस्तुपरक परीक्षण और नमूने के प्रश्नों के विस्तृत विवरण के लिए उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका के अनुबंध II को देखिए।

एम० के० कृष्णन, उप सचिव संघ लोक सेवा आयोग

अनुबंध I

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-प्रपत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर यह देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र हैं भी या नहीं। निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा-1 में दिए गए केन्द्रों में किसी एक को जहां वह परीक्षा का इच्छुक है अन्तिम रूप से चुन लेना चाहिए।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा। किन्तु यदि कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 23 जुलाई, 1987 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. उम्मीदवार को आवेदन-पत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से स्याही से या बाल पाइन्ट पैन से ही भरना चाहिए। अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जाएगा।

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र भरते समय उन्हें भारतीय अंकों के केवल अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करना है। चाहे माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख हिन्दी अंकों में दर्ज हो तो भी उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन प्रपत्र में प्रविष्टि करते समय इसको भारतीय अंकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही लिखें। वे इस बारे में विशेष सावधानी बरतें कि आवेदन-पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों। यदि वे प्रविष्टियां अपाठ्य या अस्पष्ट हैं तो उनके निर्वचन में होने वाली अशुद्धि या सन्देह के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होंगे।

उम्मीदवार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा आवेदन-पत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिए कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्हें आवेदन-पत्र सही रूप में भरने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिकी उपक्रमों में या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिएं। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, अथवा जो लोग उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं, उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्य 4/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

3. उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख अवश्य भेजने चाहिएं :—

(1) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किये हुए भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट या शुल्क भेजने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति (देखिए : नोटिस का पैरा 6 और 7 और नीचे पैरा 6)।

(2) आयु के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(4) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 6 से० मी०×7 से० मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां जिस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों।

फोटो की एक प्रति को आवेदन-पत्र के पहले पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए।

(5) लगभग 11.5 से० मी०×27.5 से०मी० के दो बिना टिकट लगे हुए लिफाफे जिन पर आपका पता लिखा हो।

(6) जहां लागू हो वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने का दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए नीचे पैरा 4)।

(7) जहां लागू हो वहां आय में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए नीचे पैरा 5)।

(8) उपस्थिति पत्रक (आवेदन-पत्र के साथ संलग्न) विधिवत भरा हुआ।

टिप्पणी (1) :— उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ उपर्युक्त मद (2), (3), (6) और (7) में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों की केवल प्रतियां ही प्रस्तुत करनी हैं जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हों अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हों। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें उपर्युक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। लिखित परीक्षा के परिणाम संभवतः दिसम्बर, 1987 में घोषित किए जाएंगे उन्हें अपने मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखने चाहिएं। जो उम्मीदवार उस समय अपेक्षित प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनका आगे विचार किए जाने का दावा स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी (2) :— आवेदन पत्रों के साथ भेजी गई सभी प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति पर उम्मीदवार को हस्ताक्षर करने होंगे और तारीख भी देनी होगी।

उपर्युक्त मद (1) से (4) तक में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण नीचे दिये गये हैं और मद (6) और (7) में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण पैरा 4, 5 और 6 में दिये गये हैं :—

(1) (क) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर :

प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः रेखांकित होना चाहिए और उस पर "सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय" लिखा जाना चाहिए।

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विरूपित या कटे-फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सभी पोस्टल आर्डर पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मोहर होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिए कि जो पोस्टल आर्डर रेखांकित नहीं हैं और न ही सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के जनरल डाकघर पर देय हैं उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है।

(ख) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा से प्राप्त किया जाए और वह सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में देय हो तथा विधिवत रेखांकित किया गया हो।

किसी अन्य बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक ड्राफ्ट की पिछली ओर सिरे पर अपना नाम तथा पता लिखना चाहिए। पोस्टल आर्डरों के मामले में उम्मीदवार पोस्टल आर्डर के पिछली ओर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें।

(2) आयु का प्रमाण-पत्र :—आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्व-विद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ-पत्र, नगर निगम से सेवा अभिलेख से प्राप्त सम्बन्धी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पित प्रमाण-पत्र सम्मिलित है।

कभी-कभी मट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसीपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

टिप्पणी 1—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

टिप्पणी 2—उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 3—उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र :—उम्मीदवार को एक ऐसे प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिए जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 6 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास है। भेजा गया प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी परीक्षा निकाय) का होना चाहिए जिसने उसे योग्यता विशेष प्रदान की हो। यदि ऐसे प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि न भेजी जाए तो उम्मीदवार को उसे न भेजने का कारण अवश्य बताना चाहिए और अपेक्षित योग्यता से संबद्ध अपने दावे की पुष्टि में किसी अन्य प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए। आयोग इस साक्ष्य पर उसकी गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा, किन्तु उसे पर्याप्त मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

आयोग को अपना आवेदन-पत्र भेजते समय यदि किसी उम्मीदवार के पास नियम 6 में निर्धारित डिग्री न हो तो उसे नीचे नोट 1 के अधीन दिए गए प्रमाण-पत्र के प्रपत्र के पैरा 1 में निर्धारित प्रपत्र में सम्बद्ध कालेज/विश्वविद्यालय के प्रिंसीपल/रजिस्ट्रार/डीन के लिए इस आशय के एक प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए कि उसने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अवधि अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हाल में 30 नवम्बर, 1987 तक नीचे निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री* ..... ने जो इस कालेज के/की* छात्र/छात्रा हैं ..... परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री प्राप्त करने के/की* पात्र हो गए/गई* है तथा ..... श्रेणी मिली है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री* ..... मास, 19....में वाले/वाली* है/बैठी* है और उक्त परीक्षा के परिणाम की .....19... तक घोषित हो जाने की संभावना है।

हस्ताक्षर
पदनाम
संस्था का नाम
स्थान जहां स्थित है

दिनांक :

*जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें।

टिप्पणी 2—नियम 6 के परन्तुक में उल्लिखित योग्यताओं के साथ परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को सम्बद्ध कालेज/संस्था/विश्वविद्यालय के प्रिन्सीपल/डीन से यह दर्शाने वाले प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें दिए गए विशेष विषयों में से एक विषय लेकर एम० एस० सी० डिग्री परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है/परीक्षा दी है।

(4) फोटोग्राफ :—उम्मीदवारों को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 से०मी० × 7 से०मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां भेजनी चाहिएं। इनमें से एक प्रति आवेदन पत्र के पहले पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए। फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए।

विशेष ध्यान :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के साथ ऊपर पैरा 3(2), 3(3), 3(4), 3(6) और 3(7) में उल्लिखित प्रलेख आदि में से कोई एक संलग्न न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया होगा तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाएगा और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी।

4. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमंडल अधिकारी या नीचे उल्लिखित किसी अन्य अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिये फार्म में प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि

उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी*........ ....सुपुत्र/सुपुत्री* श्री........जो गांव/कस्बा*........जिला/मंडल*....राज्य/संघ* राज्य/क्षेत्र ....जाति/जन जाति* के/की* हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950@

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950@

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951@।

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951@

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूची (आशोधन) 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956@।

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1956@ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित* ।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962@ ।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962@।

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964@ ।

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967@ ।

संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968@ ।

संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968@ ।

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970@ ।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 ।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@।

%2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रव्रजन कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*—————ग्राम/कस्बा* जिला/मण्डल*...............राज्य*/संघराज्य क्षेत्र* ....जो जाति/जनजाति* से सम्बद्ध है जिसे.........राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती.................को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

......................के द्वारा जारी

दिनांक..............

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी* ....और या* उनका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा*........ जिला/मण्डल* राज्य संघ राज्य क्षेत्र.............. राज्य क्षेत्र................में रहते/रहती* है।

हस्ताक्षर.................

पदनाम ....

कार्यालय की मोहर सहित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान..................

तारीख..................

*(जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें)।

@कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।

%जो पैरा लागू नहीं है उसे कृपया काट दें।

टिप्पणी:—यहां प्रयुक्त "आम तौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो कि रिप्रजेन्टेशन आफ दि पिपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है।

**जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची:

(1) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/कलैक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडिशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलैक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट † सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्युटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टैंट कमिश्नर।

† (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)।

(3) चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट/ऐडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(3) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(4) उस इलाके का सब डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(5) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवेलपमेंट अफसर लक्षद्वीप।

5. (1) नियम 5(ख) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये दावा करने वाले सरकारी कर्मचारी को अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष से नीचे दिये फार्म में प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि :—

*(1) श्री/श्रीमती/कुमारी .... कार्यालय/विभाग में ....के पद पर से स्थाई है।

*(2) श्री/श्रीमती/कुमारी .... केन्द्रीय सरकार के अधीन नियमित आधार पर स्थाई रूप से........ ....के पद पर.............से लगातार सेवा में है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

मंत्रालय/कार्यालय ....

कार्यालय की मोहर ....

तारीख ....

स्थान ....

(2) नियम 5 (ग)(2) या 5 (ग)(3) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से लिये गये प्रमाण पत्र को अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है :—

(1) दण्डकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न राज्यों में स्थित राहत शिविरों के शिविर कमांडेंट।

(2) उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट जहां वह इस समय निवास कर रहा है।

(3) अपने-अपने जिलों में शरणार्थी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।

(4) स्वयं प्रभारित सब डिवीजन का सब-डिवीजनल अफसर।

(5) उप शरणार्थी पुनर्वास आयुक्त, पश्चिम बंगाल/निदेशक (पुनर्वास), कलकत्ता।

(3) नियम 5(ग) (4) अथवा 5(ग)(5) के अन्तर्गत निर्धारित आयु में छूट का दावा करने वाले और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क में छूट का दावा करने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिये गये इस आशय के प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है या आने वाला है।

(4) नियम 5(ग)(6) अथवा 5(ग)(7) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छूट का दावा करने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राजदूतावास, रंगून द्वारा दिये गये पहचान प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे जिस क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिये गये प्रमाण पत्र के अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है।

(5) नियम 5(ग) (8) अथवा 5(ग)(9) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक पुनः स्थापना, रक्षा मंत्रालय, से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र लेकर उसकी एक अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का फार्म*

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट.............. के रैंक नम्बर .... श्री......................रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में*/अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर..........

पदनाम..........

दिनांक..........

*जो अंश लागू न हो उसे कृपया काट दें।

(6) जो भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी (आपात कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) नियम 5(ग) (14) 5(ग)(15)5 (ग) 16 अथवा 5 ग (17) की शर्तों के अधीन आयु सीमाओं में छूट का दावा करते है उन्हें सम्बद्ध प्राधिकारियों से निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में उन पर लागू होने वाले प्रमाण पत्र की, एक प्रमाणित/अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये।

(क) कार्यमुक्त सेवा निवृत्त कार्मिकों पर लागू

प्रमाणित किया जाता है कि सं०.....
रैंक .....नाम.....ने
जिसकी जन्म की तारीख.....है,
.....से.....तक सेना/नौसेना वायु सेना में सेवा की है और वे निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी करते हैं।

(क) उन्होंने पांच या पांच से अधिक वर्षों तक सैनिक सेवा की है और कार्यकाल के समापन पर कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्त या कार्यकाल होने के अलावा अन्य आधार पर कार्यमुक्त हुए है।

(ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण.....को कार्य मुक्त हुए हैं।

सक्षम प्राधिकारी का
नाम तथा पदनाम.....
मोहर

स्थान.....
तारीख .....

(ख) सेवारत कार्मिकों पर लागू जिन्हें 6 मास के भीतर कार्य मुक्त किया जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि सं० .....
रैंक.....नाम.....
.....
.....
जिनकी जन्म तिथि..... है,
.....से सेना नौसेना/वायुसेना में सेवा कर रहे हैं।

2. उन्हें.....से कार्य मुक्त सेवा निवृत्त होना है। उनका पांच वर्ष का कार्यकाल ..... तक समाप्त होने की संभावना है।

सक्षम प्राधिकारी का नाम
तथा पदनाम.....
मोहर

स्थान.....
तारीख.....

(ग) यह उन सेवारत कार्मिको पर लागू होगा जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारम्भिक नियुक्ति की अवधि पूरी कर ली है और बढ़ाई गई अवधि पर कार्य कर रहे हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं० .....
रैंक.....नाम.....
जिनकी जन्म तिथि.....है, और
वह.....से सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवारत है।

2. उन्होंने पहले ही प्रारम्भिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा.....को पूरी कर ली है और अब वे .....तक बढ़ाये गये कार्यकाल पर है।

3. उन्हें सिविल रोजगार हेतु आवेदन पत्र देने के लिये कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से चयन हो जाने पर तीन माह के नोटिस पर कार्य मुक्त किया जायेगा।

सक्षम प्राधिकारी का नाम
तथा पदनाम.....
मोहर

स्थान .....

तारीख .....

प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं :—

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में —

थल सेना—मिलिटरी सेक्रेटरी की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना—कार्मिक निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना—कार्मिक निदेशालय, (अधिकारी) वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली।

(ख) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अन्य रैंकों तथा समकक्ष अधिकारियों के मामले में :—

सेना—विभिन्न रेजिमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा
नौसेना—बी० ए० बी० एस० बम्बई।
वायु सेना—वायुसेना रिकार्ड एन० ई० आर० डब्ल्यू० नई दिल्ली।

(7) नियम 5(ग)(10) या 5(ग) (11) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी है, इसके जिला मजिस्ट्रेट से लिये गये प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहियें कि यह वियतनाम से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है।

(8) नियम 5(12) या 5(ग) (11) के अन्तर्गत आयु में छूट चाहने वाले कीनिया, युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन कर आये हुए या जाम्बिया, मलावी, जरे तथा इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हुए उम्मीदवार को उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है लिये गये प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करना चाहिये कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से प्रव्रजन कर आया है।

(9) नियम 5(ग) (18) या नियम 5(ग) (19) के अन्तर्गत आयु में छूट और/या नोटिस के पैरा 7 के अन्तर्गत शुल्क में छूट चाहने वाले भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी प्राधिकारी से इस आशय के मांग पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये कि यह भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है जो 1 जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान, भारत प्रव्रजन कर चुका था—

1. विभिन्न राज्यों में ट्रांजिट केन्द्र या राहत शिविरों के शिविर कमांडेंट;

2. उस इलाके का जिला मैजिस्ट्रेट जिसमें वह फिलहाल रहता हो;

3. अपने-अपने जिलों में शरणार्थी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट;

5. अपने प्रभारान्त प्रान्त सब-डिवीजन के अन्दर सब-डिवीजनल अफसर;

5. शरणार्थी पुनर्वास का उपायुक्त।

(10) असम में रहने वाले व्यक्ति को, जो नियम 5(ग) (20) अथवा 5(ग)(21) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट चाहता है, उसको सम जिला मैजिस्ट्रेट अथवा सब-डिविजनल अफसर से जिसके क्षेत्राधिकार मे वह साधारणतः निवासी रहा हो इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह 1 जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 की अवधि के दौरान असम राज्य का प्रवासी रहा था।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....
.....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....
जो..... गांव/कस्बा.....पुलिस
स्टेशन.....उपमण्डल.....
जिले.....में पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान ..... से ..... तक असम राज्य के निवासी थे।

जिला मजिस्ट्रेट

.....

जिला.....

उपमण्डल जिला अधिकारी

.....

.....उप मण्डल

मोहर

जारी करने की तारीख

6. जो उम्मीदवार ऊपर पैरा 5(2) (3) (4) और 5(9) में से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत नोटिस के पैरा 7 के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करता है उसको किसी जिला अधिकारी या सरकार के राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के सदस्य से यह दिखलाने के लिये कि वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है इस आशय का एक प्रमाणित पत्र लेकर उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

7. जिस व्यक्ति के लिये पात्रता प्रमाण पत्र अवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार के रेल शहरी विकास/रक्षा/ऊर्जा/जल संसाधन/संचार वाणिज्य/सूचना और प्रसारण उद्योग मंत्रालय द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने के बाद ही दिया जायेगा।

8. उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रवेश अथवा उसकी प्रति की किसी प्रविष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें, न उसमें परिवर्तन करें और न कोई फेर बदल करें और न ही कोई फेर बदल किये गये/झूठे प्रवेश प्रस्तुत करें। यदि ऐसे दो या उससे अधिक प्रवेशों या इनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि अथवा विसंगति हो तो विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जायें।

9. आवेदन पत्र देर से प्रस्तुत किये जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जायेगा कि आवेदन प्रपत्र ही अमुक तारीख को भेजा गया था। आवेदन प्रपत्र का भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि आवेदन प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

10. आयोग के कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र जिसमें देर से प्राप्त आवेदन पत्र भी सम्मिलित है की पावती दी जाती है तथा आवेदन पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण संख्या सूचित कर दी जाती है यदि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित अन्तिम तारीख से एक मास के अन्दर पावती नहीं मिलती है तो उसे तत्काल आयोग से पावती हेतु सम्पर्क करना चाहिये।

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण संख्या सूचित कर दी गई है अपने आप यह अर्थ नहीं कि आवेदन पत्र सभी प्रकार पूर्ण है और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

11. इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जायेगी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जायेगा। यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिये उसे आयोग तत्काल सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किये जाने के दावे से वंचित हो जायेगा।

12. संघ लोक सेवा आयोग में "संघ लोक सेवा आयोग की वस्तु पूरक परीक्षार्थी हेतु उम्मीदवार विवरणिका" शीर्षक से एक समूल्य पुस्तिका छापी है। यह पुस्तिका सं० लो० से० आयोग की परीक्षाओं या चयनों के भावी उम्मीदवारों को सहायता देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

यह पुस्तिका और पिछली परीक्षाओं की नियमावली तथा पारम्परिक प्रकार के प्रश्न पत्रों का उल्लेख करने वाले पैम्पलैटों की प्रतियां प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 के पास बिक्री के लिये सुलभ है और इन्हें उनसे सीधे मेल आर्डर द्वारा या नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें केवल नकद भुगतान पर (1) किताब महल, खिचोली सिनेमा के सामने, एम्पोरिया बिल्डिंग "सी" ब्लाक, बाबा खड़ग सिंह मार्ग दिल्ली–110001 और (2) उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 स्थित प्रकाशन शाखा का बिक्री काउण्टर और (3) गवर्नमेंट आफ इण्डिया बुक डिपो, 8 के० एस० राय रोड, कलकत्ता–700001 से भी लिया जा सकता है। मैनुअल पैम्पलैट भारत सरकार प्रकाशनों के विभिन्न मुफसिल शहरों में स्थित एजेंटों से भी उपलब्ध है।

13. आवेदन पत्र से सम्बद्ध पत्र व्यवहार —आवेदन पत्रों से सम्बन्द्ध सभी पत्र आदि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110011, को भेजे जायें तथा उनमें नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाये:—

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का महीना और वर्ष

(3) उम्मीदवार की आवेदन पंजीकरण सं० रोल नम्बर अथवा जन्म की तारीख, यदि आवेदन पंजीकरण सं०/अनुक्रमांक सूचित नहीं किया गया है।

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)

(5) आवेदन पत्र में दिया गया पत्र व्यवहार का पता

विशेष ध्यान (1):—जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होता, संभवत: उन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

विशेष ध्यान (2):—परीक्षा के समाप्त हो जाने के बाद यदि उम्मीदवार से कोई ऐसा पत्र सूचना प्राप्त होती है जिस पर उसने अपना नाम और अनुक्रमांक नहीं लिखा है तो ऐसे पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा और न ही उन पर कोई कार्रवाई की जायेगी)।

14. पते में परिवर्तन:—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिये कि उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना उपर्युक्त पैरा 13 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ, यथाशीघ्र दी जानी चाहिये यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में यह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

अनुबन्ध–II

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका

(क) वस्तुपरक परीक्षण

नियमावली के परिशिष्ट–1 में इंजीनियरी की प्रत्येक ज्ञान विद्या (अर्थात् सिविल, यांत्रिक, वैद्युत और इलैक्ट्रानिकी दूर संचार के अन्तर्गत) भाग–1 के प्रश्न पत्र में आपको परीक्षा "वस्तुपरक परीक्षण" के नाम से जानी जायेगी इस प्रकार की परीक्षा (परीक्षण) में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसके आगे प्रश्नांश कहा जायेगा). के लिये कई सुझाये गये उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जायेगा) दिये जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक उत्तर चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

(ख) परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न पत्र "परीक्षण पुस्तिका" के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3—आदि के क्रम प्रश्नांश होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे ए, बी सी, डी, चिन्ह के साथ सुझाये गये प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम एक सही या यदि आपको एक से अधिक प्रत्योत्तर सही लगे तो उनमें से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा। (अन्त में दिये गये नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक सही प्रत्युत्तर का चुनाव करना

होगा। यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

(ग) उत्तर देने की विधि

परीक्षा भवन में आपको अलग एक उत्तर पत्रक दिया जायेगा जिसकी एक नमूना प्रति आपको प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ भेजी जायेगी। आपको अपने प्रत्युत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। परीक्षा पुस्तक में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गये उत्तर नहीं जांचे जायेंग।

उत्तर पत्रक (नियमावली के अन्त में नमूना संलग्न) में प्रश्नांशों की संख्यायें 1 से 160 तक चार खण्डों में छापी गई है। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने, ए, बी, सी, डी चिह्न वाले वृत्ताकार स्थान छपे होते हैं। परीक्षा पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है आपको उस प्रत्युत्तर के उत्तर वाले वृत्त को पैंसिल में पूरी तरह काला बनाकर उसे अंकित कर देना है, जैसाकि (आपका उत्तर दर्शाने के लिये) नीचे दिखाया गया है। उत्तर-पत्रक के वृत्त को काला बनाने के लिये स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

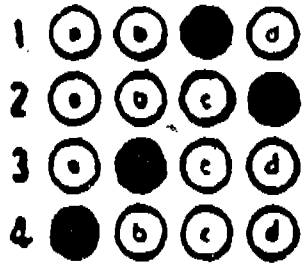

यह जरूरी है कि :—

1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिये केवल अच्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल (पेंसिलें) ही लायें और उन्हीं का प्रयोग करें।

2. गलत निशान को बदलने के लिये उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगा दें। इसके लिये आप अपने साथ एक रबड़ भी लायें।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे वह फट जाये या उसमें मोड़ व सिलवट आदि पड़ जाये या वह खराब हो जाये।

(घ) कुछ महत्वपूर्ण विनियम

1. आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिये निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक निरीक्षक/पर्यवेक्षक को सौंप दें। आपको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जायेगा।

5. आपको उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में भरना होगा। आपको कुछ विवरण उत्तर पत्रक पर कूटबद्ध भी करने होंगे। इसके बारे में आपके नाम अनुदेश प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ भेजे जायेंगे।

6. परीक्षण पुस्तिका में दिये गये सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नम्बर कम हो सकते हैं। अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के प्रत्युत्तर के लिये आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षण किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ या समाप्त करने को कहें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र साथ लायें, आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ एक क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लायें जिस पर कुछ लिखा न हो। आपको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज का टुकड़ा या पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। मांगने पर कच्चे काम के लिये आपको एक अलग कागज दिया जायेगा। आप कच्चा काम या शुरू करने से पहले उस पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर और परीक्षण की तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस कर दें।

(ङ) विशेष अनुदेश

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद निरीक्षक आपको उत्तर पत्रक देंगे। उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका देंगे। परीक्षण पुस्तिका मिलने पर आप यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा, उसे बदलवा लें। परीक्षण पुस्तिका को खोलने से पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक लिख दें। आपको परीक्षण पुस्तिका तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवेक्षक ऐसा करने के लिये न कहें।

(च) कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना है, फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का यथा सम्भव दक्षता से उपयोग करें। सन्तुलन के साथ आप जितनी जल्दी काम कर सकते हैं, करें पर लापर-

चाही न हो। आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिन्ता न करें। आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे। उन सभी के उत्तर दें। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही आपको अंक दिये जायेंगे। गलत उत्तर के लिये अंक नहीं काटे जायेंगे।

(छ) परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बन्द करने को कहें, आप लिखना बन्द कर दें। आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके पास आकर आपसे सभी आवश्यक वस्तुएं ले जायें और आपको हाल छोड़ने की अनुमति दें। आपको परीक्षण पुस्तिका और उत्तर फलक तथा कच्चे कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न)

नोट—*सही/सर्वोत्तम (उत्तर विकल्प को निर्दिष्ट करता है)

1. सामान्य अध्ययन

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित में से किस कारण से रक्त स्राव होता है ?

(a) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब से कम होता है।

*(b) रक्त का दाब वायु मण्डल के दाब से अधिक होता है।

(c) रक्त वाहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी शिराओं पर दाब समान होता है।

(d) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब के अनुरूप घटता-बढ़ता है।

2. (English)

(Vocabulary—Synonyms)

There was a *record* turnout of voters at the municipal elections.

(a) exactly known

(b) only those registered

(c) very large

*(d) largest so far

3. कृषि

अरहर में फूलों का झड़ना निम्नलिखित में से किसी एक उपाय से कम किया जा सकता है।

*(a) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव

(b) दूर-दूर पौधे लगाना

(c) सही ऋतु में पौधे लगाना

(d) थोड़े-थोड़े फासले पर पौधे लगाना

4. (रसायन विज्ञान)

H_3VO_4 का एनहाइड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता है ?

(a) VO_2

(b) VO_4

(c) V_2O_3

*(d) V_2O_5

5. (अर्थशास्त्र)

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है ?

*(a) सीमान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो।

(b) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पादन दोनों बराबर हों।

(c) मजदूरी सीमांत राजस्व उत्पाद से अधिक हो।

(d) मजदूरी सीमांत भौतिक उत्पाद के बराबर हों।

6. (वैद्युत इंजीनियरी)

एक समाक्ष रेखा को आपेक्षिक पैरावैद्युतांक 9 के पैरा-वैद्युत से सम्पूरित किया गया है। यदि C मुक्त अन्तराल में संचरण वेग दर्शाता है तो लाइन में संचरण का वेग क्या होगा ?

(a) 3C

(b) C

*(c) C/3

(d) C/9

7. (भूविज्ञान)

बैसाल्ट में 'प्लेजिओक्लेस' क्या होता है।

(a) आलिगोक्लज

*(b) लेब्रोडोराइट

(c) अल्बाइट

(d) एनाथाईट

8. (गणित)

मूल बिन्दु से गुजरने वाला और $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = \emptyset$ समीकरण को संगत रखने वाला वक्र परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट है ?

(a) $y = a^x + b$

*(b) $y = a^x$

(c) $y = ae^x + be^x$

(d) $y = ae^x - a$

9. (भौतिकी)

एक आदर्श ऊष्मा इंजन 400°K और 300°K तापक्रम के मध्य कार्य करता है। इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ?

(a) 3/4

*(b) (4—3)/4

(c) 4/(3+4)

(d) 3/(3+4)

10. (सांख्यिकी)

यदि द्विपद विचर का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित में से क्या होगा ?

(a) 4^2

*(b) 3

(c) x

(d)—5

11. (भूगोल)

बर्मा के दक्षिणी भाग की अत्याधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित में से क्या है ?

(a) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है।

*(b) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है।

(c) यहां श्रेष्ठ वन संपदा है।

(d) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी भाग में हैं।

12. (भारतीय इतिहास)

ब्राह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ?

(a) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी।

(b) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड और आडंबर से पूर्ण धर्म था।

*(c) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ, बलि संबंधी यज्ञ कर्म का महत्व कम हो गया।

(d) व्यक्ति के जीवन-विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे।

13. (दर्शन)

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन सा है ?

(a) बौद्ध, न्याय, चार्वाक, मीमांसा

(b) न्याय, वशेषिक, जन और बौद्ध, चार्वाक

(c) अद्वैत, वेदांत, सांख्य, चार्वाक, योग

*(d) बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, चार्वाक

14. (राजनीति विज्ञान)

"वृत्तिगत प्रतिनिधान" का अर्थ निम्नलिखित में से क्या

*(a) व्यवसाय के आधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन।

(b) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन।

(c) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव।

(d) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व।

15. (मनोविज्ञान)

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किसको निर्देशित करती है ?

(a) लक्ष्य संबंधी आवश्यकता में वृद्धि भावात्मक।

*(b) अन्तर्नोद अवस्था में न्यूनता

(c) व्यावहारिक अधिगम

(d) पक्षपात पूर्ण अधिगम

16. (समाजशास्त्र)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की निम्न में से कौन-सी उपलब्धि है ?

*(a) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को औपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

(b) छुआछूत कम हुई है।

(c) वंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है।

(d) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है।

टिप्पणी :—उम्मीदवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा के पाठ्यचर्या के अनुसार हों।

ENFORCEMENT DIRECTORATE
(FOREIGN CHANGE REGULATION ACT)

New Delhi-3, the 27th January 1987

No. A-11/10/76.—Director of Enforcement hereby appoints Shri A. K. Lawande, Enforcement Officer in this Directortae to officiate as Chief Enforcement Officer on ad-hoc basis for a period of six months in Jaipur Field Unit of this Directorate with effect from 5-1-1987 (Forenoon).

KALI CHARAN
Chief Enforcement Officer (ADMN)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Dlhi, the 30th January 1987

No. 2/3/87-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Sari K. L. Arora a permanent P.A. as Sr. P.A. in the Commission on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 with effect from the forenoon of 14-1-1987 for a period of three months or until further orders whichever is earlier.

MANOHAR LAL
Under Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi, the 22nd January 1987

No. O.II-2/85-Adm-3.—Shri Mohan Singh, Section Officer on promotion as JAD(A/Cs)/Audit Officer on ad-hoc basis has taken charge as Audit Officer on 13-1-87 (FN) in Internal Audit Party (North Zone) CRPF, New Delhi.

No. O.II-5/87-Adm-3.—Shri J. L. Bajaj, Subedar Major (Office Supdt.) on promotion as Section Officer has taken charge on 16-1-1987 (FN) in Directorate General, CRPF, New Delhi.

Sd/- ILLIGIBLE
Deputy Director (Adm)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 20th January 1987

No. E-16013(2)/23/82-Pers.I/115.—In supersession of this Hqrs. notification of even number dated 30th October, 1986, Shri Dilip Mitra, IPS (WB : 76) has been relieved of the charge of the post of Commandant, CISF Unit, DSP Durgapur with effect from the afternoon of 7th January, 1987.

The 23rd January 1987

I

No. E-28017/10/84-Pers.II/139.—Consequent on his retirement from Government service on attaining the age of superannuation, Shri S. C. Jana, relinquished change of the post of Commandant, CISF Unit Durgapur Steel Plant, Durgapur, in the afternoon of 31st December, 1986.

II

Consequent on his retirement from Government service on attaining the age of superannuation, Shri K. N. Saksena, relinquished charge of the post of Commandant, CISF Unit BALCO Korba, Balco Nagar, Distt. Bilaspur, in the afternoon of 31st December, 1986.

III

Consequent on his retirement from Government service on attaining the age of superannuation, Shri P. K. R. Nair, relinquished charge of the post of Commandant, CISF Unit FACT Cochin Division, Cochin, in the afternoon of 31st December, 1986.

D. M. MISRA
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE
OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Cochin-682031, the 26th December 1986

No. 1/86.—The Collector is pleased to appoint Shri A. Radhakrishna Marar, Inspector of Central Excise to the grade of Supdt. Group 'B' of Central Excise & Customs in the pre-revised scale of Rs 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB 40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. Group 'B' at Central Excise Hqrs. Office Cochin in the Forenoon of 23-7-1986.

No. 2/86.—The Collector is pleased to appoint Shri P. Radhakrishnan (No. II), Inspector of Central Excise & Customs to the grade Supdt. Group 'B' of Central Excise in the prerevised scale of Rs 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. Group 'B' as Special Customs Preventive Unit, Kashangad in the Forenoon of 31-7-86.

No. 3/86.—The Collector is pleased to appoint Shri K. Sankaranaravanan, Office Supdt. to the grade of Administrative Officer (Group 'B') in the pre-revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Administrative Officer, Central Excise Divisional Office Cannanore on *ad-hoc* basis from 30-3-85, F.N. and on regular basis from 21-7-86 F.N.

No. 4/86.—The Collector is pleased to appoint. Shrimati V. P. Sarojini, Office Supdt., to the grade of Asst. Chief Accounts Officer (Group 'B') in the pre-revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Asstt. Chief Accounts Officer (No. II), Central Excise Hqrs. Office Cochin on ad-hoc basis from 5-12-85 F.N. and on regular basis from 21-7-86 F.N.

No. 5/86.—The Collector is pleased to appoint Shri S. Jayaraman, Inspector of Central Excise and Customs to the grade of Supdt. of Central Excise (Group 'B') in the pre-revised scale of Rs. 650-30-740-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. (Group 'B') of Central Excise and Custom at Custom House, Kozhikode (SCP Division, Kozhikode) in the Forenoon of 22-9-86.

No. 6/86.—The Collector is pleased to appoint Shri N Sankaran Nair, (No. II), Inspector of Central Excise & Customs to the grade of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs in the pre-revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs at Quilon I Range of Central Excise Division, Trivandrum, in the forenoon of 16-10-86.

No. 7/86.—The Collector is pleased to appoint Shri C. Ayyappan Pillai, Inspector of Central Excise & Customs to the grade of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs in the pre-revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs at Vandiperiyar Range, Central Excise Division Kottayam in the Afternoon of 14-10-86.

No. 8/86.—The Collector is pleased to appoint Shri N. Madhavan Ezhuthachan, Inspector of Central Excise and Customs to the grade of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs in the pre-revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs at Kalamassery II Range, Central Excise Division I, Ernakulam in the forenoon of 3-11-1986.

No. 9/86.—The Collector is pleased to appoint Shri V. E. D'Silva, Inspector of Central Excise & Customs to the grade of Supdt. (Group 'B') of Central Excise and Customs in the pre-revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs at Punalur Range of Central Excise Division in the forenoon of 3-11-1986.

No. 10/86.—The Collector is pleased to appoint Shri K. M. Edison, Inspector of Central Excise & Customs, to the grade of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs in the revised scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/-.

2. The Officer accordingly assumed charge of the post of Supdt. (Group 'B') of Central Excise & Customs in the Internal Audit Branch of Central Excise Collectorate, Cochin in the forenoon of 1-12-86.

C. No. II/39/219/85-Estt.I.

M. A. ALLAM
Deputy Collector (P & E)

Jaipur, the 29th January 1987

No. II-3(5)Estt.I/86/10.—The Collector is pleased to appoint the following Inspectors of Central Excise & Customs, Jaipur in the grade of Superintendent Group 'B' from the date mentioned against their names in the pay scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/-.

S. No.	Name	Date of appointment in the grade of Supdt. Grade 'B'	Place of posting on promotion
	S/Shri		
1.	Wadi Lal	5-3-86 (F.N.)	C. Ex. Division, Ajmer.
2.	K. L. Sharma	7-8-86 (F.N.)	C. Ex. Hqrs. Jaipur
3.	J. N. Sharma	26-8-86 (F.N.)	C. Ex. Div. Jaipur.
4.	Madan Singh	8-7-86 (F.N.)	C. Ex. Div., Udaipur
5.	S. C. Verma	30-6-86 (F.N.)	C. Ez. Div. Kota
6.	S. B. Gupta	18-9-86 (F.N.)	C. Ex. Hqrs., Jaipur
7.	K.C. Patel	23-9-86 (F.N.)	C. Ex. Div., Jodhpur.

8. On his termination of deputation as Assistant Registrar Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, Madras Shri V. V. Subramanian has joined as Admn. Officer (Hqrs.) at Central Excise Collectorate, Jaipur on 10-7-86 in forenoon.

KISHAN SINGH
Deputy Collector (P&E)

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, INDIA SECURITY PRESS

Nasik Road, the 22nd January 1987

No. 604/A.—S/Shri G. A. Pagare and T. V. Ulahanan are appointed to officiate as Security Officers (Group 'B' Gazetted) in Currency Note Press and India Security Press on *ad-hoc* basis on usual terms and conditions for the periods as mentioned below :—

(a) From 3-4-1982 to 24-9-1982

(b) From 4-7-1984 to 3-4-1985

The date shown as 14-4-1986 in the Notification No. 390/A dated 19-9-1986 stands amended as 15-4-1986.

P. S. SHIVARAM
General Manager

BANK NOTE PRESS

Dewas, 24th January 1987

No. BNP/C/5/87.—In continuation of this office's Notification No. BNP/C/59/85 dated 10-9-85 the terms of appointment of Shri Hawaldar Singh as Accounts Officer on deputation is extended upto 30-4-87 (AN) or till such time the eligible persons are available for promotion, whichever is earlier on the same terms and conditions.

M. V. CHAR
General Manager

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT COMMERCE WORKS & MISC-I

New Delhi, the 23rd January 1987

No. Admn.II/2(1)/IX/2211.—The Director of Audit, Commerce, Works & Misc-I, New Delhi has ordered the promotion of the following Assistant Audit Officers as temporary Audit Officers on provisional basis in the scale of Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500 from the dates shown against each.

S. No.	Name	Date of promotion
	S/Shri	
1.	V. Vasudeva Murthy	31-3-86
2.	E.M. Warrier	17-3-86
3.	V. D. Vasudeva	29-5-86
4.	B. K. Das	1-5-86
5.	J. P. Mittal-I	15-7-86
6.	J. P. Mittal-II	13-6-86
7.	Bodh Raj	8-12-86
8.	D. D. Gupta	19-12-86
9.	R. D. Mathur	17-12-86
10.	B. S. Sharma	17-12-86 (A.N.)

The 28th January 1987

No. Admn.III/2(8)/AAO/84-87/2299.—The Director of Audit, Commerce, Works & Misc-I, New Delhi has ordered the promotion of the following Section Officer's as temporary Assistant Audit Officers (Group 'B' Gazetted) on provisional basis in the scale of Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200 from the dates shown against each.

S. No.	Name	Date of Promotion
	S/Shri	
1.	V. Karupavaram	1-1-87
2.	B. P. S. Tomar	Do.
3.	Raghubir Chand	Do.
4.	Gulshan Lal	Do.
5.	Akhil Kumar	Do.
6.	Chander Kumar	Do.

A. C. GARG
Joint Director (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT, CENTRAL

Calcutta-700001, the 29th January 1987

No. Admn. I/C/490/2844-47.—The Director of Audit, Central, Calcutta has been pleased to appoint the following Audit Officers of this office in substantive capacity in the Audit Officers' Grade with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of confirmation
	S/Shri	
1.	Nalinaksha Roy	28-12-85
2.	Sudhir Ranjan Roy	1-1-86
3.	Panchanan Das	1-6-86
4.	Ramendra Kumar Sensarma	1-6-86
5.	Rabidas Naskar (SC)	8-7-86
6.	Kanta Charan Barman (SC)	1-9-86
7.	Arun Baran Choudhury	1-10-86
8.	Amit Kumar Biswas	1-10-186

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director of Audit (A)
Central

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 21st January 1987

No. Admn. 1/8-132/86-87/156.—Shri S. Subramaniam-IV, Audit Officer, Office of the Accountant General (Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad retired from service on the A.N. of 30-11-1986.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I GUJARAT

Ahmedabad-380001, the 23rd January 1987

No. Estt.(A)/GO/3(39)3013.—The Accountant General (Audit)-I, Gujarat, Ahmedabad is pleased to appoint the following Section Officers (Audit) to officiate as Asstt. Audit Officers in the Office of the Accountant General (Audit), Gujarat, at Ahmedabad/Rajkot with effect from the dates shown against each until further orders.

	S/Shri		
1.	D. Eswaran	8-1-86 (A.N.)	Ahmedabad
2.	R. I. Bhavsar	Do.	Do.
3.	V. R. Shah-II	Do.	Do.
4.	R. J. Ahya	Do.	Rajkot

The above is provisional and subject to the outcome in the Special Civil Application No. 388 of 1984 in Honourable High Court of Gujarat.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (ADMN.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I KARNATAKA

Bangalore, the 23rd December 1986

OFFICE ORDER

No. AG (Au) I/Admn I/A-1/86-87/510.—The Accountant General (Audit) I is pleased to promote Shri K. R. Parthasarathy, Assistant Audit Officer as Audit Officer in the scale of Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500 in a purely temporary capacity until further orders, without prejudice to the claims of Seniors, if any, with effect from the date of taking over charge in this office.

Consequent on his promotion as Audit Officer, the option to be exercised for fixation of pay in the higher scale as per Govt. of India, decision (15) below FR 22 (c), Swamy's Compilation (VII Edition) (GIMHA Department of Personnel & A. R. O. M. No. 7/1/80 Estt. P. I. dated 26th September, 1981) should be exercised by him within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (ADMN.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I MAHARASHTRA

Bombay-20, the 13th January 1987

No. Admn.I/Audit/Genl/AO/I(1)/6.—The Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Bombay is pleased to appoint the following Asstt. Audit Officers to Officiate as Audit Officers with effect from the date mentioned against their names, until further orders :—

Sr. No.	Name	Date of appointment as A.O.
1.	Shri V. G. Surve	1-12-1986 (Forenoon)
2.	Shri M. N. Khandare	19-12-1986 (Forenoon)
3.	Shri R. N. Ramteke	16-12-1986 (Forenoon)

The 20th January 1987

No. Admn.I/Audit/Genl/AAO/2(1)/8.—The Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Bombay is pleased to appoint the following Section Officers to officiate as Assistant Audit Officers (Group B-Gazetted), with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

1. Smt. M. Verghese	1-1-1987 (F.N.)
2. Shri P.R. Khanzode	2-1-1987 (F.N.)
3. Shri T. P. Mishra	1-1-1987 (F.N.)
4. Smt. V. Gopalakrishnan	5-1-1987 (F.N.)
5. Shri P. P. Hiwarekar	1-1-1987 (F.N.)
6. Smt. Sagaya George	1-1-1987 (F.N.)
7. Shri S. V. Kathawate	1-1-1987 (F.N.)
8. Smt. Indira Ramakrishnan	1-1-1987 (F.N.)

Sd/- ILLIGIBLE
Sr. Deputy Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT DEFENCE SERVICES

New Delhi, the 22nd January 1987

No. 4501/Admn./130/86.—Director of Audit, Defence Services is pleased to appoint the undermentioned officiating Asstt. Audit Officers to officiate as Audit Officers until further orders from the date noted against each :—

Sl. No.	Name & Designation	Office in which appointed	Date from which appointed
	S/Shri		
1.	B. K. Khanna, Asstt. Audit Officer	Jt. Director of Audit (Ordnance Factories), Kanpur	13-10-86
2.	Om Prakash-I, Asstt. Audit Officer	Dy. Director of Audit, Defence Services, N.C. Jammu.	12-11-86
3.	A. K. Adhikari, Asstt. Audit Officer	Jt. Director of Audit Defence Services (EC) Patna.	1-12-86
4.	Tulsi Das, Asstt. Audit Officer	Dy. Director of Audit, Defence Services (NC) Jammu.	5-1-87
5.	S. N. Singh Asstt. Audit Officer	Director of Audit (Air Force/Navy) New Delhi.	31-12-86 (A.N.)

B. S. GILL
Joint Director of Audit
Defence Services

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta, the 28th January 1987

No. 1/G/87.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of Staff Officers with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Sabitangsu Prakash Goswami	1-8-83
2.	Dhirendra Nath Saha (SC)	1-8-83
3.	Dilip Kumar Mitra (II)	1-8-83
4.	Barindra Nath Ghosh	1-8-83
5.	Amiya Kumar Basu	28-2-85

M. A. ALAHAN
Jt. Director (G)

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 14th November 1986

No. A-31012(50)/85-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director (Grade II) (Leather/Footwear) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of the officer	Date from which appointed in a substantive capacity
	S/Shri	
1.	K. K. Makkar	31-12-1985
2.	M. G. Seshadari	31-12-1985
3.	K. S. Naidu	31-12-1985

No. 31013(52)/85-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri P. C. Bhavsar to the post of Asstt. Director (Grade II) (Food Preservation) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from 25-11-1985.

The 17th November 1986

No. A-31012(47)/85-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director (Grade II) (Electrical) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of the officer	Date from which appointed in a substantive capacity
	S/Shri	
1.	B. Sukumaran	8-11-85
2.	M. R. Padmanabhan	8-11-85

No. 31012(49)/85-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director (Grade II) (Chem.) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of the officer	Date from which appointed in a substantive capacity
	S/Shri	
1.	K.S. Rajan	31-12-1985
2.	R. Mukhopadhyay	31-12-1985
3.	V. G. Wani	31-12-1985
4.	P.A.S. Subramaniam	31-12-1985
5.	A. Mukherjee	31-12-1985
6.	P. N. Patodia	31-12-1985

No. A-31013(42)/85-Admn. (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director (Grade II) (Mechanical) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of the officer	Date from which appointed in a substantive capacity
	S/Shri	
1.	K. C. Anujan Raja	31-12-1985
2.	R. S. Ganguly	31-12-1985
3.	R. N. Nandi	31-12-1985
4.	J. L. Kaul	31-12-1985
5.	H. N. De	31-12-1985
6.	K. K. Sikka	31-12-1985
7.	S. Ardhuman Singh	31-12-1985
8.	P. R. S. Raman	31-12-1985
9.	K. S. Dharamraju	31-12-1985
10.	T. D. Srinivasan	31-12-1985
11.	N. V. Venkataraman	31-12-1985

The 27th November 1986

No. A. 31013(42)/85-Admn. (G).—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director (Grade I) (Industrial Management Training) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of the Officer	Date from which appointed in a substantive capacity
1	2	3
	S/Shri	
1.	J. B. Ramamurthy	31-12-1985
2.	A. P. Bose	31-12-1985
3.	K. T. Sambandham	31-12-1985
4.	A. K. Sarkar	31-12-1985
5.	S. S. P. Rao	31-12-1985
6.	B. M. Sharma	31-12-1985
7.	Dinkara Rao	31-12-1985
8.	K. S. Govindarajan	31-12-1985
9.	V. Sardana	31-12-1985
10.	L. P. Singh	31-12-1985
11.	K. C. Verghese	31-12-1985
12.	M. S. N. Murthy	31-12-1985
13.	G. M. Ambhore	31-12-1985

No. A-31013(35)/85-Admn. (G).—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Director (Gr. 1) (Electrical) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of the officer	Date from which appointed in a substantive capacity
	S/Shri	
1.	T. R. Rajagopalan	31-12-1985
2.	H. Bhattacharya	31-12-1985
3.	K. K. Manchanda	31-12-1985
4.	A. Bandopadhyay	31-12-1985
5.	R. Subramanian Iyer	31-12-1985
6.	G. D. Gidwani	31-12-1985

The 10th December 1986

No. A-31013(15)/85-Admn. (G).—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Director (Gr. II) (Chemical) in the Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from the dates indicated against them :—

S. No.	Name of the officer	Date from which appointed in a substantive capacity
	S/Shri	
1.	P. R. Malhan	31-12-1985
2.	S. K. Chakraborty	31-12-1985

The 18th December 1986

No. A-31013(12)/85-Admn. (G).—The President is pleased to appoint Shri S. P. Sinha to the post of Director (Gr. II) (Metallurgy) in Small Industry Development Organisation in a substantive capacity with effect from 31-12-1985.

The 21st January 1987

No. 12(104)/61-Admn. (G).—On attaining the age of superannuation Shri P. R. Malhan, relinquished charge of the post of Industrial Adviser (Chemical) in the office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi with effect from afternoon of 31st December, 1985.

The 22nd January 1987

No. A-19018(61)/73-Admn. (G).—The President regrets to announce the death of Shri C. L. Sharma, Assistant Director (Grade 1) (Economic Investigation), Small Industries Service Institute, Agra on 9th November, 1986.

No. A-19018(220)/75-Admn. (G).—Consequent on his appointment as General Manager (District Industries Centre) Dadra & Nagar Haveli, Silvasa, Shri C. H. Subramanian, relinquished charge of the post of Deputy Director (Glass/Ceramics) at Branch Small Industries Service Institute, Silvasa on the afternoon of 31-7-1986.

C. C. ROY
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL, PATENTS, DESIGNS & TRADE MARKS

Bombay-400 020, the 16th January 1987

No. CG/F/14/7(13)/Patents/86-87/163.—The President is pleased to appoint Shri Shrikant Jayacharya Vaidya, as examiner of patents & Designs, (Group 'A' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 700-1300 on regular basis in the Patent Office Branch, Bombay, with effect from 27-11-1986 (F.N.). He will be on probation for a period of two years with effect from the said date.

The 14th January 1987

No. CG/F/1/2(7)/86/162.—Shri M. Rajamanikam is hereby appointed as Administrative Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 2000-3500 on deputation basis with effect from 12-11-1986 F.N. in the Patent Office Branch, New Delhi.

R. A. ACHARYA
Controller General of Patents, Designs & Trade Marks

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA (KHAN VIBHAG)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 29th January 1987

No. 558B/A-32013/1-Sr. DDG (Oprn.)/86-19A.—The President is pleased to appoint the following Deputy Director General (Geology), Geological Survey of India, on promotion as Senior Deputy Director General (Operation) in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 2500-125/2-2750/- in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against each, until further orders.

1. Shri S. K. Srivastava—12-12-86 (AN).
2. Dr. H. S. Parcek—15-12-86 (FN).

No. 574B/A-32013/1-Sr. DDG (Oprn.)/86-19A.—The President is pleased to appoint Shri C. P. Vohra, Deputy Director General (Geology), Geological Survey of India, on promotion as Senior Deputy Director General (Operation) in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 2500-125/2-2750/- in an officiating capacity with effect from the afternoon of 12th December, 1986, until further orders.

No. 585B/A-32013/1-Sr. DDG (Oprn.)/86-19A.—The President is pleased to appoint Dr. D. K. Ray, Deputy Director General (Geology), Geological Survey of India, on promotion as Senior Deputy Director General (Operation) in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 2500-125/2-2750/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 12th December, 1986, until further orders.

N. K. MUKHERJEE
Sr. Dy. Director Genl. (Oprn.)

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi-1, the 20th January 1987

No. A-20012/84/70-Exh. (A).—Shri Piare Lal working as Senior Artist in the Directorate of Advertising & Visual Publicity has retired from Government Service on superannuation in the afternoon of 31-12-1986.

S. L. SINGLA
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 21st January 1987

No. A-32014/2/86-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Lalit Kishore, Sr. Scientific Assistant (Drugs) to the post of Technical Officer in the Central Drug Standard Control Organisation of the Directorate General of Health Services with effect from the afternoon of the 6th January, 1987 on ad-hoc basis and until further orders.

No. A. 32014/4/86-Admn-I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Sunder Lal, Research Assistant (PFA) to the post of Technical Officer (PFA) in the Directorate General of Health Services with effect from the forenoon of the 8th January, 1987 on ad-hoc basis and and until further orders.

P. K. GHAI
Dy. Director Administration (C&B)

New Delhi-11011, the 28th January 1987

No. A.12025/6/80-NICD/PH(CDL).—The President is pleased to appoint Dr. C. Rajendran in a substantive capacity to the permanent post of Assistant Director (Mycology) in the National Institute of Communicable Diseases, Delhi, with effect from the 20th April, 1985.

No. A. 12025/2/83-NICD/(CDL).—The President is pleased to appoint Dr. (Kum) Raminder Kaur to the post of Deputy Assistant Director (Entomology) in the National Institute of Communicable Diseases, Delhi in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18th December, 1986 and until further orders.

Smt. JESSIE FRANCIS
Dy. Director Administration (PH)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400085, the 15th January 1987

Ref. No. DPS/D-40/Estt/87-Adm/2201.—Consequent on his attaining the age of superannuation Shri K. P. Doiphode, Asstt. Stores Officer, Central Stores Unit, of this Directorate has retired from Government service with effect from 31-12-86 (AN).

B. G. KULKARNI
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-16, the 15th January 1987

No. AMD-16/9/85-Rectt./956.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Surjeet Singh, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant, Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Division on an ad-hoc

basis with effect from the forenoon of 22-12-1986 to 9-2-1987 vice Shri O. Bharathan, Assistant Personnel Officer granted leave.

A. W. KHAN
Sr. Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110066, the 12th December 1986

No A.32013/4/86-EC(A)(.).—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following officers in the grade of Technical Officer in the Civil Aviation Department during the period indicated against each :—

S. No.	Name	Period	
		From	To
	S/Shri		
1.	N. V. Subramanian	1-4-86	30-4-86
2.	H. M. Prabhakar	Do.	31-5-86
3.	D. Pichumani	Do.	Do.
4.	H. L. Chawla	Do.	Do.
5.	G. J. Mehta	Do.	Do.
6.	S. P. Srivastava	Do.	Do.
7.	O. P. Batra	Do.	Do.
8.	S. P. Chowdhury	Do.	Do.
9.	Ishwar Dayal	Do.	Do.
10.	A. Mahalingeswara	Do.	Do.
11.	F. S. Bhatia	Do.	Do.
12.	R. H. Mukunth	Do.	Do.
13.	B. K. Mukherjee	Do.	Do.
14.	Joginder Singh Mann	Do.	Do.
15.	P. S. Dalvi	Do.	Do
16.	T. K. Das Gupta	Do.	Do.
17.	S. P. Sharma	Do.	Do.
18.	I. S. Vedi	Do.	Do.
19.	P. L. Bajaj	Do.	Do.
20.	G. L. Akolkar	Do.	Do.
21.	K. K. Ichupunani	Do.	Do.
22.	V. M. Khattermal	Do.	Do.
23.	S. K. Biswas	Do.	Do.
24.	K. S. Negi	Do.	Do.
25.	Joginder Singh	Do.	Do.
26.	M. K. Sathaye	Do.	Do.
27.	Y. C. Punnetha	Do.	Do.
28.	A. S. Gill	Do.	Do.
29.	P. N. Mani	Do.	Do.
30.	T. S. Jolly	Do.	Do.
31.	B. S. Bhosale	Do.	Do.
32.	D. Selvaraj	Do.	Do.
33.	V. H. Ranga Rao	Do.	Do.
34.	B. C. Roy	Do.	Do.
35.	Harnek Singh	Do.	Do.
36.	T. N. J. Nambiar	Do.	Do.
37.	N. S. Khaira	Do.	Do.
38.	C. S. Ahluwalia	Do.	Do.
39.	Balbir Singh	Do.	Do.
40.	K. L. Kapoor	Do.	Do.
41.	J. D. Rastogi	Do.	Do.
42.	K. K. Sandilya	Do.	Do.
43.	R. S. S. Lata	Do.	Do.
44.	K. K. Gandotra	Do.	Do.
45.	P. K. Sarkar	Do.	Do.
46.	G. N. Saha	Do.	Do.
47.	D. D. Patil	Do.	Do.
48.	B. K. Bhasin	1-4-86	30-4-86
49.	R. S. Randhawa	Do.	31-5-86
50.	V. C. Kulshreshta	Do.	Do.
51.	Bishwanath Dutta	Do.	Do.
52.	H. P. Ghosh	Do.	Do.
53.	P. T. Gujrati	Do.	Do.
54.	M. V. Nambiar	Do.	Do.
55.	Y. P. Kaushik	Do.	Do.
56.	Gopal Misra	Do.	Do.
57.	K. M. Suryanarayanan	Do.	Do.
58.	B. D. Bengali (SC)	Do.	Do.
59.	N. Jayaram (SC)	Do.	Do.
60.	R. K. Hazare (SC)	Do.	Do.
61.	M. L. Saini	Do.	Do.
62.	K. K. Bhanot	Do.	Do.
63.	S. V. Pillai	Do.	Do.
64.	V. S. Nanda	Do.	Do.
65.	T. K. Ghoshal	Do.	Do.
66.	K. L. Bajaj	Do.	Do.
67.	M. S. Warrier	Do.	Do.
68.	T. S. Nair	Do.	Do.
69.	M. S. Motwany	Do.	Do.
70.	J. A. N. Murthy	Do.	Do.
71.	R. K. Verma	Do.	Do.
72.	S. K. Nayyar	Do.	Do.
73.	K. L. Bhatia	Do.	Do.
74.	K. Venkataraman	Do.	Do.
75.	N. N. Singh	Do.	Do.
76.	M. S. Chauhan	Do.	Do.
77.	D. S. Jahagirdar	Do.	Do.
78.	Jagjit Singh	Do.	Do.
79.	B. S. Khuman	Do.	Do.
80.	K. C. Goswamy	Do.	Do.
81.	Amalendu Dutta	Do.	Do.
82.	D. K. Taneja	Do.	Do.
83.	Harbhajan	Do.	Do.
84.	Laxman Ram (SC)	Do.	Do.
85.	A. N. Paranjpe	Do.	Do.
86.	S. S. Kang	Do.	Do.
87.	H. C. Sachdeva	Do.	Do.

2. The extension of the period of ad-hoc appointment of the aforesaid officers in the grade of Technical Officer will not bestow on them any claim for regular appointment in the grade and the service rendered on ad hoc basis would not count for the purpose of seniority in the grade or eligibility for promotion to the next higher grade.

M. BHATTACHARGEE
Dy. Director of Admn.

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Indore, the 21st January 1987

No. 1/87.—The following Superintendent of Central Excise Grade 'B' of Central Excise Collectorate, Indore having attained the age of superannuation retired from Government service on the dates as shown against each :—

S. No.	Name of the Officer	Date
	S/Shri	
1.	D. S. Agrawal	31-12-86 (A.N.)
2.	V. S. Shrivastava	31-12-86 (A.N.)

S. V. RAMAKRISHNAN
Collector

Bombay, the 29th January 1987

F. No. II/3E(a)3/87.—The following Group 'B' Gazetted Officers, Superintendents in Bombay-I Central Excise Collectorate have retired on superannuation on the dates shown against their names :—

Sr. No.	Name and Designation	Date of retirement
1.	Shri A. N. Sayed, Supdt. C. Ex. (Gr. 'B')	31-10-86 (A.N.)
2.	Shri R. D. Gundale, Supdt. C. Ex. (Gr. 'B')	31-12-86 (A.N.)

F. No. II/3E(a)3/87.—Shri S. R. Kulkarni. Selection Grade Inspector has, on promotion, assumed charge as Superintendent, Group 'B' in Bombay Central Excise Collectorate-I with effect from 28-11-1986 Forenoon.

A. M. SINHA
Collector

Pune, the 23rd January 1987

No. 1/87/Estt.—The following Selection Grade Inspectors have on their promotion assumed as officiating Superintendent, of Central Excise Grade 'B' in the Collectorate of Central Excise and Customs Pune with effect from the dates shown against their names :—

S. No., Name and Date of assumption of charge

1. Shri P. G. Bandiwadekar—15-9-86.
2. Shri B. B. Hugar—18-9-86.

The 27th January 1987

No. 2/87/Estt.—The following Office Supdt have on promotion assumed as Adm. officer Grade 'B' in the Collectorate of Central Excise and Customs Pune with effect from the date shown against her name :—

S. No., Name and Date of assumption of charge

1. Kum. C. N. Arya—6-10-86.

S. D. MOHILE
Collector

Vadodara, the 21st January 1987

No. 1/87.—Shri D D. Desai, Asstt. Collector of Central Excise & Customs, Division-II, Baroda, on attaining the age of 58 years on 20-12-1986, is retired on superannuation in the afternoon of 31-12-1986.

No. 2/87.—Shri B. N. Mistry, Superintendent of Central Excise and Customs (Grade 'B'), Division-I. Baroda on attaning the age of 58 years on 14-12-1986, is retired on superannuation in the afternoon of 31-12-1986.

Smt. VARALAKSHMI RAJMANICKAM
Collector

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Western India Minerals Association

Bombay-2, the 20th January 1987

No. 622/9733/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Western India Minerals Association has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

V. RADHAKRISHNAN
Addl. Registrar of Companies,

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JALANDHAR

Jalandhar, the 12th January 1987

Ref. No. A.P. No. 6022.—Whereas, I. B. B. JAIDKA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. as per schedule situated at Jalandhar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 Jalandhar on 16th June, 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Parnav Kumar Ranade
S/o Sh. V. K. Ranade,
425-L, Model Town Jalandhar City,
(Transferor)

(2) Shri Bahadur Singh Batra
S/o Sh. Harbans Singh Batra,
44, Defence Colony, Jalandhar City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 44, Defence Colony, Jalandhar as mentioned in the registered sale deed No. 1755 dated 16-6-86 of the Registering authority, Jalandhar.

B. B. JAIDKA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar

Date : 12-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA
CENTRAL REVENUE BUILDING

Ludhiana, the 13th January 1987

Ref. No. CHD/6A 86-87.—Whereas, I,
M. N. A. CHAUDHARY,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Kothi No. 1017, Sector 27B on plot No. 3, Street F situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in May, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shakti Rani
w/o Sh. Vinod Kumar Sharma,
Smt. Jaishree
w/o Sh. Sham Sunder Sharma,
residents of 229, Sector 9C,
Chandigarh.
(Transferor)

(2) Shri Gur Iqbal Singh,
Karta of the family
3010, Sector 19D, Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 1017, Sector 27B, Chandigarh on Plot No. 3, Street-F (The property registered at S. No. 247 in May, 1986 with the Sub-Registrar, Chandigarh).

M. N. A. CHAUDHARY
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ludhiana

Date : 13-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 13th January 1987

C.R. No. 62/DR. 1709/85-86/ACQ/B.—Whereas I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Sy. No. 99/1, situated at Deao, Quepeon, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bangalore on 5-5-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduuction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpnses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Thomas Jacob and
Thomas Stephen,
Verna, Salcete, Goa.
(Transferor)

(2) Shri Joe Mathias
Altinho,
Parigim, Goa.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Decument No. 1709/85-86 Dated 5-5-86]

All that agricultural property known as 'Benamolla' situated at Deao, Taluka and Sub-district of Queperm of District Goa, admeasuring about 65,325 Sq. Mtrs. and more fully described in the schedule to the agreement dt. 19-2-1986.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 13-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 13th January 1987

C.R. No. 62/DR. 1702/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Sy. Nos. 41/1, 41/3 and 42/2 situated at Utorda Village, Salcete, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), situated at Deao, Taluka and Sub-district of Quepeon of has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Bangalore on 5-5-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D o fthe said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Marcal Carvalho, Arossim, Goa.
2. Smt. Ilda Mary Rebello, Arossim, Goa.
3. Exequiel Helena Exaitacao Carvalho, Panjim, Goa.
4. Sri Manuel Simplicio Carvalho, Panjim, Goa.

(Transferor)

(2) M/s. Maharani Guest House
(Unit of Laguna Restaurant)
J-16, Haus Khas, New Delhi.

(Transferee)

Objetions, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1299/85-86 Dated 5-5-86]

All that landed agricultural property known as 'Novo Aforamento de Praias' admeasuring 32725 sq. Mtrs. situated at Village Utorda, Village panchayat of Utorda—Majorda—Arossim, Taluk and Sub-District of Salcete and District of Goa and more fully described in the schedule to the agreement dt. 24-2-1986.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 13-1-1987
Seal :

FORMS ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV,
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 23rd September 1986

Ref. No. IAC/Acq:IV/37EE/5-86/21.—Whereas, I,
D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
A-2, on 4th floor & Garrage No. S-8 at 28, Ferozshah Road, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under has been transferred under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Registering Officer of
I. T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi Range-IV on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties is not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lala Gidhar Lal Memorial Federation House, Tansen Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. J. K. Industries Ltd., New Delhi, 'LINK HOUSE' 3, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Residential Flat No. A-2, on 4th floor & Garrage No. S-8, in the basement floor Lala Girdhar Lal Memorial Apartments at 2B, Ferozshah Road, New Delhi, Area 1844 sq. ft.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
AGGARWAL HOUSE,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 23rd September 1986

Ref. No. IAC/Acq-IV/371-E 22.—Whereas, I,
D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 808, at 14, K. G. Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 (43 of 1961) in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi Range-IV on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Salesworth India (P) Ltd.,
914, Chiranjiv Tower,
Nehru Place,
New Delhi. (Transferor)

(2) Sh. Narindra Singh Salkan,
Mrs. Saroj Salkan,
M/s. N. S. Salkan & Others,
Cinnatoliah Tea Garden,
P.O. North Lakhimpur,
ASSAM. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 808, Amba Deep at 14, K. G. Marg, New Delhi. Area 505 sq. ft.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Aggarwal House,
4/14A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Dated : 23-9-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
AGGARWAL HOUSE,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 23rd September 1986

Ref. No. IAC/Acq-IV/37EE/5-86/23.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 504 at 14, K. G. Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 (43 of 1961) in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi Range-IV on May 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of tht liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act. to the following aforesaid property by the issue o fthis notice under sub-persons, namely :—

(1) Ansal Properties & Industries (P) Ltd.,
115, Ansal Bhawan,
16, K. G. Marg,
New Delhi. (Transferor)

(2) Master Atul Kumar Aggarwal,
U/g Sh. B. K. Aggarwal,
22-Moti Lal Nehru Nagar,
Bhilai,
Distt. Durg (M.P.)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 504, in Amba Deep at 14, K. G. Marg, New Delhi. Area 640 sq. ft.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Aggarwal House,
4/14A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Dated : 23-9-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
AGGARWAL HOUSE,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 23rd September 1986

Ref. No. IAC/Acq-IV/37EE/5-86/24.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1502 at 14, K. G. Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 (43 of 1961) in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi Range-IV on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for tre acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

13—466GI/86

(1) Ansal Properties & Industries (P) Ltd.,
115, Ansal Bhawan,
16, K. G. Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mahesh Chandra Aggarwal,
Mrs. Meera Agarwal,
Shyam Sadan
(Near Chandmari Octroi Post),
MATHURA (U.P.).
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publcaton of ths notce n the Offical Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used heren as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1502, in Amba Deep at 14, K. G. Marg, New Delhi, Area 580 sq. ft.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Aggarwal House,
4/14A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Dated : 23-9-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
AGGARWAL HOUSE,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 23rd September 1986

Ref. No. IAC/Acq-IV/37EE/5-86/25.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authorityunder Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1006 at 14, K. G. Marg, situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 (43 of 1961) in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi Range-IV on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, Ihereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. M. Cyrill & Others,
C/O Miss Dolly Nickles,
Babanpur Chawni,
P.O. Bahadurpur Via Zamania Distt.
Gazipur (U.P.)
(Transferor)

(2) Mr. Amrit Lal Sarna & Others,
r/o B-4/39, Safdarjung Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1006, on 10th floor in 'Amba Deep' at 14, K. G. Marg, New Delhi, area 400 sq.ft.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Aggarwal House,
4/14A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Dated : 23-9-86.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECCING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 23rd September 1986

Ref. No. IAC/Acq-IV/37EE/5-86/26.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 809, at 14, K. G. Marg situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 (43 of 1961) in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi Range-IV on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Prakash Associates,
110, Meghdoot,
94, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Dr. Anil Mehta,
c/o Mr. K. K. Mehta,
r/o D-193, Defence Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 809, on 8th floor in Amba Deep, 14, K. G. Marg, New Delhi, Area 450 sq. ft.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV
New Delhi

Dated : 23-9-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 23rd September 1986

Ref. No. IAC/Acq-IV/SR-III/5-86/8.—Whereas, I, D. K. SRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair value market exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Agri. land Kh. Nos. 115/1 (1-16) 117/1 ((2-6), 118 (4-6), 119 (3-16), 120/1 (1-17), 2044/123 (1-6), 2045/123 (3-8), 125 0-16) situated at with tube-well, Village Bhati, Tehsil Mehrauli, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 (43 of 1961) in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi Range-IV on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for tre acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sanjay Leekha & Others,
D-62, Hauz Khas,
New Delhi.
(Transferor)

(2) A. K. Sud & Others,
r/o 2A, Shankracharya Marg,
Civil Lines,
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, withn 45 days from the date of the publcaton of ths notce n the Offical Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used heren as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 19 bighas and 11 biswas, Khasra Nos. 115/1 (1-16), 117/1 (2-6), 118 (4-6), 119 (3-16), 120/1 (1-17), 2044/123 (1-6), 2045/123 (3-8), 125 (0-16), with tube-well, village Bhati, Tehsil Mehrauli, New Delhi.

D. K. SRIVASTAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
New Delhi

Dated : 23-9-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 2/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
14, Second Street, Dr. Thirumoorthy Nagar, Nungambakkam, Madras-34
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Thousandlights Doc. No. 211/86 in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mirza Mohammed Jawad
Namazi also known as Shayesteh
14, Dr. Thirumurthy Nagar II Street,
Nungambakkam,
Madras-34,
(Transferor)

(2) Sri N. D. M. Rahmath Aliya
sabiha Trust, 25, Krishmachary Road,
Madras-34.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building No. 14, 2nd street, Dr. Thirumurthy Nagar, Madras-34.

(THOUSANDLIGHTS DOC NO. 211/86).

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 3/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
17, Nageswara Iyer Road, Nungambakkam,
situated at Madras-34.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Thousandlights Doc. No. 245/86 in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tarnsfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. Neelavena and another
25, Annaswami Mudalier Road,
Bangalore-42.
(Transferor)

(2) S. Chandrakala,
72, Luz Avenue Mylapore
Madras-4.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 17, Nageswara Iyer Road, Nungambakkam, Madras.

THOUSAND LIGHTS DOC NO. 245/86.

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 5/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
15, Jagannathan Road, Nungambakkam,
situated at Madras-34.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Prathima Ramgopal
and another
94/1, Kutchery Road,
Mylapore,
Madras-4.

(Transferor)

(2) M/s. Romar Fashions,
2, Errabalu Street,
Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at No. 15, Jagannathan Road, Nungambakkam Madras-34.
(THOUSAND LIGHTS DOC NO. 274 to 277/86).

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assisttant Commission of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 1st January 1987

Ref. No. R/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
T. S. No. 11/41/1A 1B 1A
situated at Sanganoor
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Gandhipuram Doc No. 2396/86 in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property aforesaid exceeds the apparent consjderation therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri A, Venkatachalam Chettiar
and another,
419, 420 Mettupalayam Road,
Coimbatore. (Transferor)

(2) Sri A. Aboobacker,
and 4 others,
417 M.T.P. Road,
Coimbatore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building No. T. S. 11/41/1A 1B 1A.

(GANDIPURAM DOC NO. 2396/86).

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 1-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 1st January 1987

Ref. No. 10/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
S. F. No. 1/A Anaimalai
situated at Tiruppur TK
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Anaimalai Doc. Nos. 19, 402 to 406 408 & 409/86 in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of said this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

14—466GI/86

(1) Smt. R. M. Meenambagai
2, Pulabai Desai Road,
Sokikulam,
Madurai District. (Transferor)

(2) M/s. Lilly Estates
F. 188 Anna Nagar,
Madras-40. (Transferee)

Objecitons, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building in S. F. No. 1/A, Anaimalai.
(ANAIMALAI DOC NO. 10/86, 402 to 406/86 408 & 409/86).

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 1-1-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 13/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
22, Chinniah Pillai Road, T. Nagar
situated at Madras-17
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Madras South Doc No. 1413/86 in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri V. R. Srinivasan and
Others, 22, Chinniah Pillai Road,
T. Nagar,
Madras-17.
(Transferor)

(2) Mrs. Kalpana Sai Krishna,
16 A, Baliah Avenue,
Mylapore, Madras-4.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice** in the Official Gazette or a period of 30 days **from the service of notice on the respective persons**, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein** as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 22, Chinniah Pillai Road, T. Nagar, Madras-17.
THOUSAND LIGHTS DOC NO. 1413/86.

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 15/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
16, Saradambal Street, Gokulam Colony, T. Nagar
situated at Madras-17.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
T. Nagar Doc. No. 581/86 in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Ait, in respert of any income arising from the transfer and/or

(b) failitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. G. Vasantha and Others
16, Sardamabal Street,
Gokulam Colony,
T. Nagar, Madras-17.

Transferor(s)

(2) Smt. Atluri Prabhavathi
B/2/2, Gemini Parsn Complex,
Madras-6.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at No. 16, Saradambal Street, Gokulam colony, T. Nagar, Madras-17.
T. NAGAR DOC NO. 581/86).

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 20/May 86.—Whereas,
A. R. REDDY,
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to
Corporation No. 626 situated at 3rd Cross, 3rd Block Koramable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
234 T.T.K. Road Alwarpet Madras-18 situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for tre acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. Devarajan,
4, Balasubramaniam Colony,
Mylapore Madras-4.

(2) H. A. Cader and others,
47, Iyaapa Chetty Street,
G.T. Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, withn 45 days from the date of the publcaton of ths notcc n the Offical Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used heren as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 234 T.T.K. Road, Alwarpet, Madras-18.
Madras Central Doc No. 551/86.

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-86
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 22/May 86.—Whereas, I,
A. R. REDDY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
3, Thangal Pattai, situated at Kalashetra Road, Thiruvanmur Madras-41
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Madras South Doc. No. 1500/86 on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for tre acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. L. Rahtdas,
43-C, Second Avenue,
Sastri Nagar, Madras-20.
(Transferor)

(2) Century Constructions,
481, Mount Road,
Nandanam, Madras-35.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, withn 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at No. 3, Thangal Pattai Kalakshetra Road, Thiruvanmiyur Madras-41.

(Madras South. Doc. No. 1500/86).

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 30th December 1986

Ref. No. 23/May 86.—Whereas, I, A. R. REDDY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 17/80 Dr. Radhakrishnan Road, situated at Madras-4 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras South Doc. No. 1599/86 on May 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jhansi Rani,
93-A Block Anna Nagar,
Madras-40.
(Transferor)

(2) Sri M. Sivaram,
10, III Cross Street,
Sterling Road, Nungambakkam,
Madras-34.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the servce of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at No. 17/80 Dr. Radhakrishnan Road, Madras-4.

(Madras South. Doc No. 1599/86).

A. R. REDDY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 30-12-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ. VI/37EE/5-86/63.—Whereas I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1 lakh and bearing No.
Apartment Bearing No. Terrace 6, Block C-11, at Oberoi Apartments, 2-Shamnath Marg, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/Registered under the Income-tax Act, 1961 in the office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Indubala Dhillon,
2, Sham Nath Marg, Delhi-110054.
(Transferor)

(2) Smt. Deepa Shorewala &
Smt. Kantadevi Gupta,
171, Shivaji Park, Road No. 5,
1st Floor, Mahim, Bombay-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Apartment bearing No. Terrace 6, Block C-11, at Oberoi Apartments, 2-Shamnath Marg, Delhi-110054".

T. K. SAH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ. VI/37-EE/5-86/64.—Whereas I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. ,
Plot No. XL-I/IUA, Chandrawal Road, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961
I.A.C. Acq. Range II on May 1986,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) United Properties,
5, Shankracharya Marg Civil Lines, Delhi.
(Transferor)

(2) J. K. Gupta,
2944, Kucha Mai Dass Bazar Sita Ram,
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. XL-I/IUA Chandrawal Road, Delhi. 4975 Sq. Ft."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ. VI/37EE/5-86/65.– Whereas I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. XL-I/IUA, Chandrawal Road, Delhi situated at Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/Registered under the Income-tax Act, 1961 in the office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds
the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. L. PAHWA,
A-47, Malka Ganj, Delhi.
(Transferor)

(2) United Properties,
5, Shankaracharya Marg,
Civil Lines, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Plot No. XL-I/IUA, Chandrawal Road, Delhi. Plot Area 552 Sq. Yds.

T. K. SAH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/37EE/5-86/66.—Whereas, I,
T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
House No. 1/8, West Patel Nagar, New Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed here(o), has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-persons, namely :—

(1) Sh. Jugal Kishore,
28-South Patel Nagar,
N. Delhi
2. Sh. Bharat Madan,
J-1854, Chittranjan Park,
N. Delhi,

(Transferor)

(2) 1. Sh. Sohan Lal Wahi
2. Smt. Urmila Wahi
3. Sh. Kundan Lal Wahi,
1/8, West Patel Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objetions, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"House No. 1/8, West Patel Nagar, New Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VI,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/37EE/5-86/67.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. D-37, Naraina Vihar, New Delhi situated at Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Sh. Vijay Mehta,
D-37, Naraina Vihar,
N. Delhi.

(Transferor)

(2) Sh. M. K. Malhotra & Sons (HUF),
C-160, Naraina Indl. Area, Phase-I,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"D-37, Naraina Vihar, New Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/37EE/5-86/68.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 28-C, Alipur Road, Civil Lines, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sh. Satya Prakash Aggarwal
2. Bina Aggarwal
3. Sandeep Aggarwal,
28-Alipur Road, Civil Lines,
Delhi
(Transferor)

(2) 1. Shri Anil Moolchandani
2. Jagdish Moolchandani
3. Neeru Moolchandani
4. Pushpa Moolchandani,
100-Banarsi Dass Estate, Civil Lines,
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

"28-C, Alipur Road, Civil Lines, Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
4, 14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/37EE/5-86/69.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. First Floor, 9-Raj Narain Road, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto),
has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Greysham & Co.
1-1, Roop Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Bhupinder Kaur and
Gurbachan Singh Chandhiok,
A-39, Oberoi Apartment, Civil Lines
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"First Floor, 9-Raj Narain Road, Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/37EE/5-86/69-A.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs.1,00,000/- and bearing
No. Shop No. G-1, Plot situated at No. 15, Preet Vihar, Community Centre, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

"(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of ection 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid poperty by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Savitri Properties Pvt. Ltd.
G-5/92, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Susham Singla &
Sh. Manoj Singla
C/o. M/s. Navyug Store,
M-2, Greater Kailash Market-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a perod of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Shop No. G-1, of 331 sq. ft. Super Covered Area in Commercial Building at Plot No. 15, Preet Vihar Community Centre, Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/37EE/5-86/69-B.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Shop No. G-2, Plot No. 15, Preet Vihar Community Centre, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the I.A.C. Acq. Range-II on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Savitri Properties Pvt. Ltd.
G-5/92, Nehru Place,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Susham Singla &
Sh. Manoj Singla
C/o. M/s. Navyug Store,
M-2, Greater Kailash Market-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Shop No. G-2 of 310 sft. Super Covered Area in Commercial Building at Plot No. 15, Preet Vihar Community Centre, Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi.

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRI/5-86/605.—Whereas, I,
T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 7-A, Commissioner Lane now known as Kirpa Narain Marg, Civil Lines, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer New Delhi on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument instrumen of ransfer wih he objec of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sh. Narain and
Brijesh Narain
sons of late Sh. Kirpa Narain for himself and as Attorney for his brother and
three sisters namely Sh. Rajesh Narain, Mrs. Meena, Mrs. Urmila and
Mrs. Indira,
R/o 32, Friends Colony,
New Delhi. (Transferor)

(2) 1. Smt. Laxmi Devi
w/o Sh. Devinder Kumar
R/o 13-D, Kamla Nagar,
Delhi
2. Sh. Vivek Dutt
S/o Sh. Dharam Dutt,
R/o II/1, Court Lane, Rajpur Road,
Delhi
3. Smt. Krishna Gupta
W/o Sh. Lila
Dhar R/o 2613, Zere Fassil, Naya Bazar, Delhi.
4. Smt. Sushila Gupta
W/o Dr. S. P. Gupta,
R/o 125-E, Kamla Nagar,
Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Property No. 7-A Commissioner Lane now known as Kirpa Narain Marg, Civil Lines, Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 13-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRI/5-86/619.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 220 Block-F Mansrover Garden, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer New Delhi on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduuction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpnses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

16—466GI/86

(1) S. Bahadur Singh Batra
S/o S. Harbans Singh Batra,
R/o F-220, Mansrover Garden,
New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Jaswant Singh Bhasin
S/o Sh. Gurdial Singh Bhasin and
Sh. Parvinder Singh Bhasin
S/o Sh. Jaswant Singh Bhasin,
Both R/o 8/113, Ramesh Nagar,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

"1 1/2 storeyed building on plot No. 220 in Block F, mg. 800 sq. yds. situated at Mansrover Garden, area of Vill. Bassal Darapur Delhi State, Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRI/5-86/621.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 2-A and 1 out of property bearing M.C. No. 2, Underhill Road, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Competent Authority at
New Delhi on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shakuntla Gupta
W/o Sh. V. S. Garg,
R/o 2, Underhill Road,
Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Ganga Devi Saboo
W/o Ram Niwas Ji Saboo,
R/o 45/4, Race Course Road,
(2) Smt. Damayanti Saboo
W/o Shri Narayan Pd. Saboo
(3) Dinesh Kumar
S/o Sh. D. P. Saboo
R/o 3/2, Jeevan Vihar, Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Offical Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Property No. 2-A and 1 out of property bearing M.C. No. 2, Underhill Road, Delhi, area meas. 425 sq. yds."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRI/5-86/622.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Private Property No. 1-A out of Property No. 2, Underhill Road, Civil Lines, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair arket value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shakuntala Gupta
W/o Sh. V. S. Garg,
2, Underhill Road,
Delhi.
(Transferor)

(2) 1. Smt. Kiran Devi,
No. 1 i.e. 642, Katra Hardayal Chandni Chowk,
Delhi
2. Sh. Vinod Kumar Saboo
3/2, Jiwan Vihar, 5-Manav Mandir Road,
Malabarhill, Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Private Property No. 1-A, out of property No. 2, Underhill Road, Civil Lines, Delhi, area 425 sq. yds."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VI,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRI/5-86/623.—Whereas, I,
T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 36 on Road No. 66 Punjabi Bagh, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S. Gurbachan Singh and
2. S. Jasbir Singh
sons of S. Mehar Singh,
R/o 36/66, Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) 1. Sh. Suresh Gupta
S/o Sh. Mohan Lal Gupta (Deceased) and
2. Smt. Sudha Gupta
W/o Suresh Gupta,
R/o Outside Nagori Gate,
Hissar (Haryana)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"Property built on a freehold Plot of land bearing Plot No. 36 on Road No. 66, mg. 361.77 sq. yds., Punjabi Bagh area of Vill : Bassai Darapur Delhi State".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRI/5-86/630.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 32, on Road No. 73, at Punjabi Babh, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred/registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer New Delhi on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anil Mohan Sehgal
S/o Late Shri Manmohan Nath Sehgal,
R/o 32/73, Punjabi Babh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Bachan Kaur
W/o Sh. Madan Lal Chawla,
Sh. Ashok Chawla &
Sh. Amit Chawla
sons of Sh. Madan Lal Chawla
all R/o 1338, 1339, Fais Ganj, Gali No. 3,
Bahadurgarh Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"House on Plot No. 32, on Road No. 73, at Punjabi Bagh, area of Village Bassai Darapur Delhi State, Delhi measuring 1090 sq. yds."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI,
Aggarwal House,
4/14-A, Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OS THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRI/5-86/631.—Whereas, I, T. K. SAH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing CCottage No. 4 on back side being part of Property No. 5/4-B having covered area 1075 sq. ft. situated at Roop Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer New Delhi on May 1986

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Puri Banga,
Associates having its office at 5/4-B,
Roop Nagar, Delhi-7
through its partners (1) Smt. Raj Puri W/o
Shri K. K. Puri R/o
7/26, Roop Nagar, Delhi &
(2) Shri Vijay Banga, S/o
Shri Banarsi Dass Banga
for himself and as Attorney of his mother
Smt. Kailash Rani, R/o
17/35, Shakti Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Maha Devi Lata W/o
Shri Kishan Lal Lata,
13/26, East Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential Cottage No. 4 on back side being part of property No. 5/4-B having covered area 1075 sq. ft. situated at Roop Nagar, Delhi.

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-VI AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SR-I/5-86/632.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable Property No. having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property, having a fair market value exceeding
(College No. 2)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer New Delhi on May, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Puri Banga
Associates at 5/4-B Roop Nagar, Delhi
through it partners
(1) Smt. Raj Puri W/o
Shri K. K. Puri, R/o
7/26, Roop Nagar, Delhi and
(2) Shri Vijay Banga, S/o
Shri Banarsi Dass Banga
for himself and as Attorney of his mother
Smt. Kailash Rani, R/o
17/35, Shakti Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) 1. Shri Sushil Kumar Jain S/o
Shri Piarey Lal Jain and
2. Smt. Shashi Jain W/o
Shri Sushil Kumar Jain, R/o
3/37, Roop Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential Cottage bearing Pvt. No. 2 in front side bearing portion of property No. 5/4-B, having covered area 1075 sq. ft. on Ground floor, 1075 sq. ft on first floor and 383 sq. ft. on second floor situated at Roop Nagar, Delhi.

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VI
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/633.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 5/4-B, Roop Nagar, Delhi
situated at Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on May, 1986.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Puri Banga
Associates at 5/4-B, Roop Nagar, Delhi
through its partners
(1) Smt. Raj Puri, W/o
Shri K. K. Puri, R/o
7/26, Roop Nagar, Delhi
(2) Shri Vijay Banga, S/o
Shri Banarsi Dass Banga
for himself and as GA of his mother
Smt. Kailash Rani, R/o
17/35, Shakti Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ramnik Lal Mordia, S/o
Shri Tara Chand and
(2) Smt. Kiran Devi, W/o
Shri Ramnik Lal Mordia, R/o
43, Banglow Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property ay be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovare defined in Chapter XXA of the said publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential Cottage No. 3 on back side being part of property No. 5/4-B, situated at Roop Nagar, Delhi.

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VI, AGGARWAL HOUSE,
4/14A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/635.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. C-4/17, Model Town, Delhi
situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on May, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Mewa Devi
W/o Late Shri Tek Chand Aggarwal,
R/o 1841, Gali No. 9, Gandhi Nagar,
Rajgarh Colony, Delhi,
2. Shri Naresh Kumar
3. Shri Suresh Kumar
4. Shri Deepak Aggarwal
5. Shri Mohan Lal
6. Shri Sushil Kumar
7. Shri Anil Kumar
All Ss/o late Shri Tek Chand Aggarwal
R/o 1841, Gali No. 9, Gandhi Nagar,
Rajgarh Colony, Delhi
8. Smt. Rashri alias Smt. Radha Devi
W/o Shri M. L. Gupta
R/o D-45, Rana Pratap Road,
Adarsh Nagar, Delhi and
9. Mrs. Anita Gupta alias Mrs. Muni Devi
W/o Shri Ashok Gupta
R/o L-1/48, Aliganj, Lucknow, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Rama Rani
W/o Shri Ram Kishore Goel and
2. Shri Hari Om Goel
S/o Shri Ram Kishore Goel
R/o C-1/20, Model Town, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. C-4/17, Model Town, Delhi.

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-VI
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SR1/5-86/636.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 14/32, East Patel Nagar, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on May, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri S. P. Sachar
2. Himself & as GPA of
Shri K. G. Sachar,
Brig. N. P. Sachar,
Shri K. R. Sachar,
Shri Y. P. Sachar
R/o 14/32, East Patel Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) 1. Shri Inderjit Popli
2. Shri Ashok Popli
R/o 14/32, East Patel Nagar,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

14/32, East Patel Nagar, New Delhi.

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORMS ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-VI
AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/637.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 7, Road No. 78, situated at Punjabi Bagh, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on May, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitate the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Vidhya Dhar, M. C. Verma and J. C. Verma S/o Shri Tara Chand
R/o 12/33, Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) 1. M/s. Satya Nand Arya (HUF)
through its Karta & Manager
Shri Satya Nand Arya
2. M/s. Narinder Kumar Arya (HUF)
through its Karta & Manager
Shri Narinder Kumar Arya,
R/o Plot No. 7, Road No. 78,
Punjabi Bagh, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a eriod of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7, Road No 78, situated at Punjabi Bagh, area measuring 1057.78 sq. yds. of Village Bassai Darapur, Delhi.

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
Aggarwal House
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/638.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
7/21, East Patel Nagar New Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer New Delhi
on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of . .

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sova Neogi R/o 7/21, East Patel Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Mandeep Kumar Syal R/o 7/21, East Patel Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"2-1/2 storeyed H. No. 7/21, East Patel Nagar, New Delhi".

T. K. SAH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI, Delhi/New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/647.—Whereas, I,
T. K. SAH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
F—13/9, Model Town Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer New Delhi on
May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) failitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Usha Tandon, (2) Smt. Anita Tandon (3) Smt. Ranjana Tandon All R/o 40, Kandhari Road, Agra (U.P.)

(Transferor)

(2) Balwant Singh S/o Sh. Harnam Singh R/o F—3/3, Model Town, Delhi.

(Transferee)

Ojections, if any, to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"1/4th undivided share of property No. F-13/9, Moder Town, Delhi, area measuring 112.5 sq. yds.

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Duted: 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/646.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
F—13/9, Model Town, Delhi
situated at New Delhi
and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer New Delhi
May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with theobjectof :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Usha Tandon, (2) Smt. Anita Tandon (3) Smt. Ranjana Tandon R/o 40, Kandhari Road, Agra (U.P.)
(Transferor)

(2) Sh. Dhanwant Singh S/o Sardar Sardar Singh R/o F-3/3, Model Town, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"1/4th undivided share of property No. F-13/9, Model Town, Delhi area measuring 112.5 sq. yds.

T. K. SAH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Dated: 15-1-1987
Seal;

FORM ITNS———-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/645.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
F-13/9, Model Town, Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealent of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. (1) Smt. Usha Tandon (2) Smt. Anita Tandon and (3) Smt. Ranjana Tandon W/o Sh. Kamal Kishore Tandon—All R/o 40, Kandhari Road, Agra—282002 (U.P.).
(Transferor)
2. Mohan Singh S/o Shri Harnam Singh R/o F-3/3, Model Town, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"1/4th undivided share of property No. F-13/9, Model Town, Delhi, area measuring 112.5 sq. yds."

T. K. SAH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Dated: 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/639.—Whereas, I,
T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
C-5/5, Model Town, Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed herto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in
May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, a hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Raj Rani W/o Sh. Ram Mohan and Smt. Veena Rani W/o Sh. Brij Mohan both r/o. C-6/3, Model Town, Delhi.

(Transferor)

(2) Sh. Gobind Lal and Mohinder Nath both sons of Late Sh. Gurditta Ramr/o D-14-A/13, Model Town, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of this said Act, shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

"Property No. C-5/5, Model Town, Delhi, measuring 254.66 sq. yds. in area."

T. K. SAH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Dated: 15-1-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/Acq.VI/SRI/5-86/648.—Whereas, I, T. K. SAH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
F—13/9, Model Town Delhi
situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer New Delhi on May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considera ion therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Usha Tandon, (2) Smt. Anita Tandon (3) Smt. Ranjana Tandon All R/o 40, Kandhari Road, Agra (U.P.).

(Transferor)

(2) Sh. Tegh Singh S/o Harnam Singh R/o F-3/3, Model Town, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the servce of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"1/4th Undivided share of property No. F-13/9, area measuring 112.5 sq. yds. situated at Model Town, Delhi".

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Dated: 15-1-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SR-II/5-86/291.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 26/13, Punabi Bagh situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed he
has been transferred/registered under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in May, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mahadevi Lata
W/o Sh. K. L. Lata,
R/o 26/13, Punabi Bagh,
New Delhi. —

(Transferor)

(2) Ram Bharosey Lal
S/o Sh. Gordhan Dass.
(2) Smt. Shanti Devi Bansal
W/o Ram Bharsey,
R/o B-3/385, Paschim Vihar,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

"Property No. 26/13, area 555.55 sq. yds. Punabi Bagh, New Delhi."

ASHOK KACKER
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI, Delhi/New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ ACQ.VI/ SRB/ 5-86/292.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 42/20, Punabi Bagh situated New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in May 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the propetty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefor, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Jajpal Singh
S/o Sh. Mohan Singh,
D-62, Kamla Nagar,
Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Sushma Bhalla
W/o Sh. Subhash Bhalla
(2) Smt. Usha Bhalla
W/o Sh. Subhash Bhalla
(3) Sh. Subhash Bhalla
(4) Ashok Bhalla
Ss/o Diwan Chand,
R/o 32/42, Punjabi Bagh, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"1, 2 share of Plot No. 42/20, Punjabi Bagh, Delhi, area measuring 1140.49 s. yds."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SRII/5-86/293.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Mpl. No. B-2, Khasra No. 1607 and 1651, Naraina, in the abadi of Inderpuri, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in May, 1986
market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in npursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Jagdish Chander Vaid
S/o Sh. B. N. Vaid,
R/o B-2, Inderpuri,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Parveen Kumar Wadhwa
S/o Late Sh. Manohar Lal Wadhwa,
R/o C-71, Naraina Vihar,
New Delhi and
Smt. Achla Wadhwa
W/o Sh. Parveen Kumar Wadhwa,
R/o C-71, Naraina Vihar,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"House bearing Mpl. No. B-2, measuring 300 sq. yds. out of Khasra No. 1607 & 1651, situated in the area of Vill. Naraina, in the abadi of Inderpuri, an approved colony, New Delhi."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SR-III/5-86/294.—Whereas, I, T. K. SAH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

No. 4/41, W.E.A. Karol Bagh, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred/registered under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in May, 1986

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor, by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Om Parkash Sahni
S/o Sh. L. Acharaj Ram Sahni,
R/o H-77, Kirti Nagar, New Delhi and
Mrs. Swaraj Kumari
Wd/o, Sh. Suraj Prakash Sahni,
W/o Sh. Suraj Sahni and Rajesh Sahni Both sons of Sh. Suraj Prakash Sahni,
R/o K-88, Kirti Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) S. Man Mohan Singh of
M/s. Rishi Gagan Construction (P) Ltd.,
704, Pragati Tower,
Rajendra Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"4/41, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi measuring 270 sq. yds."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORMS ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-VI
4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 15th January 1987

Ref. No. IAC/ACQ.VI/SR-III/5-86/295.—Whereas, I, T. K. SAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 15-A/1, W.E.A. Karol Bagh situated at New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Delhi in May, 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitate the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Sudhanshu Chakravorty,
15-A/1, W.A., Karol Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Denon India Limited,
D-41, Mayapuri,
Phase-I, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a eriod of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

"Built up building 15-A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi, measuring 319 sq. yds."

T. K. SAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-VI
4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 15-1-1987
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR,
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna-800 001, the 14th January 1987

Ref. No. III-1424/Acq./86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 865, 868, 1290, Ward No. 2, Circle No. 6, Holding No. 609/358, Thana Kotwali situated at Fraser Road, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269 AB of the said Act in the Office of the Competent Authority at
Patna on 26-5-86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Justice Brish Ketu Saran Sinha
3, Macdonald Road, Patna.
(Transferor)

(2) M/s. Nishant Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.,
Mona Cinema, Commercial Complex,
East Gandhi Maidan, Patna.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16400 Sq. ft. situated at Fraser Road, Patna and morefully described in Deed No. 3788 dated 26-5-86 registered with the D.S.R., Patna.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 14-1-1987
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 1987

New Delhi, the 21st February 1987

No. F. 2/6/86-E.I(B).—A combined competitive examination for recruitment to the Services/posts mentioned in para 2 below will be held by the Union Public Service Commission at AGARTALA, AHMEDABAD, AIZAWL, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, CHANDIGARH, COCHIN, CUTTACK, DELHI, DISPUR (GAUHATI), HYDERABAD, IMPHAL, ITANAGAR, JAIPUR, JAMMU, JORHAT, KOHIMA, LUCKNOW, MADRAS NAGPUR, PANAJI (GOA), PATNA, PORTBLAIR, RAIPUR, SHILLONG, SIMLA, SRINAGAR, TIRUPATI, TRIVANDRUM, UDAIPUR AND VISHAKHAPATNAM commencing on 23rd August, 1987 in accordance with the Rules published by the Ministry of Railways (Railway Board) in the Gazette of India dated 21st February, 1987.

THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. WHILE EVERY EFFORT WILL BE MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CENTRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION, THE COMMISSION MAY, AT THEIR DESCRETION, ALLOT A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE WHEN CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (See Annexure I para 11).

2. Recruitment on the results of this examination will be made to the Services/posts under the following categories :—

Category I—Civil Engineering

Category II—Mechanical Engineering

Category III—Electrical Engineering

Category IV—Electronics and Telecommunication Engineering.

The approximate number of vacancies in the various Services/posts under Category are given below :—

Category I—CIVIL ENGINEERING

Group A—Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Engineers.	*
(ii) Indian Railway Stores Service (Civil Engineering Posts).	*
(iii) Central Engineering Service	28 (includes 3 vacancies reserved for S.C. and 2 for S.T. candidates).
(iv) Military Engineer Services (Building and Roads Cadre)	125 (includes 18 vacancies reserved for S.C. and 10 reserved for S.T. candidates).
(v) Military Engineer Service (Surveyor of works Cadre)	21 (includes 3 vacancies reserved for Scheduled Caste and 2 reserved for S.T. candidates).
(vi) Central Water Engineering Service (Civil Engineering post).	38 (Includes 11 vacancies reserved for S.C. and 6 for S.T. candidates)
(vii) Assistant Executive Engineer (Civil) (P & T Civil Engineering Wing).	*
(viii) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) Civil Engineering Posts.	*
(ix) Central Engineering Services (Roads) Group—'A'	5**

Group B—Services/Posts

(x) Assistant Engineer (Civil) in the Civil Construction Wing of All India Radio.	*

Category II—MECHANICAL ENGINEERING

(Group A—Services/Posts)

(i) Indian Railway Service of Mechanical Engineer.	*
(ii) Indian Railway Stores Service (Mechanical Engineering Posts).	*
(iii) Central Water Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).	7 (Includes 1 vacancy reserved for S.C. and one for S.T. candidates).
(iv) Central Power Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).	2

(v) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Mechanical Engineering Posts.)	*
(vi) Indian Naval Armament Service (Mechanical Engineering Posts).	5 (includes 1 vacancy reserved for S.C. and 1 for S.T. candidates).
(vii) Assistant Manager (Factories) (P & T Telecom. Factories Organisation).	7**
(viii) Military Engineer Service (Electrical and Mechanical cadre) (Mechanical Engineering Posts).	31 (includes 4 vacancies reserved for S.C. candidates and 3 for S.T. candidates).
(ix) Workshop Officer (Mechanical) in the Corps of EME, Ministry of Defence.	5 (includes 1 vacancy reserved for S.C. and 1 for S.T. candidates).
(x) Central Electrical and Mechanical Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).	2
(xi) Post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development (Mechanical Engineering Posts).	*
(xii) Assistant Executive Engineer (Elect. & Mech.) Mechanical Engineering Posts Border Roads Engineering Service, Group A.	23**
(xiii) Indian Supply Service Group 'A' (Mechanical Engineering Posts)	6**

Group B—Services/Posts

(xiv) Workshop Officer (Mechanical Engineering Posts) in the Corps of EME Ministry of Defence.	4 (includes 1 vacancy reserved for S.C. and 1 for S.T. candidates).

Category III—ELECTRICAL ENGINEERING

GROUP A—Service/Posts

(i) Indian Railway Service of Electrical Engineers.	*
(ii) Indian Railway Stores Service (Electrical Engineering Posts).	*
(iii) Central Electrical and Mechanical Engineering Service (Electrical Engineering Posts).	4 (includes 1 vacancy for S.C. candidates).
(iv) Indian Ordnance Factories service (Engineering Branch) (Electrical Engineering Posts).	*
(v) Indian Naval Armanent Service (Electrical Engineering Posts).	5 (includes 1 vacancy reserved for S.C. and 1 for S.T. candidates).
(vi) Central Power Engineering Service (Electrical Engineering Posts).	45 (includes 7 vacancies reserved for SC and 5 for ST candidates).
(vii) Assistant Executive Engineer (Electrical) (P & T Civil Engineering Wing).	*
(viii) Workshop Officer (Electrical) in the Corps of EME, Ministry of Defence.	2
(ix) Post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development	*

(x) Indian Supply Service, Group 'A' (Electrical Engg. Posts).	6**
(xi) Military Engineer Service (Electrical and Mechanical cadre) (Electrical Engineering Posts).	31 (includes 5 vacancies reserved far S.C. and 3 for S. T. candidates.)

Group B—Services/Posts

(xii) Assistant Engineer (Electrical) in the Civil Construction Wing of All India Radio.	*
(xiii) Workshop Officer (Electrical) in the Corps of EME, Ministry of Defence.	1

Category IV—ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Group A—Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Signal Engineers.	*
(ii) Indian Railway Stores Service (Telecommunication / Electronics Engineering Posts).	*
(iii) Indian Telecommunication Service.	*
(iv) Engineering in Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation, Ministry of Communications.	2 (includes 1 vacancy reserved for S.C. candidates).
(v) Indian Broadcasting (Engineers) Service.	*
(vi) Indian Ordnance/Factories Service (Engineering Branch) (Electronics Engineering posts).	*
(vii) Indian Naval Armament Service (Electronics Engineering posts).	15 (includes 1 vacancy reserved for S.C. and 1 for S.T. candidates).
(viii) Central Power Engineering Service (Telecommunication Engineering Posts).	3 (includes 1 vacancy reserved for S.C. candidates).
(ix) Post of Assistant Development Officer (Engineering) in the Directorate General of Technical Development (Electronics and Telecommunication Engineering Post).	*
(x) Indian Supply Service, Group 'A' (Electronics Engineering Posts).	3**
(xi) Workshop Officer (Electronics) (Engg.) in the Corps of EME, Ministry of Defence.	1

Group B—Services/Posts

(xii) Workshop Officer (Electronics Eng.) in the corps of EME, Ministry of Defence.	

The vacancies shown against various Services and Posts are temporary.

The above numbers are liable to alteration.

*Vacancies not intimated by Government.

**The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates, if any, will be determined by Government.

NOTE :—Recruitment to the Services/Posts mentioned above will be made on the basis of the scheme(s) of examination prescribed in Apendix I to the Rules.

3. A candidate may apply for admission to the examination in respect of all or any of the Services/Posts mentioned in para 2 above. If a candidate wishes to be admitted for more than one category of Services/Posts he need send in only one application. He will be required to pay the fee mentioned in para 6 of Notice once only and will not be required to pay separate fee for each category of Services/Posts for which he applies.

N.B. 1.—Candidates are required to specify clearly in their applications the Services/Posts for which they wish to be considered in the order of preference. They are advised to indicate as many preferences as they wish to so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. 2.—NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PREFERENCES INDICATED BY A CANDIDATE IN RESPECT OF SERVICES/POSTS, COVERED BY THE CATEGORY OR CATEGORIES OF SERVICES/POSTS VIZ. CIVIL ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING (CF. PREAMBLE TO THE RULES) FOR WHICH HE IS COMPLETING WOULD BE CONSIDERED UNLESS THE REQUEST FOR SUCH ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION IN THE EMPLOYMENT NEWS. NO COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION OR FROM THE MINISTRY OF TRANSPORT (DEPARTMENT OF RAILWAYS) WOULD BE SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDICATE THEIR REVISED PREFERENCES, IF ANY, FOR THE VARIOUS SERVICES/POSTS AFTER THEY HAVE SUBMITTED THEIR APPLICATIONS.

N.B. 3.—Candidates should give their preferences only for the Services and posts for which they are eligible in terms of the Rules and for which they are competing. Preferences given for Services and posts for which they are not eligible and for Services and posts in respect of which they are not admitted to the examination will be ignored.

N.B. 4.—Departmental candidates admitted to the examination under age relaxation [vide rule 5 (b)] may give their preferences for the services/posts in other Ministries/Departments also. They will, however, be first considered for appointment to services/posts in their own department and only in the event of non-availability of vacancies therein or medical unfitness of such candidates for the services/posts under their own departments, they shall be considered for allotment to the services/posts in other Ministries/Departments on the basis of preferences expressed by them.

N.B. 5.—Preferences of candidates admitted to the examination under the proviso to Rule 6 will be considered only for the posts mentioned in the said proviso, and preferences for other services and posts, if any, will be ignored.

4. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110 011, on the prescribed form of application. The prescribed form of application and full particulars of the examination are obtainable from the commission by post on payment of Rs. 2.00 (Rupees two only) which should be remitted to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110 011, by Money Order, or by Indian Postal Order payable to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office. Cheques or Currency notes will not be accepted in lieu of Money Order/Postel Orders. The form can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's Office. *This amount of Rs. 2.00 (Rupees two only) will in no case be refunded.*

NOTE.—CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY MUST SUBMIT THEIR APPLICATIONS ON THE PRINTED FORM PRESCRIBED FOR THE ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 1987. APPLICATIONS ON FORMS OTHER THAN THE ONE PRESCRIBED FOR THE ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 1987 WILL NOT BE ENTERTAINED.

5. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110 011 by post or by personal delivery at the counter on or before the 20th April, 1987 (4th May, 1987 in the case of candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and for candidates residing abroad from a date prior to 20th April, 1987 and whose applications are received by post from one of the areas mentioned above) accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing in Asam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and a candidate residing abroad may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi

Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad from a date prior to 20th April, 1987.

NOTE (i) :—Candidates who are from areas entitled to additional time for submission of applications should also clearly indicate in their addresses in the relevant Column of the application the name of the particular area or region entitled to additional time (e.g. Assam, Meghalaya, Ladakh Division of J&K State, etc.) otherwise they may not get the benefit of additional time.

NOTE (ii) :—Candidates are advised to deliver their applications by hand at the UPSC counter or send it by Registered Post. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

6. Candidates seeking admission to the examination must pay to the Commission with the completed application form, a fee of Rs. 8.00 (Rupees eight only) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi.

CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE ARE NOT REQUIRED TO PAY ANY FEE.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the Office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad as the case may be for credit to account head "051—Public Service Commission—Examination Fees" and attach the receipts with the application.

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH USE ABOVE REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJECTED. THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDIDATES WHO ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE UNDER PARAGRAPH 7 BELOW.

7. The Commission may at their discretion remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964, or is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973, and is not in a position to pay the prescribed fee.

8. A refund of Rs. 54.00 (Rupees fifty four only) will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission. If, however, the application of a candidate seeking admission to the examination in terms of Note 1 below rule 6 is rejected on receipt of information that he has failed in the qualifying examination or will otherwise be unable to comply with the requirements of the provisions of the aforesaid Note he will not be entitled to a refund of fee.

No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained, except as provided above and in para 9 below nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

9. If any candidate who took the Engineering Services Examination held in 1986 wishes to apply for admission to this examination he must submit his application so as to reach the Commission's office by the prescribed date without waiting for the results or an offer of appointment. If he is recommended for appointment on the results of the 1986 Examination, his candidature for the 1987 examination will be cancelled on request and the fee refunded to him provided that, the request for cancellation of candidature and refund of fee is received in the Commission's Office within 30 days from the date of publication of the final result of 1986 examination in the Employment News.

10. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

11. The question papers in General Ability Test and two papers each in Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Electronics and Telecommunication Engineering as included in the scheme of examination at Appendix I to the Rules, will consist of objective type questions. For details pertaining to objective type Test, including sample questions, reference may be made to Candidates Informaton Manual at Annexure II.

M. K. KRISHNAN
Deputy Secretary
Union Public Servce Commission

ANNEXURE I

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. Before filling in the application form the candidates should consult the Notice and the Rules carefully to see if they are eligible. The conditions prescribed cannot be relaxed.

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATIOON THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION.

Candidates should note that no request for change of Centre will normally be granted. When a candidate however, desires a change in centre, from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission by registered post giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 23rd July, 1987 will not be entertained under any circumstances.

2. The application form and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting in ink or with ball-point pen. An aplication which is incomplete or is wrongly filled in, will be rejected.

Candidates should note that only International form of Indian numerals are to be used while filling up the application form. Even if the date of birth in the SSLC or its equivalent certificate has been recorded in Hindi numerals, the candidate should ensure that while entering it in the Application Form, he uses International form of Indian numerals only. They should take special care that the entries made in the application form should be clear and legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the confusion and the ambiguity caused in interpreting such entries.

Candidates should further note that no correspondence will be entertained by the Commission from them to change any of the entries made in the application form. They should therefore, take special care to fill up the application form correctly.

All candidates, whether already in Government Service or in Government-owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment, should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late the application even if submitted to the employer before the closing date will not be considered.

Persons already in Government service whether in permanent or temporary capacity or as work-charged employees other than casual or daily-rated employees or those serving under public Enterprises are, however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their appilcations shall be rejected/candidature shall be cancelled.

3. A candidate must send the following documents with his application :—

(i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for the prescribed fee or attested/certified copy of certificates in support of claim for fee remission. (See paras 6 and 7 of Notice and para 6 below).

(ii) Attested/certified copy of Certificate of age.

(iii) Attested/certified copy of Certificate of Educational Qualification.

(iv) Two identical copies of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx.) photograph of the candidate duly signed on the front side.

One copy of the photograph should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein.

(v) Two self-addressed, unstamped envelopes of size approximately 11.5 cms. × 27.5 cms.

(vi) Attested/certified copy of certificate in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe where applicable (See para 4 below).

(vii) Attested/certified copy of certificate in support of claim for age concession, where applicable (See para 5 below).

(viii) Attendance Sheet (attached with the application form) duly filled.

NOTE (i) CANDIDATES ARE REQUESTED TO SUBMIT ALONGWITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED AT ITEMS (ii), (iii), (vi) and (vii) ABOVE ATTESTED BY A GAZETTED OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS CORRECT. CANDIDATES WHO QUALIFY FOR INTERVIEW FOR THE PERSONALITY TEST ON THE RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE. THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION ARE LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF DECEMBER 1987. THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES IN READINESS FOR SUBMISSION AT THE TIME OF INTERVIEW THE CANDIDATURE OF CANDIDATES WHO FAIL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THAT TIME WILL BE CANCELLED AND THE CANDIDATES WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

NOTE (ii) Candidates are further required to sign the attested/certified copies of all the certificates sent alongwith application form and also to put the date.

Details of the documents mentioned in item (i) to (iv) are given below and of those in items (vi) and (vii) are given in paras 4, 5 and in para 6 :—

(i) (a) *CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed fee* :—

Each Postal Order should invariably be crossed and completed as follows :—

"Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office".

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office.

Candidates must note that it is not safe to send Postal Orders which are neither crossed nor made payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.

(b) *CROSSED Bank Draft for the prescribed fee*—

Bank Draft should be obtained from any branch of the State Bank of India and drawn in favour of Secretary, Union Public Service Commission payable at the State Bank of India Main Branch, New Delhi and should be duly Crossed.

In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be accepted. Defaced or mutilated Bank Draft will also not be accepted.

NOTE :—Candidates should write their names and addresses on the reverse of the Bank Draft at the top at the time of submission of their applications. In the case of Postal Orders the names and addresses should be written by the candidates on the reverse of the Postal Order at the space provided for the purpose.

(ii) *Certificate of Age* :—

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate.

No other documents relating to age like horoscope, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases, a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination, showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application will be rejected.

NOTE 1 :—A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED SUBMIT ONLY AN ATTESTED/CERTIFIED COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE.

NOTE 2 :—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUMMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION, AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

NOTE 3 :—CANDDATES SHOULD ALSO NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN THE RECORDS OF THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION NO CHANGE WILL BE ALLOWED SUBSEQUENTLY OR, AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

(iii) *Certificate of Educational Qualification.*—A candidate must submit an attested/certified copy of a certificate showing that he has one of the qualifications prescribed in Rule 6. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification. If an attested/certified copy of such a certificate is not submitted, the candidate must explain its absence and submit such other evidence as he can to support his claim to the requisite qualifications. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient.

In case a candidate is not in possession of the degree prescribed in Rule 6 at the time of submitting his application to the Commission, he should submit a copy of a certificate from the Principal/Registrar/Dean of the College/University concerned certifying that he has passed the qualifying examination and complied with all requirements necessary for the award of the degree in the form prescribed in para I of the form of certificate given under Note 1 below.

NOTE 1—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination in the form prescribed below as soon as possible and in any case not later than 30th November, 1987.

Certificate showing proof of passing qualifying Examination

"I Certified that Shri/Smt./Km.* ..... son/daughter* of ..... who has been a student in the college has passed the ..... examination and has become eligible for the award of ..... degree and that he/she* has been placed in ..... division.

"2. Certified that Shri/Smt./Km.* ———— son/daughter* of ———— is expected to appear/has appeared* at ———— examination conducted by ———— in the month of ———— 19———— and that the result of the above examination is likely to be announced by ———— 19

Signature————

Designation————

Name of Institution————

where situated————

Date————

*Strike out whichever is not applicable.

NOTE 2.— A candidate seeking admission to the examination with the qualification mentioned in proviso to Rule 6, must submit an attested/certified copy of a certificate from the Principal/Dean of the College/Institution/University concerned showing that he has passed/taken the M.Sc. degree examination or its equivalent with one of the special subjects mentioned therein.

(iv) *Photograph.*—A Candidate must submit two identical copies of his recent passport size (5 cm × 7 cm. approximately) photograph, one of which should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance-sheet in the space provided therein. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

N. B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraph 3(ii), 3(iii), 3(iv) 3(vi) and 3(vii) above without a reasonable explanation for its absence having been given the application will be rejected and no appeal against its rejection will be entertained.

4. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other Officer as indicated below of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certi-

ficate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* ———— ———— son/daughter* of ———— of village/town* ———— in District/Division* ———— of the State/Union Territory* ———— belongs to the ———— Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951@

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951@

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Area (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976].

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976@

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled/Caste/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati— .... Father/mother of Shri/Shrimati/Kumari* .... of Village/town* .... in District/Division .... of the State/Union Territory* .... who belong to the .... caste/tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* .... issued by the .... dated ....

%3. Shri/Shrimati/Kumari* .... and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* .... of .... District/Division* of the State/Union Territory* of ....

Signature ....

**Designation ....

(with seal of office)

State/Union Territory*

Place ....

Date ....

*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote Specific Presidential order.

%Delete the Paragraph which is not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Caste/Tribe certificates :

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides :

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, 'Lakshadweep'.

5. (i) A Government Servant claming age concession under rule 5 (b) should submit a certificate in Original from the Head of the Department/Office in the following form :—

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that

*(i) Shri/Shrimati/Kumari ———— holds a permanent post of ———— in the Office/Department of ———— with effect from ————.

*(ii) Shri/Shrimati/Kumari ———— has been continuously in temporary service on a regular basis under the Central Government in the post of ———— in the ———— with effect from ————.

*Strike out whichever is not applicable

Signature .....

Designation .....

Ministry/Office .....

Office Stamp

Date .....

Place .....

(ii) A displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) claiming age concession under Rule 5 (c) (ii) or 5 (c) (iii) and/or remission of fee under paragraph 7 of the Notice should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964, and 25th March, 1971 :—

(1) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakarnya Project or of Relief Camps in various States;

(2) District Magistrate of the Area in which he may, for the time being be resident;

(3) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;

(4) Sub-Divisional Officer within the Sub-Division his charge;

(5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation), in Calcutta.

(iii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka claiming age concession under Rule 5(c) (iv) or 5(c) (v) and/or remission of fee under paragraph 7 of the Notice, should produce an attested/certified copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iv) A repatriate of Indian origin from Burma claiming age concession under Rule 5(c) (vi) or 5(c) (vii) and/or remission of fee under paragraph 7 of the Notice, should produce an attested/certified copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon to show that he is an Indian citizen who migrated to India on or after 1st June, 1963 or an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(v) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession under Rule 5(c) (viii) or 5(c) (ix) should produce an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General, Resettlement, Ministry of Defence to show that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate :—

Certified that Rank No. ..... Shri .... of unit ..... was disabled while in the Defence Services, in operation during hostilities with a foreign country or in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature.....

Designation .....

Date .....

*Strike out whichever is not applicable

(vi) Ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs claiming age concession in terms of Rule 5(c)(xiv), 5(c)(xv), 5(c)(xvi) or 5(c)(xvii) should produce an attested/certified copy of the certificate, as applicable to them, in the form prescribed below from the authorities concerned.

(A) *Applicable for Released/Retired Personnel*

It is certified that No. ———— Rank ———— Name ———— whose date of birth is ———— has rendered service from ———— to ———— in Army/Navy/Air Force and he fulfils ONE of the following conditions :—

(a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on ————.

Station

Date

Name and Designation of the Competent Authority
SEAL

(B) *Applicable for Serving Personnel who are due to be released within six months*

It is certified that No. ———— Rank ———— Name ———— whose date of birth is ———— is serving in the Army/Navy/Air Force from ————.

2. He is due for release/retirement w.e.f. ———— is likely to complete his assignment of five years by ————.

Station

Date

Name and Designation of the Competent Authority
SEAL

(C) *Applicable for Serving Personnel who have already completed their initial Assignment and are on Extended Assignment*

It is certified that No. ———— Rank ———— Name ———— whose date of birth is ———— is serving in the Army/Navy/Air Force from ————.

2. He has already completed his initial assignment of five year on ————and is on extended assignment till ————.

3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Station :

Date :

Name and Designation of the Competent Authority
SEAL

Authorities who are competent to issue certificate are as follows :—

(a) *In the case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.*

Army—Military Secretary's Branch Army Hqrs., New Delhi.

Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi.

Air Force—Directorate of Personnel (Officers) Air Hqrs., New Delhi.

(b) *In the case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.*

Army—By various Regimental Record Offices.

Navy—BABS, Bombay.

Air Force—Air Force Records (NERW), New Delhi.

(vii) A repatriate of Indian origin who has migrated from Vietnam claiming age concession under Rule 5(c)(x) or 5(c)(xi) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Vietnam and has migrated to India from Vietnam not earlier than July, 1975.

(viii) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia claiming age concession under Rule 5(c)(xii) or 5(c)(xiii) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being be resident to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(ix) A displaced person from erstwhile West Pakistan claiming age concession under Rule 5(c)(xviii) or 5(c)(xix) and/or remission of fee under paragraph 7 of the Notice should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973 :—

(1) Camp Commandant of the Transit Centres or of Relief Camps in various States;

(2) District Magistrate of the Area in which he may, for the time being, be resident;

(3) Additional District Magistrates in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;

(4) Sub-Divisional Officer, within the Sub-Division, in his charge;

(5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner.

(x) A resident of Assam claiming age concession under Rule 5(c)(xx) or 5(c)(xxi) should produce an attested/certificed copy of a certificate from the District Magistrate or Sub-Divisional Officer within whose jurisdiction he ordinarily resided to the effect that he had been a resident of the State of Assam during the period from 1st January, 1980 to 15th August, 1985.

The form of Certificate to be produced by the candidate :—

This is to certify that Shri/Shrimati/Km.———— Son/daughter of ———— had been a resident of the State of Assam in the Village/town———— Police Station ————Sub-Division ———— of District ———— from ———— to ———— during the period from 1st day of January, 1980 to the 15th day of August, 1985.

District Magistrate
————District

Sub-Divisional Officer
————Sub-Division

Seal

Date of Issue.

6. A candidate belonging to any of the categories referred to in para 5(ii), (iii), (iv) and 5(ix) above and seeking remission of the fee under paragraph 7 of the Notice should also produce an attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee.

7. A person in whose case a certificate of eligibility is required may be admitted to the Examination but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate is issued to him by the Government of India, Ministry of Railways/Urban Development/Defence/Energy/Water Resources/Communications/Commerce/Information and Broadcasting/Industry.

8. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or its copies, an explanation regarding the discrepancy may be submitted.

9. The fact that an application form has been supplied on a certain date, will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

10. Every application including late one received in the Commission's Office is acknowledged and application Registration number is issued to the candidate in token of receipt of his application. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date prescribed for receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

The fact that the Application Registration number has been issued to the candidate does not, *ipso facto* mean that the application is complete in all respects and has been accepted by the Commission.

11. Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But, if a candidate does not receive from the Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. The Union Public Service Commission have brought out a priced publication entitled "Candidates Manual for U.P.S.C. Objective Type Examinations". This publication is designed to be of assistance to prospective candidates of U.P.S.C. Examinations or Selections.

This publication as also the copies of pamphlets containing rules and conventional type question papers of the preceding examinations are on sale with Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110 054 and may be obtained from him direct by Mail Orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal, Opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110 001 and (ii) Sale counter of the Publications Branch at Udyog Bhavan, New Delhi-110 011 and (iii) The Government of India Book Depot, 8, K. S. Roy Road, Calcutta-700 001. The Manual/pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India Publications at various mofussil towns.

13. Communications regarding application.—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110 011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(i) NAME OF EXAMINATION.

(ii) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(iii) APPLICATION REGISTRATION NO./ROLL NO. OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE APPLICATION REGISTRATION NUMBER/ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(iv) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(v) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B. (i)—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii)—IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

14. Change in address—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 13 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

ANNEXURE II

CANDIDATES INFORMATION MANUAL

A. OBJECTIVE TEST

Your examination in the papers in Section I under each Engineering discipline (viz Civil, Mechanical, Electrical and Electronics & Telecommunication) in Appendix I to the Rules will be what is called an 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination (test) *you do not write answers*. For each question (hereinafter referred to as item) several suggested answers(hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one answer to each item.

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

B. NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3....etc. Under each item will be given suggested answers marked a, b, c, d. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best answer. (See "sample items" at the end). In any case, in each item you have to select only one answer, if

you select more than one, your response will be considered wrong.

C. METHOD OF ANSWERING

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in the examination hall. You have to mark your response on the answer sheet. Responses marked on the TEST booklets or in any paper other than the Answer Sheet will not be examined.

In the Answer Sheet, (a specimen copy of which will be supplied to you along with the Admission Certificate) number of items from 1 to 160 have been printed in four 'Parts'. Against each item, circular spaces marked a, b, c, d are printed. After you have read each item in the TEST BOOKLET and decided which of the given answer is correct or the best, you have to mark the circle containing the letter of the selected answer by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the circle on the Answer Sheet.

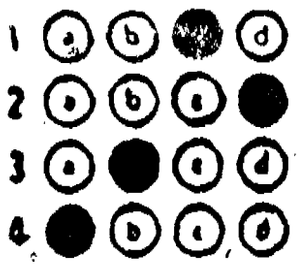

IT IS IMPORTANT THAT

1. You should bring and use only good quality HB pencil (s) for answering the items.

2. To change a wrong marking, erase it *completely* and re-mark the new choice. For this purpose, you must bring along with you an eraser also.

3. Do not handle your Answer Sheet in such a manner as to mutilate or fold or wrinkle or spoil it.

D. SOME IMPORTANT REGULATIONS

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for commencement of the examination and get seated immediately.

2. No body will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.

3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have elapsed after the commencement of the examination.

4. After finishing the examination submit the Text Booklet and the Answer Sheet to the Invigilator/Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.

5. You will be required to fill in some particulars on the Answer Sheet in the examination hall. You will also be required to encode some particulars on Answer Sheet. Instructions about this will be sent to you along with your Admission Certificate.

6. You are required to read carefully all instructions given in the Test-Booklet. You may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the Answer Sheet is ambiguous you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.

7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring a HB pencil, an eraser, a pencil sharpener and a pen containing blue/black ink. You are advised also to bring with you a clip-board or a hard-board or a card-board on which nothing should be written. You are not allowed to bring any scrap (rough) paper, or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you on demand. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your Answer Sheet at the end of the test.

E. SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your seat in the hall, the invigilator will give you the Answer Sheet. Fill up the required information on the Answer Sheet. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet, on receipt of which you must ensure that it contains the booklet number, otherwise get it changed. Write your Roll Number on the first page of the Test Booklet before opening the Test Booklet. You are not allowed to open the Test Booklet until you are asked by the Supervisor to do so.

F. SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed, it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult

for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All items carry equal marks. Attempt all of them. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

G. CONCLUSION OF TEST

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. Remain in your seat and wait till the invigilator collects all the necessary material from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the TEST Booklet, the answer sheet and the sheet for rough work out of the Examination Hall.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

(Note :—*denotes the correct/best answer-option)

1. (General Studies)

Bleeding of the nose and the ears is experienced at high altitudes by mountain climbers because

(a) the pressure of the blood is less than the atmospheric pressure

*(b) the pressure of the blood is more than the atmospheric pressure

(c) the blood vessels are subjected to equal pressure on the inner and outer walls

(d) the pressure of the blood fluctuates relative to the atmospheric pressure

2. (English)

(Vocabulary—Synonyms)

There was a *record* turnout of voters at the municipal elections.

(a) exactly known

(b) only those registered

(c) very large

*(d) largest so far

3. (Agriculture)

In arhar, flower drops can be reduced by one of the measures indicated below

*(a) Spraying with growth regulators

(b) planting wider apart

(c) planting in the correct season

(d) planting with close spacing

4. (Chemistry)

The anhydride of H_3VO_4 is

(a) VO_2

(b) VO_4

(c) V_2O_3

*(d) V_2O_5

5. (Economics)

Monopolistic exploitation of labour occures when

*(a) wage is less than marginal revenue product.

(b) both wage and marginal revenue product are equal.

(c) wage is more than the marginal revenue product.

(d) wage is equal to marginal physical product.

6. (Electrical Engineering)

A coaxial line is filled with a dielectric of relative permittivity 9. If C denotes the velocity of propagation in free space, the velocity or propagation in the line will be

(a) 3C

(b) C

*(c) C/3

(d) C/9

7. (Geology)

Plagioclase in a basalt is

(a) Oligoclase

*(b) Labradorite

(c) Albite

(d) Anorthite

8. (Mathematics)

The family of curves passing through the origin and satisfying the equation $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ is given by

(a) $y=a^x+b$

*(b) $y=a^x$

(c) $y=ae^x+be^{-x}$

(d) $y=ae^x-a$

9. (Physics)

An ideal heat engine works between temperatures 400°K and 300°K. Its efficiency is

(a) 3/4

*(b) (4—3)/4

(c) 4/(3+4)

(d) 3/(3+4)

10. (Statistics)

The mean of a binomial variate is 5. The variance can be :

(a) 4^2

*(b) 3

(c) ∞

(d) —5

11. (Geography)

The Southern part of Burma is most prosperous because

(a) it has vast deposits of mineral resources

*(b) it is the deltaic part of most of the rivers of Burma

(c) it has excellent forest resources

(d) most of the oil resources are found in this part of the country.

12. (Indian History)

Which of the following is NOT true of Brahmanism?

(a) Brahmanism always claimed a very large following even in the heyday of Buddhism

(b) Brahmanism was a highly formalised and pretentious religion.

*(c) With the rise of Brahmanism, the Vedic sacrificial fire was relegated to the background.

(d) Sacraments were prescribed to mark the various stages in the growth of an individual.

13. (Philosophy)

Identify the atheistic group of philosophical system in the following :

(a) Buddhism, Nyāna, Cārvākā Mimāmsā.

(b) Nyāya Vaisesika, Janism and Buddhism, Cārvākā.

(c) Advaita, Vedānta, Sāmkhya, Cārvākā Yoga.

*(d) Buddhism Sāmkhya, Mimāmsā.

14. (Political Science)

'Functional representation' means

*(a) election of representatives to the legislature on the basis of vocation

(b) pleading the cause of a group or a professional association

(c) election of representatives in vocational organization

(d) indirect representation through Trade Union.

15. (Psychology)

Obtaining a goal leads to

(a) increase in the need related to the goal

*(b) reduction of the drive state

(c) instrumental learning

(d) discrimination learing.

16. (Sociology)

Panchayati Raj institutions in India have brought about one of the following :

*(a) formal representation of women and weaker sections in village government

(b) untouchability has decreased

(c) land-ownership has spread to deprived classes

(d) education has spread to the masses.

Note :—Candidates should note that the above sample items (Questions) have been given merely to serve as examples and are not necessarily in keeping with the syllabus for this examination.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER